हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

27.11.2025/1100/केएस/एएस/1

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरम्भ। श्री हर्षवर्धन चौहान जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में कल से नियम-67 के अंतर्गत चर्चा चल रही है जो कि अभी खत्म नहीं हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायक अभी चर्चा करने के लिए रह गए हैं। नियमानुसार जब नियम-67 पर चर्चा होती है तो बाकी सारा एजेंडा सस्पैंड होता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप इसको कंटिन्यू करें और मुख्य मंत्री महोदय के रिप्लाई के बाद आगे के एजेंडा को कंटिन्यू कर देंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सारी चीजें सरकार की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकतीं। जब हमने पिछली बार नियम-67 लाया था, उस वक्त हमने भी यही बात कही थी जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। आज का इनका बिजनैस कंफर्टेबल नहीं है। ये सुविधा चाह रहे हैं। सुविधा तो आपको नहीं मिल सकती। ऐसे में जो पिछली बार आपने व्यवस्था दी थी, उसके अनुरूप ही हमने भी मन बनाया है कि प्रश्नकाल चलने देना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने भी और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि विधायकों के लिए प्रश्न काल सबसे महत्वपूर्ण होता है जहां उनके पास अपने क्षेत्र के मुद्दे, जनहित के मुद्दे उठाने का अवसर होता है। इसीलिए हमने पिछली बार इस बात को स्वीकार किया था। अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण भी चाहते हैं और हम यह भी जरूर कहना चाहते हैं कि आज पहले प्रश्न काल होना चाहिए उसके बाद जो हम नियम-67 के अंतर्गत प्रस्ताव लाए हैं, उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के तहत माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कल चर्चा लाई। चर्चा पंचायती राज चुनावों से सम्बन्धित थी। आपने कहा कि प्रश्न काल आरम्भ करते हैं उसके बाद चर्चा लाई जानी चाहिए। माननीय सदस्यों ने कहा कि जब काम रोको प्रस्ताव है तो इसमें कोई भी प्रश्न काल नहीं हो सकता। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नियम-67 अब सिर्फ एक नियम नहीं रह गया है, यह तो रूटीन का काम हो गया है।

नियमों की परिधि के अनुसार जब सरकार ने चाहा कि ठीक है हम इनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमारा यह मानना है कि जब कल आपने प्रश्न-

27.11.2025/1100/केएस/एएस/2

काल स्वीकार नहीं किया तो ये दो बातें नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि कल भी जब प्रश्न काल नहीं हुआ तो आज भी पहले नियम-67 के तहत चर्चा आरम्भ की जाए। अगर आपने कल ही प्रश्न काल आरम्भ कर दिया होता और उसके बाद नियम-67 का प्रस्ताव लाते तो हमको भी अच्छा लगता परंतु आप नहीं लाए। ...(व्यवधान) विपक्ष के नेता जी, हम आपसे कल भी अनुरोध कर रहे थे।

अध्यक्ष : कृपया बैठिए। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : प्रश्न काल नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय, एक तो ये पढ़ कर नहीं आते फिर इनके विधायक बोलते भी नहीं हैं। इनमें आपस में सहमति ही नहीं है। बोलने वालों की संख्या कम हो जाती है फिर आप चाहते हैं कि प्रश्न काल हो। यह बड़ा गम्भीर मामला है। आज आप प्ले कार्ड ले कर बैठे हैं। बेचारे विपक्ष के सारे विधायक बाहर प्ले कार्ड ले कर बैठे हैं। अगर आप प्ले कार्ड ले कर बाहर नहीं बैठे होते तो भी बात थी। आप कितने गम्भीर हैं? मैं आपकी गम्भीरता का सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा जारी रखें और आज हम इस चर्चा का रिप्लाई देंगे। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के बाद हम रिप्लाई देना चाहते हैं क्योंकि यह मुद्दा इन्होंने गम्भीरता से लिया है और आज सारे अखबारों में इसका ज़िक्र है तो हम चाहते हैं कि इस चर्चा को आप सुनिए और रिप्लाई भी सुनिए। अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि चर्चा आरम्भ की जाए। धन्यवाद।

श्री रणधीर शर्मा अ0व0 की बारी में...

27.11.2025/1105/av/as/1

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री बार-बार सदन में यह कहते हैं कि विधायक पढ़कर नहीं आते या तैयारी करके नहीं आते। इस प्रकार से कहना विधायकों का अपमान करना है। हम पढ़कर आए या बिना पढ़कर आए, यहां आंकड़ों और तथ्यों पर बोलते हैं या नहीं; यह विधायकों की जवाबदेही है। परंतु हमने जो विषय उठाएं, ये उनका जवाब दें। यह क्या बात हुई कि विधायक पढ़कर नहीं आते। ये हमारे टीचर तो नहीं है। हम पढ़कर आए या नहीं आए, इसका प्रमाणपत्र हमने मुख्य मंत्री जी से नहीं लेना। हम क्या कर रहे या क्या नहीं कर रहे; इसका प्रमाणपत्र हमें जनता देती है। हमें जनता ने जीताकर भेजा है इसलिए हमें प्रमाणपत्र भी जनता ने ही देना है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री बार-बार जो इस प्रकार से बोलते हैं कि विधायक पढ़कर नहीं आते, हम इस पर अपना विरोध प्रकट करते हैं। इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए और मेरा माननीय मुख्य मंत्री से यह अनुरोध है कि भविष्य में कभी इस प्रकार के शब्द न कहें।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप बोलिए।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)

Speaker : I am allowing everybody those who wants to make any submission, I will give you time.

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत विपक्ष के विधायकों द्वारा चर्चा लाई गई है। पिछले कल तो it was very important and now today it has become unimportant. Before hearing the reply...(व्यवधान) नियम-67 में यह है कि उस दिन का सारा बिजनैस डैफर होगा और विस्तृत रूप से केवल नियम-67 के अंतर्गत आए विषय पर ही चर्चा होगी तथा उसका उत्तर आएगा। अब बीच में ...(व्यवधान)

अब इसमें प्रश्न काल कहां से आ गया? नियम-67 के अंतर्गत आए विषय की चर्चा पर उत्तर आने के बाद प्रश्न काल तथा दूसरा बिजनैस आ जाएगा। बाकी काम तो रुका हुआ है। ...(व्यवधान) आप डबल बात कर रहे हैं। It is to be completed...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल, आप कह रहे हैं कि ...(व्यवधान)

27.11.2025/1105/av/as/2

अध्यक्ष : पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद किसी ने कुछ बोलना होगा तो मैं अनुमति दूंगा। आप लोग ऐसे बीच में खड़े होकर कैसे बोल रहे हैं? Why are you interrupting unnecessarily.

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत विपक्ष द्वारा लाया गया इश्यू है। यह इश्यू आप लोग लाए और इसके कारण आपने बाकी का सारा बिजनैस रोक दिया। अध्यक्ष महोदय ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब उस पर चर्चा हो रही है। नियम-67 यह बोलता है कि जब तक इसके अंतर्गत आए विषय पर चर्चा हो रही है तब तक सदन के अंदर दूसरा एजेण्डा नहीं लगेगा। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप इस पर कंटिन्यू चर्चा करवाइए, माननीय मुख्य मंत्री इसका उत्तर देंगे तथा उसके बाद हमारे बाकी लिस्टिड एजेण्डे पर चर्चा होगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया बैठ जाइए। पहले मुझे बोलने दीजिए।

ऐसा है, I am permitting everybody. Why you interrupting माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। हैं। Let him speak. Let it come on the record अगर आप लोग बोलना चाहेंगे तो I will give you opportunity नेता प्रतिपक्ष बोलना चाह रहे हैं और अं हैं Leader of the Opposition is taking care of all these issues on behalf of the Opposition and I am permitting him. Why are arguing लेकिन ऐसे बैठे-बैठे क्यों बोलना।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिए।

27.11.2025/1105/av/as/3

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। पहली बात इसमें यह है कि आप जो सरकार की ओर से बात कह रहे हैं वह विषय सीधे तौर पर आपके आसन से जुड़ा हुआ है। व्यवस्था आपने दी है। कल आपने आग्रह किया और आपके आग्रह में विनम्रता थी। इसलिए हमने उसे सहज रूप से स्वीकार किया। आपने कहा कि आज का जो लिस्टिड बिजनैस है उसको हम ले करने की अनुमति देते हैं। हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि आपने व्यवस्था दी। उसके बाद आज आपने प्रश्न लगाए हैं और यह व्यवस्था भी आपने दी है। अगर नियम-67 के तहत कल ही यह तय हो जाता कि आज प्रश्न काल नहीं होगा तो प्रश्न लगने ही नहीं चाहिए थे और सीधे नियम-67 के तहत लगे हुए विषय पर चर्चा होनी थी। ...(व्यवधान) आप लोग यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप हमें बोल रहे हैं या अध्यक्ष महोदय को बोल रहे हैं। आप लोगों ने जो प्रश्न खड़ा किया है वह सीधे तौर पर अध्यक्ष महोदय की ओर से दी गई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

टी सी द्वारा जारी

27.11.2025/1110/टी0सी0वी0/ए0एस0/-1
श्री जय राम ठाकुर .... जारी

प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। मैं समझता हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में होकर यह हमारा दायित्व और अधिकार बनता है कि हम सरकार से जो पूछना चाहे उसके लिए आग्रह करें और जोर देकर आग्रह करें। लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था के अनुरूप आपने जो फैसला दिया है, हम उसके साथ चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह फैसला 'once for ever' यानी एक बार हुआ तो हमेशा के लिए होगा। यदि नियम- 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव को आपने एक्सैप्ट कर लिया तो उसके बाद बिजनेस भी डिफर होगा। इसके साथ-साथ न प्रश्न काल होगा और न ही सरकार की ओर से बिजनेस में जो

कागजात ले करने हैं, वे ले होंगे। मुझे लगता है कि इस बारे में एक फैसला होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से अध्यक्ष महोदय के ऊपर अनावश्यक दबाव है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप यह स्थिति ठीक नहीं है। आप बार-बार अपनी सुविधा के हिसाब से माननीय सदन को चलाना चाहते हैं। आप सरकार में है और मुख्य मंत्री अपनी पार्टी को अपनी सुविधा के हिसाब से चला सकते हैं लेकिन विपक्ष आपकी सुविधा से नहीं चलेगा। विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था, नियमों और जनहित के उद्देश्य के साथ चलेगा। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप इन बातों को लेकर मेहरबानी करके स्पष्ट कर दें कि आप चाहते क्या हैं? इसलिए मैं बार बार खज़ल शब्द का प्रयोग करता हूं। अध्यक्ष महोदय जो भी व्यवस्था आपने देनी है, वह व्यवस्था हमेशा के लिए होनी चाहिए। धन्यवाद ।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले श्री रणधीर शर्मा जी ने जो बात कही है और जो मेरे शब्द है उन्हें एक्सपंज कर दिया जाए। मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। दूसरी बात माननीय विपक्ष के नेता बार-बार नियम 67 का जिक्र करते हैं। लेकिन यह परम्परा तो इन्होंने शुरू की है। मेरा ख्याल है कि तीन वर्ष में नियम 67 के जितने प्रस्ताव आए इतने पिछले 75 साल के इतिहास में नहीं आए होंगे। ...(व्यवधान) परेशान तो आप हैं, हम नहीं है और खज़ल भी आप ही हैं। अभी आपने खुद ही कह दिया कि अध्यक्ष महोदय हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। वे कानून के ज्ञाता है और उन्होंने एक नया इतिहास इसी विधान सभा

27.11.2025/1110/टी0सी0वी0/ए0एस0/-2

रचा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ लॉ की है। इनको जिन्दगी का तजुर्बा और विधायकी का अनुभव है। नियम-67 के तहत सदन का सारा कार्य रोका जाए और भविष्य में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब भी आप नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाएंगे तो माननीय सदन का सारा बिजनेस स्थगित कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और हमसे ज्यादा पढ़े-लिखे आप हैं। इसलिए आपने (विपक्ष) जो प्रस्ताव लाया है, आप उस पर विस्तार से चर्चा करें और यह बड़ा गम्भीर मामला है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। एक माननीय विधायक ने कहा है कि मेरी

पंचायत में एक भी ओ0बी0सी0 व्यक्ति नहीं है लेकिन मेरी पंचायत रिजर्व हो रही है। यह सब संवैधानिक संस्थाओं का मामला है और इन सब पर इस माननीय सदन में चर्चा होनी चाहिए। यदि यह सदन सरकार की सुविधा के अनुसार चलता तो सबसे ज्यादा समय सदन में विषय को उठाने का आपको नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय ने कई बार तो हमें भी कहा है कि आप बैठ जाइये मुझे विपक्ष के माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना है। अभी जो चर्चा हो रही है इसमें भी सबसे ज्यादा सदस्य विपक्ष के ही बोल रहे हैं। आप जो चर्चा लाए हैं, हम गम्भीरता से इस चर्चा को स्वीकार कर रहे हैं। हमें पिछले कल पता ही नहीं था कि इस प्रकार की चर्चा होनी है लेकिन हमने विपक्ष की मान-मर्यादा का ख्याल रखते हुए इस चर्चा को स्वीकार किया और आज भी हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि कुछ और माननीय सदस्य भी बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने काफी रिसर्च किया है उन विधायकों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और अपना फैसला सुनाएं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बिक्रम ठाकुर जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

बिक्रम ठाकुर एन0एस0 द्वारा जारी ...

27-11-2025/1115/NS-DC/1

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज का जो लिस्ट ऑफ बिजनैस है उसमें आपने प्रश्नकाल, कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे, नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी, नियम-62 व नियम-130 के अंतर्गत चर्चा होगी। आज आपने ही यह लिस्ट ऑफ बिजनैस भेजी है और व्यवस्था भी आपने ही दी है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आज प्रश्नकाल से इतना डर क्यों लग रहा है? आज इस प्रश्नकाल में ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनसे आप डर रहे हैं? मुझे इसमें एक ही जगह गड़बड़ लग रही है कि आपने बिहार में जो फिगर दी है वह अलग है और यहां पर फिगर अलग दी है। बाकी सभी प्रश्न सिम्पल हैं। इसे तो हम आपसे पूछेंगे ही। इसलिए जो व्यवस्था आपने एक बार दे दी, उसमें मुझे लगता है कि आज उसमें इसी प्रकार से चलना चाहिए। कल आप इसे न देना। यह जो

आपने लिस्ट ऑफ बिजनैस दिया है इसमें आप नियम-67 की चर्चा सबसे पहले दे देना। जैसा आपका आदेश होगा वैसा ही चलना चाहिए। जो निर्देश नीचे से आ रहे हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

अध्यक्ष : मैंने वैसे कल भी कहा था कि नियम-67 जो एडजॉर्नमैंट मोशन्ज को एंटरटेन करता है 'urgent matter of public importance' और इस नियम-67 के तहत जो दर्शाया गया है तो मैं उसे आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूं। Rule 67 (Adjournment Motion) says, "Speaker's consent-Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker". मैंने उसको पिछले कल अलाउ कर दिया है। इसलिए भी अलाउ कर दिया क्योंकि सरकार भी चाहती थी कि ये विषय अगर विपक्ष के द्वारा लाया गया है तो Government is ready to debate on this issue under the Adjournment Motion. अब उसके बाद जो एडजॉनमैंट मोशन्ज की कंडीशन्ज हैं क्योंकि जब अलाउ कर दिया तो बाकी रूल्ज नहीं लगेंगे लेकिन नियम-72 जरूर लगता है which says "time for taking up of the Motion" कि मोशन कब टेकअप होगी? कल नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों ने आग्रह किया और इम्प्रैस भी किया। I would refer to Rule 72 (Time for taking up motion) which says "If leave to make such a motion is granted, the motion "that the House do now adjourn" shall be taken up an hour before

27-11-2025/1115/NS-DC/2

the time fixed for usual termination of the business for the day or at an earlier hour if the Speaker, after considering the state of business in the House, so directs".

इस रूल का मतलब यह है कि बात एडमिट हो गई और एडमिट होने के बाद जब हाउस ने डिसाइड कर दिया कि मोशन डिस्कस होगी तो कम-से-कम एक घंटा डिस्कशन्ज होगा और हाउस जो एडजॉर्न होगा उससे पहले एक घंटा होगा। जो हमारे टर्मिनेटिंग ऑवर्ज है

तब यह एडजॉनमैंट मोशन्ज डिस्कस होगा as per this Rule क्योंकि हाउस की सेंस सुप्रीम है। रूल्ज भी हाउस ही बनाता है और हम उसको एनफोर्स भी इसलिए करते हैं ताकि सारी चर्चाएं नियमों की परिधि के अंदर हों। संस्पेंशन भी हम ही करते हैं यानी हाउस ही करता है तो हाउस के अंदर अगर कन्सेसिज है तो पिछले कल जो कन्सेसिज था यानी आम सहमति थी कि इस मोशन के अंतर्गत चर्चा होगी। The House is ready to discuss this issue which means the Government is ready and the Opposition is also ready to discuss this issue. मैंने हाउस की उस सेंस को समझते हुए कल इसको इजाजत भी दे दी और जो ये रूल्ज थे उनको डैफर भी कर दिया, बिजनैस को भी डैफर कर दिया, जो मेरी डिस्क्रिशन में है with in my powers under the Constitution. अब आज दोबारा से यह इश्यू आ रहा है। वैसे तो यह कल ही खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन कल चर्चा खत्म नहीं हुई और आज विषय आ चुका है तथा लिस्ट ऑफ बिजनैस में आइटम नम्बरः 3 में लिस्ट हुआ है तो नैचुरली अब यह डिस्कस तो आइटम नम्बर-3 पर होनी चाहिए थी but again the resolution has been brought by the Hon'ble Parliamentary Affair Minister in the House and which has been debated thoroughly now और अब दोबारा से हाउस का सैंस भी ऐसा बन रहा है। यहां से नेता प्रतिपक्ष जी ने भी बोला है कि एक बार व्यवस्था हो जाए। अब एक बार व्यवस्था तो यही है कि इस बार यह एडजॉर्नमैंट मोशन एडमिट हुआ और उसके बाद डिस्कशन में आया तथा हम इसको समाप्ति की ओर ले जाएंगे

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

27.11.2025/1120/RKS/HK-1

अध्यक्ष .... जारी

और अब हम इसे समाप्त कर आज का बिजनैस डेफर कर देते हैं। This is one option with the House. अभी जैसे the request which have been come from the Parliamentary Affairs Minister that let's discuss the item No.3 first, so the

Question Hour and rest of the items will be deferred for tomorrow. दूसरा यह है कि हम प्रश्न काल को शुरू करें और उसके बाद इस आइटम को लें। अगर सदन इस बात के लिए एकमत है तो I will permit the Adjournment Motion which will be taken up first. माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि नियम-67 के अंतर्गत आज कुछ और कानून होगा और कल कुछ और तो यह संभव नहीं है। आपने नियम-67 के तहत जो अर्जेंट डिस्कस करनी थी उसके लिए आपने पिछले कल के प्रश्न काल को डेफर करवा दिया। लेकिन आज यह इश्यू अनइम्पोर्टेंट क्यों हो गया? How it has become unimportant for you? ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।

Speaker : Please let him say, I will permit the Hon'ble Leader of the Opposition.

संसदीय कार्य मंत्री : विधान सभा सचिवालय अपनी आज की कार्यसूची को तो प्रकाशित करेगा ही। आप प्रश्न काल की बात कर रहे हैं। प्रश्न तो 28 नवम्बर, 2026 और 01, 02 दिसम्बर, 2026 के भी लिस्ट हो चुके हैं। आने वाली 01 व 02 तारीख को क्या सिचुएशन होगी वह तो according to the House or according to the will of the House, अध्यक्ष महोदय डिसाइड करेंगे। मगर बिजनैस तो लिस्ट होगा ही। पिछले कल नियम-130 के तहत जो चर्चा लिस्ट थी वह आज भी लिस्ट है। अगर यह चर्चा 1.00 बजे अपराह्न समाप्त होती है तो उसके बाद सदन स्थगित नहीं होगा या एकदम कोई नया एजेंडा नहीं लाया जा सकता। एजेंडा तो विधान सभा सचिवालय द्वारा लिस्ट किया जाता है। जब नियम-67 के तहत चर्चा खत्म होगी तो उसके बाद अगला एजेंडा सूचीबद्ध होगा और उस पर आगे चर्चा की जाएगी। यह सदन सायं 5.00 बजे तक चर्चा करेगा लेकिन यह तो एक इश्यू बनाने वाली बात है। अब Rule-67 is very important according to them. आज कुछ विधायकों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखने हैं और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब देंगे। उसके बाद हम अगला इशू टेक-अप कर लेंगे। इसमें झगड़ा करने या विचारों

27.11.2025/1120/RKS/HK-2

की भिन्नता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपको जो ठीक लगता है आप उस हिसाब से रूलिंग दे दीजिए। आप according to the rules and precedent, रूलिंग दे दीजिए और हम सबको मान्य होगी।

Speaker : I don't want to go by the Rules, in any case, if I have go by the Rules then there are lot of things which comes up. I am sensing the House. रूल्स हाउस द्वारा बनाए जाते हैं। हाउस के संचालन के लिए रूल बनते हैं। हम इन रूल्स को डेफर भी करते हैं। जब 35 सिटिंग्स पूरी नहीं होती तो हम रूल्स डेफर करते हैं। अभी के जो रूल्स हैं ये डायरेक्टरी हैं it is not mandatory. मुझे मैंडेट तब देना पड़ता है जब मुझे लगता है कि सदन के अंदर consensus नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सदन के अंदर नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए consensus है और इसके जवाब आने पर यह चर्चा समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा है तो then we will go with the ruling और रूलिंग तो अब हो गई। अगली बार जब कभी एडजोर्नमेंट मोशन आएगा और उस पर डिस्कस करने की consensus हुई तो हम उसी दिन उसको समाप्त भी कर देंगे। We will not allow that Adjournment Motion should go for three days. I am ruling that this Adjournment Motion, in future when comes before the House at that relevant time, we will decide what to do, but if it is admitted then that is to be discussed on the same day and to be disposed of on the same day. माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की हैरानी है कि सरकार एक दिन कुछ और सोचती है और अगले दिन कुछ और। ...(व्यवधान) आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। पिछले कल नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उस समय आपकी ओर से यह आग्रह किया गया कि दूसरे बिजनैस को ले करने की अनुमति दी जाए जबकि यह अनुमति मिलनी ही नहीं चाहिए थी। जब तक नियम-67 के अंतर्गत चर्चा समाप्त नहीं होती तब तक दूसरे बिजनैस को ले करने की अनुमति नहीं दी

27.11.2025/1120/RKS/HK-3

जानी चाहिए थी। कल यह निर्णय आपकी सुविधा के हिसाब से था। आज आपको यह असुविधाजनक लग रहा है कि प्रश्नकाल बीच में आ गया है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े होंगे और यह आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं है।

श्री बी0एस0द्वारा...जारी

27.11.2025/1125/बी.एस./एच.के.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

कृपया मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम यह भी नहीं कह रहे कि हमारी सुविधानुसार कार्य हो। लेकिन नियम हैं, तो नियम हमेशा के लिए होने चाहिए। आज हम किसी नियम के अंतर्गत काम करें और कल को हम उन्हीं नियमों के अंतर्गत नए परिवर्तन के साथ कुछ और काम करें मुझे लगता कि यह उचित नहीं होगा इससे नियमों की सैंक्टिटी भी समाप्त हो जाती है और आपकी अथॉरिटी और आपकी व्यवस्था पर भी असर पड़ता है और यह सारी चीजों को ले करके प्रश्न खड़े होते रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है जो फैसला करना है उसे एक बार में कर देना चाहिए ताकि वह हमेशा के लिए हो और उसके हिसाब से आगामी कार्यवाही चले।

मेरा अंत में यही कहना है कि आज अपनी आइटम न0-1 और आइटम न0- 2 तक जो बिजनेस लिस्ट किया है और उसके बाद आइटम न0-3 पर आपने व्यवस्था दी है कि इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी। मैं समझता हूं आज की कार्यवाही इस तरह से चलने दीजिए। सरकार को क्या दिक्कत है, परेशानी क्यों आ रही है? आप आगे के लिए

व्यवस्था तय कर लीजिए लेकिन आज इसी तरह से जो व्यवस्था है उसी के अनुसार आज की कार्यवाही को चलने दीजिए। मेरा कहना है कि आज जो भी कार्य सूची है उसी के अनुसार कार्य आगे चले और यही मैं चाहता हूं। आप इसे इतना ज्यादा क्यों खींचना चाहते हैं, यह केवल जिद के कारण है और जिद किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। इसलिए थोड़ा कंसेंसस के साथ चलें। डेमोक्रेटिक माइंडसेट के साथ चले इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने बात कही है उस पर आप अपनी रूलिंग दें।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

27.11.2025/1125/बी.एस./एच.के.-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे। जिद ये कर रहे हैं, मैंने यह कहा कि कल हाउस के बिजनेस के लिए सत्ता पक्ष भी सहमत था और विपक्ष भी सहमत था तब हाउस की सहमति के बाद अपने बिजनेस को लागू किया। आज आपके द्वारा चलाए गए प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष सहमत नहीं है। वह चाह रहा है कि चर्चा करें।

विपक्ष ने ही प्रस्ताव लाया था और इस पस्ताव से पीछे क्यों हट रहे हैं। आप इसे वापिस ले लीजिए और उसके बाद प्रश्न काल आरंभ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय आपने ही कहा है कि जब हाउस की सहमति होती है और आप जिस ढंग से सदन चलाते हैं जिसमें आप ज्यादा मौका लोकतंत्र में विपक्ष को देते हैं। इस मामले में हमारी आपसे कई बार लड़ाई भी होती है लेकिन मैं चाहता हूं कि जब प्रस्ताव इनके द्वारा लाया गया। और नियम-67 में चर्चा विपक्ष ही चाह रहा था। हम तो इसकी तैयारी करके आए हैं। जो लिस्ट आफ बिजनेस होता अगर इसमें सहमति होती तो प्रश्न काल भी होता। सत्ता पक्ष सहमत नहीं है, हम चाह रहे हैं कि जब इन्होंने काम रोको को प्रस्ताव लाया है तो इस पर चर्चा को शुरू किया जाए और इस पर अब आप फैसला दीजिए, मैं यही चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष क्या कहना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी जिन बातों को कहते हैं उसमें सचमुच में स्थिति हास्यास्पद बनती है और विशेषकर आपके पद की बनती है जो आप बार-बार

इस तरह से कहना कि आप गंभीर नहीं है। पूरा प्रदेश हमसे पूछ रहा है कि पंचायत के चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं जबकि इन्हें डैफर करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। इसलिए इसमें चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा करने के लिए गंभीर हैं और जितना गंभीर आप हैं उससे ज्यादा गंभीर हैं। चर्चा से भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम आपसे ज्यादा गंभीर है लेकिन प्रश्न तो सिर्फ एक ही बात को ले करके हैं कि प्रश्न पूछने पर परेशानी क्या है? परेशानी इसलिए हो रही है कि आप प्रश्नों का जवाब ही देना नहीं चाहते। आपकी जवाब देने की स्थिति ही नहीं बन पाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल मत करें। जो शब्द आप बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि विपक्ष के सदस्य पढ़ कर नहीं आते हैं

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा द्वारा जारी.....

27.11.2025.1130.डी0टी0-वाई0के0.-1

श्री जय राम ठाकुर जारीः

मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि विपक्ष के सदस्य पढ़कर नहीं आते। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल मत करें। ये कभी कहते हैं कि विपक्ष गंभीर नही है कभी कुछ और कहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी कहना चाहता हूं कि विपक्ष पूरी तरह से गंभीर है इसीलिए चर्चा के लिए नियम-67 के अंतर्गत यह प्रस्ताव गंभीरता से ही उठाया गया है। हम इस प्रस्ताव को जिम्मेवारी के साथ लाए हैं और हम इस पर जिम्मेवारी के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। पूरा प्रदेश सोच रहा है कि प्रदेश मे पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव क्यों नही हो रहे हैं? जिसका जवाब सरकार के द्वारा देते नहीं बन पा रहा है। ऐसे में इन सभी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। अध्यक्ष महोदय जो आपके द्वारा व्यवस्था दी गई है उसी व्यवस्था के अनुरूप हम इस सदन में बैठे हैं।

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के सदस्य प्रश्न काल के लिए बहुत चिंतित हो रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न आज के लिए लगे हैं मैं

उन्हे देख रहा था। इन प्रश्नों में मुझे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नजर नहीं आया जिसमें सरकार को घेरा जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध है कि जो तारांकित प्रश्न आज लगे हैं इन प्रश्नों को पढ़ा हुआ समझा जाए and they may be laid on the Table of the House. अगर इनकी इच्छा है कि प्रश्न काल हो तो विपक्ष के साथी अपना प्रस्ताव विड्रा कर लें। पिछले कल तक तो इनको पंचायतों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण लग रहे थे। ...(व्यवधान) अगर महत्वपूर्ण लग रहे थे तो आप इस पर चर्चा जारी रखें। ये प्रश्न काल की बात क्यों कर रहे हैं? प्रिसिडेंट यह है कि जब नियम-67 के अंतर्गत चर्चा इस सदन में आएगी तो कोई अन्य इशू चर्चा हेतु सदन में नहीं लाया जाएगा जब तक की उस चर्चा को पूर्ण नहीं कर लिया जाता। यह प्रिसिडेंट है। अध्यक्ष महोदय आपने अपनी व्यवस्था दे दी है। वह हम सबको मंजूर है और सरकार ने भी सदन के अन्य कार्य रोक कर चर्चा के लिए कह दिया है। यह विपक्ष का इशू है और विपक्ष इस सदन में इस इशू को लेकर आया है, अध्यक्ष महोदय द्वारा उसको स्वीकार किया गया-उस पर चर्चा चल रही है। अब चर्चा को पूर्ण होने दीजिए। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी व्यवस्था दे दी है इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन की आगे की कार्यवाही आरंभ की जाए। ...(व्यवधान)

27.11.2025.1130.डी0टी0-वाई0के0.-2

Speaker : Please, please take your seats. Now, in view of the detailed discussions on the Rules itself or the precedents and the conventions of the House, now the final Ruling is that henceforth from today, the Adjournment Motion, as and when it is admitted, will be taken up after the Question Hour. Today, since it has been admitted, so I am not deferring but this Item No. 1, 2 and 3. आईटम न0 1 और 2 जो प्रश्न मौखिक व लिखित आज की कार्य सूची में आए हैं उनके उत्तर सदन के टेबल पर ले समझे जाएंगे which can be published. जो कागजात सभा पटल पर रखे जाने हैं वे भी टेबल पर रखे समझे जाएंगे। So, we start the Adjournment Motion. Now I have a list with me. कांग्रेस की तरफ से भी इसमें कुछ नाम है। पिछले कल जो लास्ट स्पीकर थे वह श्री राम कुमार जी थे जो अपना वक्तव्य दे रहे

थे। I will request Shri Ram Kumar Ji to continue his speech and I will request further both the parties' Whips to give me a fresh list of the speakers.

27.11.2025.1130.डी0टी0-वाई0के0.-3

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। यह बड़ा दुभाग्यपूर्ण है। नियम-67 में स्थगन प्रस्ताव सदन में उस समय लाया जाता है जब प्रदेश में बहुत ही भंयकर अप्रिय घटना घट गई हो। ऐसी घटना पर चर्चा करने के लिए काम रोको प्रस्ताव सदन मे लाया जाता है। यह बहुत ही दुभाग्यपूर्ण है कि कल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे। हमारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के

श्री एन0जी0 द्वारा जारी.....

27.11.2025/1135/वाई.के.-एन.जी./1

श्री राम कुमार........जारी

बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को प्रश्नों व विभिन्न नियमों के माध्यम से चर्चा करने के लिए कार्यसूची में शामिल करवाया था। मैंने भी पिछले कल नियम-62 के तहत "प्रदेश में विभिन्न प्रकार के हादसों में हुई मृत्यु के कारण सरकार द्वारा दिए जाने वाले मृत्यु अनुदान बारे" विषय पर चर्चा करनी थी। इस विषय को लगाने का कारण यह था कि बहुत सारे मामलों में जैसे कोई मजदूर छत पर या पैड पर चढ़कर काम करते हुए गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे राहत देने के लिए कवर नहीं किया जाता। मैंने पिछले कल इस विषय पर नियम-62 के तहत चर्चा करनी थी लेकिन विपक्ष द्वारा लाए गए काम रोको प्रस्ताव (नियम-67) के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकी। मुझे लगता है कि विपक्ष दिशाविहीन व मुद्दाविहीन है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कल माननीय श्री जय राम ठाकुर जी सत्तापक्ष को धमकाते हुए नज़र आए। इन्हें ऐसा लगा रहा है कि श्री जय राम ठाकुर जी का मुख्य मंत्री बनना तय हो गया है। पिछले कल इन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से जिन संस्थानों को खोला है उन्हें हमारी सरकार आने पर रिव्यू किया जाएगा। मैं माननीय श्री जय राम ठाकुर जी को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक जब मैं विधायक था और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब मैंने बहुत सारी योजनाओं, भवनों, पुलों और शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों का कार्य शुरू करवाया था। लेकिन माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने वर्ष 2017 में मुख्य मंत्री बनने के बाद दून विधान सभा क्षेत्र में उन तमाम भवनों जैसे आई0टी0आई0 किशनगढ़, डिग्री कॉलेज, बद्दी का अस्पताल, बी0एम0ओ0 कार्यालय चण्डी, डॉक्ट्र्स क्वाट्र्स, घ्यान व चुनड़ी पुल आदि विकास कार्यों के पैसों को डायवर्ट कर दिया था और वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक दून विधान सभा क्षेत्र में इन सभी का निर्माण कार्य बंद पड़ा था।

27.11.2025/1135/वाई.के.-एन.जी./2

वर्ष 2022 में जब हमारी सरकार बनी तब हमने इन सभी कार्यों का रिव्यू किया और पाया कि किसी में 4 करोड़ रुपये चाहिएं तो किसी में 3 करोड़ रुपये चाहिएं। माननीय मुख्य मंत्री ने इन सभी कार्यों के लिए धनराशि का प्रावधान किया और इनके निर्माण कार्यों को पुनः आरम्भ करवाया। कुछ दिनों पहले ही माननीय मुख्य मंत्री ने इन सभी कार्यों का विधिवत उद्घाटन किया है। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने अपनी सरकार में जिद्द से कार्य किया है और पूर्व के कांग्रेस विधायकों ने जिन विकास कार्यों को शुरू करवाया था उन्हें बंद करने का ही काम किया है। मैं श्री जय राम ठाकुर जी को सलाह देना चाहता हूं कि 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देखना बंद कर दें। वर्तमान प्रदेश सरकार दिन-रात आमजन के हित के कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 6 गारंटियों को पूरा

किया है। विपक्ष के लोग महिलाओं को 1500 रुपये देने की गांरटी की बहुत बात करते हैं और मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बहुत शीघ्र 1500 रुपये देने वाली है। जिस दिन हमारी सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये देने आरम्भ कर दिए तो विपक्ष के साथी यह समझ लें कि इनका सूपड़ा साफ़ हो जाएगा। मण्डी जिला से अभी विपक्ष को 9 विधायक जीते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में मण्डी जिला में विपक्ष के 3-4 विधायक ही जीत पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से डर रही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सत्तापक्ष चुनावों से नहीं डर रहा है बल्कि सत्तापक्ष व्यवस्था परिवर्तन के तहत सभी गलत नियमों को ठीक करके पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को करवाने के पक्ष में है। पिछले कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे क्षेत्र में एक पंचायत में ओ0बी0सी0 के केवल एक प्रतिशत लोग रहते हैं और उसे ओ0बी0सी0 आरक्षित कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि नगर निकायों में ओ0बी0सी0 आरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक लोगों ने माननीय कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं

27.11.2025/1135/वाई.के.-एन.जी./3

क्योंकि नगर निकायों को अभी तक ओ0बी0सी0 का आरक्षण नहीं दिया जाता। अभी तक केवल पंचायती राज संस्थाओं को ही ओ0बी0सी0 आरक्षण दिया जाता रहा है। अभी हमारे पास वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ें उपलब्ध हैं। मेरे क्षेत्र के कुछ गांवों में एस0सी0 बस्तियां हैं और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वहां पर एक भी एस0सी0 जनसंख्या नहीं है। इस प्रकार से यह जनगणना गलत प्रतीत होती है। हमारे पंचायती राज विभाग ने आरक्षण के लिए जो सूचियां बनाई हैं उनमें पाया गया कि कई स्थानों पर पिछले तीन टर्म्स

से महिला आरक्षण मिल रहा है और इस बार भी वह महिला आरक्षण के तहत आ रहा है। हमारे माननीय विधायकों ने सी0एल0पी0 में इस संदर्भ में प्रश्न किया कि बार-बार या दो बार से

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

27.11.2025/1140/पी0बी0/ऐ0जी0-1

श्री राम कुमार.....जारी

दो बार से ज्यादा किसी भी सीट का आरक्षण नहीं होना चाहिए। वर्ष 2011 के रोस्टर में कई विसंगतियां हैं जिसे प्रदेश सरकार द्वारा ठीक करना है। वर्तमान में प्रदेश सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसके लिए पूर्व की भाजपा सरकार जिम्मेवार है। पूर्व की सरकार का लगभग पूरा समय घोटालों का रहा है चाहे वह ज़मीन का आबंटन हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की खरीद हो या चाहे हिमकेयर कार्ड हो। हिमकेयर कार्ड की सुविधा उन गरीब लोगों को दी गई थी जिन्हें स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है लेकिन पिछली सरकार ने जिन डॉक्टरों की एक लाख रुपये इंकम नहीं थी...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना वक्तव्य कृपया पंचायती राज तक सीमित रखें। It's not a Budget Session.

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, उन डॉक्टर्ज के अस्पतालों के लिए इंसेंटिव पैकेज जारी किए जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ...(व्यवधान)

Speaker: Please confine yourself to the issue, otherwise nothing will go on record. If you will speak out of the issue, then I will not permit you to speak. ...(Interruption) This is a caution to everybody.

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, यदि इन सब चीजों की जांच होगी तो विपक्ष को पता चलेगा कि इनकी स्थिति क्या होगी?...(व्यवधान) पिछले कल सदन में हिमकेयर और एच0आर0टी0सी0 के ड्यूज़ की बात उठी थी। मैं उस का भी जवाब दूंगा। विपक्ष जो भी मामले सदन में उठा रहा है उसका जवाब देना हमारा काम है।

Speaker: Please, please.

श्री राम कुमार: अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष कह रहा है कि सरकार चुनाव से भाग रही है, इस संदर्भ में विपक्ष को पंचायती राज चुनाव परिणाम के बाद वास्तविकता का बोध होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 80 प्रतिशत पंचायत प्रधान कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने धरातल पर काम किया है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। पूर्व की सरकार ने पंचायतों को दो, चार या दस लाख रुपये से अधिक की राशि नहीं दी होगी लेकिन मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र की 36 पंचायतों को लगभग एक से तीन करोड़ रुपये की राशि दी है और हमने आपके समय के रुके हुए तमाम कार्यों को पूर्ण किया है। पिछले कल माननीय सदस्य त्रिलोक जम्वाल जी ने एच0आर0टी0सी0 के ड्यूज़ की बात की थी। वह कह रहे थे कि यदि आप एच0आर0टी0सी0 की बसें लेकर जाएंगे तो वे आपका क्या हश्र करेंगे, वे धर्मशाला में आपका स्वागत करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि

27.11.2025/1140/पी0बी0/ऐ0जी0-2

जब वर्ष 2022 में हमारी सरकार सत्ता में आई तो तब से लेकर आजतक जितने भी एच0आर0टी0सी0 के कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनके तमाम ड्यूज दे दिए गए हैं। यदि कोई ड्यूज़ बचे हैं तो वह वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक के हैं। ...(घण्टी) मैं माननीय जय राम जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिए जब आप दिल्ली जाएं और उन्हें बताएं कि हमने समय से ड्यूज नहीं दिए हैं। आप कृपा करके एच0आर0टी0सी0 कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार से कोई विशेष पैकेज़ लाएं ताकि उनके ड्यूज़ दिए जा सकें। इन ड्यूज़ के लिए हमारी सरकार नहीं बल्कि पूर्व की भाजपा सरकार जिम्मेवार है। ...(व्यवधान) आपने उन कर्मचारियों को जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हिमाचल की सेवा में लगा दी, रिटायर कर दिया और हार डाल कर घर भेज दिया। पूर्व की सरकार ने उनकी जो ग्रेच्यूटी कटी थी उसमें से एक रुपया भी नहीं दिया। यह आपके समय के ड्यूज़ हैं। अगर आपको ये पाप धोने हैं तो आप दिल्ली की केंद्र सरकार से पैसा लाइए और वहां से पैसा लाकर कहिए कि ये हमारी सरकार के समय के ड्यूज़ है जिन्हें हम कर्मचारियों को देना चाहते हैं।...(घण्टी) ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि केंद्र की वर्ष 2023 की डिजास्टर की टीम ने जो 9300 करोड़ रुपये असेस किए थे वह भी प्रदेश को नहीं मिले हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी और वह भी प्रदेश को

अभी तक नहीं मिले हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को आपने प्रदेश की लाखों की ज़मीन को कोड़ियों के, एक रुपये के दाम में देकर इस स्तर पर पहुंचा दिया है और इसी कारण आज प्रदेश सरकार की यह दशा हुई है। ...(व्यवधान) ...(घण्टी)

Speaker: Please wind-up.

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए धन की जरूरत है...(व्यवधान) जिसे पूर्व की सरकार ने लुटा दिया। अब हमारी सरकार उस धन को इकट्ठा कर रही है और मुख्य मंत्री जी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने नियमों में बदलाव कर सामाजिक सुरक्षा में काफी प्रगति की है। इन्होंने पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। वर्तमान सरकार आमजन और गरीबों के लिए काम कर रही है। मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थान के चुनाव करवाने हैं और हम व्यवस्थित तरीके से यह चुनाव करवाएंगे। इस बारे में प्रदेश सरकार को भी जानकारी है। ...(व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी का ...... **श्री ए0पी0 द्वारा जारी...**

27.11.2025/1145/A.G/A.P-01

श्री राम कुमार जारी .....

अध्यक्ष महोदय, हमारा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे सभी रोड्स, जिन पर बसें चलनी थीं, उन सभी रोड्स को बहाल कर दिया गया है।

Speaker: Please conclude.

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो हमारे रोड्स हैं वे बह गए हैं। जिन पैदल रास्तों से हमारे ग्रामीण लोग चलते हैं वे लगभग बह गए हैं। हमारे स्कूल जिनमें पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं और जिनमें मतदाता वोट डालते हैं वे अभी जर्जर अवस्था में हैं।

Speaker: Please conclude

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर उन स्कूलों में ऐसे ही व्यवस्था रही और अगर हमारे ग्रामीण रास्तों को बहाल नहीं किया जाएगा, उनको पुनः ठीक नहीं किया जाएगा तब तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट देने का अधिकार सभी को है। अगर हम अभी पंचायती राज चुनाव करवाते हैं तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं क्योंकि आपदा के दौरान उनके घरों को नुक्सान हुआ था।

Speaker: Please conclude.

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह उन लोगों के साथ बेईमानी होगी और जब तक यह सिस्टम ठीक नहीं हो जाता तब तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टाले जाए। मैं यही कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की चिंता से अधिक इन्हें अपनी चिंता है। विपक्ष को

27.11.2025/1145/A.G/A.P-02

काम रोकने की चिंता है। इतने महत्वपूर्ण विषयों पर विधान सभा कम कर रही है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : इश्यू पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित है। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत का कार्यकाल अभी 23 जनवरी को समाप्त होगा। 23 जनवरी से पहले पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए। यही प्रस्ताव का आश्य है। अभी तो within the parameters of law/Constitution है परन्तु आप यह चाह रहे हैं कि टर्म से पहले ही पंचायती चुनाव हो जाए इसलिए let us confine your viewpoint to this angle only. सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी कह रहे थे और उससे पहले मैंने भी कहा था कि पंचायतों के चुनाव के लिए डिप्टी कमिश्नर को

आदेश दिया है कि आप अपने चुनाव की सामग्री, बैलट पेपर आदि ले जाए। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य को ध्यान रखना चाहिए कि बैलट पेपर तो नामांकन के बाद ही छपते हैं जबकि मैंने नोटिफिकेशन का उल्लेख किया था।

अध्यक्ष : कोई बात नहीं इसका जवाब मुख्य मंत्री जी देंगे। ...(Interruption) Ram Kumar is not a person to reply to all queries which you have raised. This will be replied by the Hon'ble Chief Minister and the Minister concerned while replying to the whole debate. Please take your seat. ...(Interruption)

श्री त्रिलोक जम्वाल : मैं सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

Speaker: What clarification and from whom? Ram Kumar is not a competent person to reply to all queries. ...(Interruption) उनको बोलने दो आप पेशे से वकिल तो है।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मै सिर्फ नोटिफिकेशन कोट करना चाहूंगा।

27.11.2025/1145/A.G/A.P-03

अध्यक्ष: इससे डिबेट इधर-से-उधर हो जाएगी, बोलिए आप नोटिफिकेशन।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, यह नोटिफिकेशन है, स्टेट इलैक्शन कमीशन, हिमाचल प्रदेश, Election Matter, Most Important और उसमें विषय है। पहले all Deputy Commissioners को लिखी है। विषय है - Supply of Election Material and Ballot Papers.

अध्यक्ष : हां, यह तो एडमिटिड फैक्ट्स है। ऐसा है कि आपका इशू है कि हमारा जो स्टेट इलैक्शन कमीशन है, उसके साथ सरकार की कन्फ्रटेशन क्यों है। This is the issue. The Hon'ble Chief Minister will reply to all those issues. Please take your seat. माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह वर्मा जी।

27.11.2025/1145/A.G/A.P-04

श्री बलवीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नियम -67 के तहत माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी पंचायती राज चुनावों को डैफर नहीं किया गया है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

27.11.2025/1150/AT/AS-01

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी...

ऐसे समय में भी डैफर नहीं हुए थे जब पूरे विश्व में कोरोना था। पूरे कोरोना काल में भी आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने एक दिन भी पंचायती राज इलेक्शन डैफर नहीं किए। उस समय हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया फाइनेंशली क्राइसिस से गुजर रही थी और बहुत सारी दिक्कतें थीं। उसके बावजूद भी कोरोना काल में एक दिन भी इलेक्शन डैफर नहीं हुए और पंचायती राज के इलेक्शन, पंचायत के विकास में, गांव के विकास में, घर-घर के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यक्ष महोदय बहुत ही दुःख के साथ यह बात कहनी पड़ रहा है कि कभी माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि नई पंचायतें बनाएंगे, कभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय कहते हैं कि डीलिमिटेशन करेंगे। इन्होंने नई पंचायतों के इतने प्रस्ताव मंगवाए, लेकिन उसके बावजूद एक भी पंचायत नहीं बनाई और

हर पंचायत में झगड़ा पैदा कर दिया। अब पंचायतों में कुछ लोग बोलते हैं कि यह लोग नहीं होने दे रहे हैं।

मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में 400 से अधिक पंचायतें बनाई थीं जिनसे पंचायतों और गांवों में हर घर तक विकास पहुंचा था। गरीब, वंचित, शोषित के लिए पंचायती राज में जितनी भी योजनाएं हैं वह पंचायत के माध्यम से ही पहुंचती हैं। चाहे केंद्र व प्रदेश सरकार की दोनों योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी संस्थान से मिलता है तो वह सिर्फ पंचायती राज से होता है। जिस तरह से अभी राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार का झगड़ा फैला हुआ है इसमें मेरा मानना है कि राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के तहत अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर रहा है जबकि सरकार पंचायती राज इलेक्शन से बच रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जिस तरह से बिहार के रिजल्ट आए और जिस तरह से उसमें कांग्रेस का बिहार में सफाया हुआ, उसी डर से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कैबिनेट में लाकर एक सनसनी हिमाचल प्रदेश में ओर फैला दी कि अभी हिमाचल प्रदेश में पंचायत की डीलिमिटेशन होनी है। जैसे जम्वाल जी कह रहे थे कि डीलिमिटेशन की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने क्लियर करके आगे बढ़कर सामान उठाने के लिए

27.11.2025/1150/AT/AS-02

डी0सी0 को ऑर्डर तक कर दिए गए थे और डी0सी0 ने इलैक्शन का सामान उठाना था लेकिन उसके बावजूद आपने सिर्फ इसे डैफर करने के लिए संविधान और कानून का गला दबाया है। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के गांव के लोग इसे बड़ी बारीकी से देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी बीच हिमाचल प्रदेश में डिज़ास्टर जून से शुरू हुआ, जुलाई में आया, अगस्त में आया और सितंबर में आया। जैसे ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की और डी0सी0 को यह आदेश दिए कि रिजर्वेशन रोस्टर निकालें, क्योंकि रिजर्वेशन के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने पहले

आदेश दिए हैं कि तीन महीने पहले रिजर्वेशन रोस्टर निकालना पड़ेगा और तीन महीने बाद ही इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जैसे ही पंचायती राज सेक्रेटरी ने सभी डी0सी0 को यह आदेश दिए कि आप रिजर्वेशन रोस्टर निकालें और जैसे ही सरकार को इसकी जानकारी मिली,सरकार ने 8 अक्टूबर को प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया।

एम0डी0 द्वारा जारी ......

27-11-2025/1155/AS/MD/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा----जारी

जब सरकार को यह पता लगा कि अब किसी भी तरीके से वे चुनाव में नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर लगातार चार महीनों तक आपदा की स्थिति थी और मैं समझता हूं कि आपने केवल चुनाव स्थगित करने के लिए यह बहाना ढूंढा है। गांव का हर व्यक्ति इस बात को बहुत बारीकी से देख रहा है। वर्ष 2022 में आपने झूठी गारंटियां दी थीं। महिलाएं 1500 रुपये की उम्मीद में तीन वर्ष से हर हफ्ते बैंक खाते की जांच कर रही हैं कि कहीं पैसे आए तो नहीं? परंतु तीन वर्षों से उनका वह पैसा नहीं आया। किसान गोबर का पैसा देख रहे हैं, किसान दूध का पैसा देख रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की गरीब, वंचित व शोषित जनता यह देख रही है कि बिजली बिल में 300 यूनिट तक बिजली फ्री कब देंगे। इन सभी बातों का हिसाब आपको पंचायती राज चुनाव में मिलना था। लोगों को उप-चुनाव में उम्मीद थी कि कुछ-न-कुछ होगा, परंतु अब साफ हो गया है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। आपने 1500 रुपये वाले जितने फॉर्म भरवाए थे, जनता ने वे अभी तक संभालकर रखे हैं और पंचायती राज चुनाव में आपको उसका पूरा हिसाब-किताब मिलना था। आपने जो पंचायती राज चुनाव स्थगित किए उसका कारण डिज़ास्टर नहीं है। अगर सच में डिज़ास्टर होता तो सारे स्कूल बंद होते। हिमाचल प्रदेश के माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ आठ सड़कें बंद हैं। मैं अपने चुनाव क्षेत्र कुपवी की बात करता हूं। जब वहां एक भी पंचायत में सड़क नहीं थी और लोगों को 40-40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था तब भी पंचायती राज चुनाव एक दिन के लिए भी

स्थगित नहीं हुए थे। आज कुपवी की हर पंचायत सड़क से जुड़ी है, सारी सड़कें खुली हैं और अब आप कह रहे हैं कि आपदा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा, अभी चुनाव स्थगित नहीं हुए हैं। चुनाव करवाने के लिए 45 दिन का समय होता है और 23 जनवरी अंतिम तिथि है। 45 दिनों के लिए अभी बहुत दिन बचे हुए हैं।

27-11-2025/1155/AS/MD/2

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे चौपाल चुनाव क्षेत्र में वर्ष 2020 में मेरे ब्लॉक के चुनाव नहीं हुए थे, सिर्फ चौपाल ब्लॉक के चुनाव वर्ष 2020 में डैफर हुए थे। उसी मामले में हाई कोर्ट की डबल बैंच ने एक जजमैंट दी है। मैं वही जजमैंट साथ लाया हूं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि चुनाव से 90 दिन पहले रोस्टर डिक्लेयर करना अनिवार्य है। अगर 90 दिन पहले रोस्टर डिक्लेयर नहीं किया गया तो माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। जजमैंट में बिल्कुल क्लीयर लिखा है कि 90 दिन से पहले रोस्टर घोषित करना पड़ेगा, उसके बाद ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। इन 90 दिनों में या तो हाई कोर्ट की अवमानना होगी या फिर चुनाव स्थगित होंगे, दो में से एक स्थिति निश्चित है। मैं इस जजमैंट के संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र की कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो 35 वर्षों से ओपन नहीं हुई हैं। कृपया माननीय मुख्य मंत्री भी ध्यान दें, मैं नाम लेकर बता रहा हूं कि बागड़ी पंचायत 35 वर्षों से ओपन नहीं हुई है। थाना पंचायत 35 वर्षों से ओपन नहीं हुई और एस0सी0 को वहां से एक बार भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हर 10 वर्षों बाद आप रोस्टर बदल रहे हैं। वर्ष 2000 में रोस्टर बदला, वर्ष 2010 में बदला और अब वर्ष 2025 में फिर बदल दिया। मेरी आपसे विनती है कि जिन पंचायतों में जिस कैटेगरी के लोग रहते हैं, उन सभी कैटेगरी को पंचायत में प्रतिनिधित्व का समान मौका मिलना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अगर रोस्टर इसी तरह हर 10-15 वर्षों में बदलते रहेंगे तो कुछ पंचायतें ऐसी बनी रहेंगी जो 50 वर्षों तक भी ओपन नहीं होंगी। मैं प्रमाण के साथ इस माननीय सदन में कह रहा हूं कि 35 वर्षों से जब यह नहीं

हुआ तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा अगर रोस्टर इसी तरह हर 10-15 वर्षों में बदलते रहेंगे। हमारी पंचायतों में पांच कैटेगरीज हैं एस0सी0, एस0टी, ओ0बी0सी0, महिला और सामान्य। इन पांचों कैटेगरीज का सही रोटेशन तभी संभव है जब रोस्टर 25 वर्षों तक नहीं बदला जाएगा। लेकिन अभी रोस्टर बीच में ही बदल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर थाना पंचायत 35 वर्षों से एस0सी0 को गई ही नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस रोस्टर को बार-बार न बदलें।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

27.11.2025/1200/केएस/डीसी/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी ---

रोस्टर बीच में चेंज हो रहा है। इसमें बहुत से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि थाना पंचायत 35 साल में एस.सी. को नहीं गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस रोस्टर को आप चेंज न करें। जो रोस्टर लगा हुआ है, सभी श्रेणियां जब तक उसमें नहीं आएंगी, तब तक इसको आप चेंज न करें, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी दून के माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने 12.11.2025 को दिन के साढ़े बारह बजे सचिवालय में एक मीटिंग बुलाई कि हमने तीन साल का जश्न मनाना है। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ तो पैंशनरों को पैंशन नहीं मिल रही है और उनके मैडिकल के भत्ते नहीं मिल रहे हैं। आउटसोर्स वालों को तीन-तीन महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। आपकी पंचायतों में बहुत सारे डवलपमेंट के कार्य रुके पड़े हैं। मुख्य मंत्री जी, हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा इतिहास बना है जिसमें बैकवर्ड एरिया सब प्लान के लिए आपने इस वित्तीय वर्ष में एक भी पैसा नहीं दिया। डिसैंट्रेलाइज्ड प्लानिंग के लिए एक भी पैसा आपने नहीं दिया। अगर दिया है तो उसकी पावर अपने पास रखी है कि आपकी घोषणा के बाद देंगे। ठीक है, वह आपकी पावर है परंतु मेरा ब्लॉक कुपवी बैकवर्ड एरिया है। वहां के लिए आपने इस

वित्तीय वर्ष में बैकवर्ड एरिया सब प्लान से एक भी पैसा नहीं दिया। मेरी विनती है कि गांव के लिए जो पैसे डवलपमैंट के लिए जाने हैं, वे ज़रूर जाने चाहिए। आप जो यह जश्न मना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की ट्रेज़री से उसका सारा खर्चा उठाया जाना है। एक तरफ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है दूसरी तरफ आप ऐसा जश्न मना रहे हैं? लैटर में लिखा गया है कि वह सारा खर्च डिजास्टर के पैसे से होगा। वह चाहे गलती से लिखा गया होगा या जानबूझकर लिखा होगा परंतु डिजास्टर के पैसे से देश की किसी भी सरकार ने जश्न नहीं मनाया होगा। जब हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट में है तो सरकार की तिजोरी से इसको नहीं मनाया जाना चाहिए, यह मेरी माननीय मुख्य मत्री जी से विनती है। इसके अलावा जिस तरह से कहा जा रहा है कि खाने-पीने, बसों, टैंट आदि की सारी व्यवस्था तथा

27.11.2025/1200/केएस/डीसी/2

कल्चरल एक्टिविटीज़ की व्यवस्था भी सरकारी खर्चे से होगी, मेरी विनती है कि सरकार की तिजोरी को इस तरह से ना लुटाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपने पंचायती राज में इलैक्शन पोस्टपोन किए तो मेरे चुनाव क्षेत्र में जो मनरेगा में बहुत से लोग काम करते हैं और 68 के 68 चुनाव क्षेत्रों में ही लोग मनरेगा में काम करते हैं, उनके लिए इससे बहुत मुसीबत हो जाएगी। पंचायती राज में एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्यूडिशरी पावर दोनों चुने हुए प्रतिनिधि के पास होती है। जिन रास्तों का काम चला हुआ है, जो दिहाड़ियां लगनी हैं, मनरेगा तथा बहुत सारी सैंटर और स्टेट की योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य चले हुए हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? जो मनरेगा में दिहाड़ी करके शाम को आटे व चावल की व्यवस्था करता है, जिस तरह से आप पंचायत के चुनावों को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, मुख्य मंत्री महोदय, यह गरीब, वंचित व शोषित के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का काम है और मैं समझता हूं कि इसमें चम्बा व चौपाल जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं होगा कि चार महीने के लिए लोग दिहाड़ी करना बंद कर देंगे। उसमें आनलाइन हाजरी

लगती है। प्रधान जाता है, एक सिस्टम बना हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो जाएंगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.11.2025/1205/av/dc/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा-------- जारी

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की बहुत सारी गतिविधियां चली हुई हैं,वे सारी गतिविधियां रुक जाएंगी।

यहां पर वित्तीय स्थिति के बारे में बहुत सारी बातें कही गईं। एक माननीय मंत्री बोलते हैं कि केंद्र सरकार से बहुत पैसा आ रहा है और वे उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्रदेश को समग्र शिक्षा के तहत बहुत पैसा मिला है और इसी वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा के अंतर्गत 11 बार पैसा मिल चुका है। ...(व्यवधान) काम दिख तो रहा है परंतु चंद क्षेत्रों में दिख रहा है। लेकिन इस बारे में हम सारी बातें बाद में करेंगे। मुख्य मंत्री जी, अभी मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि आपके तीन वर्ष के कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को लगभग 4,800 करोड़ रुपये मिले हैं। अगर इस योजना के अंतर्गत यह पैसा नहीं आता तो गांवों का सारा विकास कार्य ठप हो जाना था।

हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की 31 योजनाओं से हर वित्तीय वर्ष में पैसा आ रहा है। उसी पैसे से प्रदेश के हर विभाग के अंतर्गत विकास की गति बढ़ रही है। अगर डिजास्टर के तहत केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपये नहीं आते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की आधी सड़कें आज भी बंद होती।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में बिजली और जल जीवन मिशन के अंतर्गत पैसा आया है जिससे प्रदेश में विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। ...(व्यवधान) मैं माननीय सदन के अंदर जो अभी बात रख रहा हूं, यह गरीब, वंचित, शोषित तथा मनरेगा के अंतर्गत काम

करने वाले मज़दूर जोकि अपनी दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए जूझ रहे हैं, मैं यहां मुख्य मंत्री के सामने उनके दर्द को रखना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी, अभी भी समय है। आप कानून के दायरे में चुनाव डिक्लेयर करके जल्दी-से-जल्दी पंचायती राज के चुनाव करवाइए। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तभी होगा जब गांवों की सरकार बनेगी। हमारे गांवों की सरकार बनना जरूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गांवों की सरकार का गला दबा दिया तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो रही सारी विकासात्मक गतिविधियां रुक जाएंगी।

27.11.2025/1205/av/dc/2

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

अध्यक्ष : आज की रिवाइज्ड लिस्ट में कांग्रेस विधायक दल की ओर से पांच नाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने के लिए एक नाम शेष रहता है।

मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री बलबीर सिंह वर्मा चौपाल विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं और यह भी सही है कि इनकी वीडियो वहां पर अच्छे से चलेगी। आपने अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए बोलना होता है और आपने बोला भी है। परंतु मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपना दर्द भी सुनाया है और हमारी सरकारी दर्द की दवा देने के लिए ही बैठी है। आपने जैसे अपना 35 वर्ष पुराना दर्द सुनाया कि एक पंचायत 35 वर्ष पुरानी है और वह कभी ओपन ही नहीं हुई है या फिर कोई 35 वर्षों से रिज़र्व ही नहीं हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब त्रुटियां हैं और हम इन सभी त्रुटियों को विस्तृत रूप से ठीक करना चाहते हैं। इनके ठीक होने के बाद ही चुनाव होने चाहिए, आपने यह बात अपने आप कही है। चुनाव सही तरीके से होना चाहिए। आपने देखा होगा वहां लोग स्नोफॉल के बावजूद वोट डालने आते हैं और वे स्नोफॉल में भी चुनाव चाहते हैं। परंतु हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की भागीदारी अधिक हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इन त्रुटियों को नियमों के अुनसार दूर करने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर 5,000 करोड़ रुपये आए होते तो आपको रोने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। आप जो 5,000 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं, मुझे आप यह बताइए कि यह 5,000 करोड़ रुपये की राशि कहां से लेनी है ताकि उसमें से मैं आपको भी कुछ राशि दे सकूं। ...(व्यवधान) मैं वर्ष 2023 से ही बोल रहा हूं और वर्ष 2023 से ही नहीं बल्कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से 5,000 करोड़ रुपये की राशि कहां आई है, आप हमें उसे दीजिए। ...(व्यवधान) आप कागज लाइए न। ...(व्यवधान) श्री बलबीर वर्मा जी की तो पकड़ ही बहुत है। मैं सच्चाई बता रहा हूं कि पूरे सचिवालय में इनसे ज्यादा पकड़ किसी की नहीं है। **टी सी द्वारा जारी**

27.11.2025/1210/टी0सी0वी0/एच0के0/-1

मुख्य मंत्री.... जारी

इन्होंने सबको फ्लैट दिए हुए हैं। जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है उनको भी इन्होंने फ्लैट दिए हुए हैं। यह अच्छी बात है और आप अपनी मेहनत से फ्लैट बनाते हैं और आगे बेचते हैं। उनको कहना कि जब इलेक्शन कमीशन ने पंचायतीराज चुनाव से संबंधित नोटिफिकेशन दी है तो 5,000 करोड़ की नोटिफिकेशन भी लेकर आएं। यह कहना कि 5,000 करोड़ आया है तो आपको इससे 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा मिले थे लेकिन इन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जो हालत कर दी थी, उसे हम ठीक कर रहे हैं।

दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि बिहार इलेक्शन के साथ ही लोकसभा और विधान सभा के चुनाव हुए थे। इसलिए ख्वाब में मत रहना और दिन में सपने मत देखना। अभी 2 साल है और अगर सपने देख रहे हो तो अच्छी बात है। आप जितना मर्जी केंद्र से हमारे पैसे रुकवा लो, जितना मर्जी आर्थिक संकट में डाल दो, हम चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे और उनसे उबर कर आएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने आपके दर्द को समझा है। कई जगह रिजर्वेशन की समस्या है। कई माननीय सदस्य अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी प्रस्ताव आया है। पिछली बार आपकी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बीस-बीस साल से एक ही पंचायत रिजर्व है, कभी महिला के लिए रिजर्व है, कभी किसी और के लिए रिजर्व है

तथा जनरल नहीं हुई है। हम इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। इस समय चुनावों से संबंधित जो बात रणधीर जी लाए हैं उस संदर्भ में भी आप थोड़ा बोल देते तो अच्छा होता। यह किस नियम के तहत हमने किया है यह मैं अपने जवाब में बताऊंगा। इस समस्या को आपने ध्यान में लाया और यह अच्छी बात है। मैं बलबीर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और जो पंचायतें रिजर्व नहीं है यानी अनरिजर्व है उस मामले में भी सरकार गम्भीरता से विचार करेगी।

27.11.2025/1210/टी0सी0वी0/एच0के0/-2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र से तीन साल में 5,000 करोड़ रुपया नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय राजस्व मंत्री जी यहां बैठे हैं। तीन साल के कार्यकाल में एस0डी0एफ0, एन0डी0एफ0 और अब पी0डी0एन0ए0 का कुल कितना पैसा आया है। क्या यह 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो उसी की चर्चा श्री बलबीर वर्मा जी कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा नहीं आया है। इसलिए मुख्य मंत्री जी आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना नहीं चाहिए और तथ्य सामने आने चाहिए। इसका उत्तर भी पिछले सत्र में एक प्रश्न के संदर्भ में आया था जिसमें 4,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि दिखाई गई थी। दूसरी बात श्री बलबीर वर्मा जी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि सरकार ने कहा कि नये सिरे से रोस्टर शुरू होगा। जब नये सिरे से रोस्टर शुरू होगा तो उसके कारण यह प्रॉब्लम आएगी। इसलिए रोस्टर हर 5 साल में चेंज होता रहे तो बारी-बारी सबकी टर्न आएगी। अगर आप रोस्टर शुरू से लागू करेंगे तो जो समस्या ये बता रहे हैं, वह आती रहेगी। यही इनका आशय था। आप त्रुटियों को दूर करना चाहते हैं तो आपने जो निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करें लेकिन वह समय निकल गया है। यदि अब करेंगे तो समय पर चुनाव नहीं होंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि समय पर चुनाव होंगे और दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहे हैं। रोस्टर जारी नहीं कर रहे हैं और मतदाता सूचियां पब्लिश नहीं कर रहे हैं तो चुनाव प्रक्रिया कब शुरू होगी। इसके लिए पंचायतीराज एक्ट में तय है कि इसमें 150 दिन का समय लगेगा। इस तरह से यह कार्य कैसे पूरा होगा? इसलिए टालमटोल

नहीं करनी चाहिए। चर्चा को इधर-उधर नहीं भटकाना चाहिए और विषय पर बात होनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी आपसे हमें यही उम्मीद है कि जब आप उत्तर दें तो इन सारी बातों को क्लीयर करें।

27.11.2025/1210/टी0सी0वी0/एच0के0/-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं चुनावों की चर्चा का विस्तृत उत्तर दूंगा लेकिन श्री रणधीर शर्मा जी ने जो सवाल पूछा है उस पर मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। मैं बताना चाहता हूं कि एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 में डिजास्टर के समय पूरे राज्य में पैसा आया हो या न आया हो लेकिन 360 करोड़ रुपया हर साल आता है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

27-11-2025/1215/NS-HK/1

मुख्य मंत्री -----जारी

मैं आपको वही कैलकुलेशन दे रहा हूं। पिछले तीन वर्षों में आपकी सरकार के समय भी 1500 करोड़ रुपये आए और हमारी सरकार के समय भी आएगा। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए। जो मैं कह रहा हूं आप उसको लिख लेना। हर वर्ष एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 की पहली किस्त 180 करोड़ रुपये की जून माह में आती है और फिर दिसम्बर माह में 180 करोड़ रुपये की किस्त आती है। कुल मिलाकर 360 करोड़ रुपये हो गए। उसके बाद पी0डी0एन0ए0 के अभी तक सिर्फ 451 करोड़ रुपये आए हैं। आपने जो 2200 करोड़ रुपये की बात की थी तो उसमें 500 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार ने देने हैं और 1500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने देने हैं। केंद्र सरकार ने 9300 करोड़ रुपये का एस्टिमेट बनाया था। आप जो 5000 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं वह गलत है। मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लो। श्री रणधीर शर्मा जी आपको कुछ और पूछना है।

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी आप क्या पूछना चाहते हैं? ...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : ...(व्यवधान) श्री संजय अवस्थी जी मैं आपकी परमिशन से न बोल रहा हूं और न ही चुप रहूंगा। अध्यक्ष महोदय ने समय दिया है तो मैं उनकी परमिशन से बोलूंगा। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये अनेक विषयों पर आया है। मुख्य मंत्री जी, आप इस विषय को जरूर देखें। जब मुख्य मंत्री जी माननीय सदन में भाषण में देते हैं, प्रदेश के अंदर या बाहर प्रैस कॉन्फ्रैंस करते हैं तो आंकड़े कुछ और होते हैं। जब माननीय सदन के अंदर प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो उत्तर कुछ और होते हैं। ये आंकड़ों का हेरफेर क्यों होता है? यह बात ठीक है कि विधायक रैली या जनसभा में जोश में कुछ बोल जाएं परन्तु मुख्य मंत्री जी जो आंकड़े बोलते हैं वे बिल्कुल सही हों और विधान सभा में भी प्रश्नों के उत्तर सही होने चाहिए। राजस्व मंत्री जी ने भी उत्तर दिया है क्योंकि आज आपदा का विषय नहीं है। जब आपदा पर चर्चा आएगी तब मैं सारे आंकड़े रख दूंगा कि पिछले तीन वर्षों में कितना पैसा एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 का आया? मैं सारे आंकड़े रख दूंगा। मुझे याद है कि पिछले सत्र में ही एक प्रश्न के उत्तर में 4500 करोड़ रुपये बताए गए थे और

27-11-2025/1215/NS-HK/2

बाकी इस वर्ष भी पैसा आया है तो कुल मिला कर 5000 करोड़ रुपये से ऊपर होगा। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि विभाग से आप भी जानकारी ले लिया करें। बाकी हम भी तैयारी करके ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी आप अनपढ़ मत समझें। हम भी आपके साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इकट्ठे ही पढ़ते थे। कक्षाएं आप भी कम लगाते थे और हम भी कम लगाते थे परन्तु ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं थे। आपने भी लॉ की है और मैंने भी लॉ की है। कल एक विषय और आया था। सरकार कह रही है कि हम मण्डी में जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि विज़न बता रहे हैं। विज़न तो शुरू में बनता है, इनका विज़न तो पांच वर्ष बीत जाने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि परसों मुख्य मंत्री जी ने उस कार्यक्रम को लेकर मीटिंग ली और उस मीटिंग की जो प्रोसीडिंग जारी हुई तो उसके हैडिंग में लिखा है कि Celebration of the completion of three years term of the

present Government. अब खैर मैं भी अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में कमजोर हूं और मुझे लगता है कि आपकी भी अंग्रेजी कमजोर है। मैं जानना चाहता हूं कि सेलिब्रेशन का अर्थ विज़न है या जश्न है। आप बार-बार विज़न बोल रहे हैं ...(व्यवधान) इसको थोड़ा क्लीयर किया जाए।

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी, आपकी बात आ गई है। आप केवल पंचायती राज के बारे में बोलें। Let's we are not discussing that issue.

श्री रणधीर शर्मा : यह आपकी प्रोसीडिंग है। अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार इसी चर्चा में आ रहा है और मुख्य मंत्री जी ने दो बार खड़े होकर बोला है। जबकि यह जश्न आपने ही तय किया है। आप ही वहां पर कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं। आप ही वहां पर डिजास्टर के फण्ड्ज से लोगों को खाना खिलाने की बात कर रहे हैं तो आप कितने सीरियस है, यह तो आप जानो। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह यह है कि माननीय सदन की गरिमा बनाए रखें। मुख्य मंत्री जी सदन में सही आंकड़े रखें। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री -----आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

27.11.2025/1220/RKS/DC-1

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य आप राजनैतिक बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको राजनैतिक भाषा में ही जवाब दे रहा हूं। मैं आपको आंकड़ों के बारे में बता रहा हूं। मैं आपको कॉरैक्ट करना चाहता हूं कि चाहे आपदा आए या न आए NDRF और SDRF में हर साल प्रत्येक राज्य को 360 करोड़ रुपये स्वीकृत होते हैं। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। जब वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में आपदा नहीं आई थी तब भी यह राशि जारी की गई थी। इसके अलावा 451 करोड़ रुपये PDNA में आए। आप जो 4500 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं वह आपदा राहत पैकेज प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। मैं बस यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के तहत विपक्ष के साथियों ने जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। वैसे तो rare case में ही इस नियम का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अब इन्होंने यह परम्परा बना दी है कि चाहे कोई भी बात हो उसे नियम-67 के तहत उठाया जाए। आप इस नियम की गंभीरता देखिए कि जिस विषय को लेकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है,उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई है। श्री रणधीर शर्मा जी इस चर्चा के प्रस्तावक हैं और इन्होंने काफी विस्तार से बातें की लेकिन ये चुनाव के बारे में कुछ भी नहीं बोले। ये NDRF और SDRF के बारे में बोल रहे हैं। इनसे पूर्व वक्ताओं ने भी रोस्टर के बारे में चर्चा की। ये सब अपनी व्यथाएं यहां रख रहे हैं। ये चुनाव के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं फिर इस नियम की गंभीरता कहां रह गई? अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत उदार हैं और आपने इन्हें बोलने का पूरा मौका दिया लेकिन यह बात कहीं और ही चली गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश आपदा ग्रस्त राज्य है या नहीं? अगर आप मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आपदा ग्रस्त राज्य नहीं है तो चुनाव समय पर होने चाहिए। ये हर रोज आपदा पर अपनी स्टेटमेंट देते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष यहां उपस्थित नहीं है। वे हर रोज स्टेटमेंट देते हैं कि आपदा पीड़ितों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। वे

27.11.2025/1220/RKS/DC-2

हमेशा थुनाग का ही रोना-रोते रहते हैं। वे जंजैहली को भी भूल जाते हैं। यहां पर श्री सुरेन्द्र शौरी जी भी बैठे हैं। अगर आपदा के कारण सबसे ज्यादा नुकसान कहीं हुआ है तो वह इनके चुनाव क्षेत्र में हुआ है। लेकिन वे इनके क्षेत्र की तो बात ही नहीं करते। श्री जय राम ठाकुर तो आपको भी नहीं मानते हैं। वह अपना ही रोना-राते हैं और उसमें भी थुनाग का ही जिक्र किया जाता है क्योंकि उनके बड़े-बड़े कार्यकर्ता वहीं पर है। उनके बड़े-बड़े मकान वहीं पर हैं। जो College of Horticulture & Forestry के बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे इनको उनकी कोइ चिंता नहीं है। इनको बस यह है कि जो बच्चे पी0जी0 में ठहरे हुए हैं वे वहीं

ठहरने चाहिए चाहे नाले में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। इनके कार्यकर्ता जिनके वहां पर 6-6 मंजिला मकान बने हैं इससे वहां पर उनका धंधा चलता है। ये नियम-67 के तहत चर्चा करने में गंभीर नहीं है। अगर ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा नहीं आई है तब बात ठीक है लेकिन आप हर रोज यह प्रश्न कर रहे हैं कि आपदा के कारण मेरे चुनाव क्षेत्र में इतने मकान क्षतिग्रस्त हुए। आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश में जो मकानों का नुकसान हुआ है उसमें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान 1817, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान 800, डैमेज शोप्स 594, डैमेज कउ शैड 7,898, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड 313 हैक्टेयर और क्रॉप डैमेज 313 हैक्टेयर में हुआ है। 323 गाय-भैंसैं और 783 शीप, गोट्स का लोस हुआ है। इसके अलावा और भी सरकारी सम्पत्ति को नुकसान हुआ है। एक समय में 700 से ज्यादा सड़कें, एक हजार से ज्यादा पेयजल योजनाएं और दो हजार से ज्यादा डी0टी0आर्ज0बाधित थी लेकिन इसको आप डिजास्टर नहीं मान रहे हैं। जब वर्ष 2023 में डिजास्टर आया था तो विपक्ष के सदस्य सदन के बाहर कहते थे कि इस पर चर्चा करने के लिए स्पेशल सैशन आयोजित किया जाए। हमने आपके कहने पर स्पेशल सैशन करवाया लेकिन उसमें प्रस्ताव पास करवाकर केंद्र सरकार से सहायता मांगने की बात की गई तो उस समय आप सदन से वाकआउट कर गए।

श्री बी0एस0द्वारा...जारी

27.11.2025/1225/बी.एस./वाई. के.-1

राजस्व मंत्री जारी...

जब हमनें बात की कि Forest Conservation Act, 1980 जिसके तहत हम एक इंच भूमि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को मकान बनाने के लिए नहीं दे सकते। उसके ऊपर सदन में प्रस्ताव लाया गया तब भी आप बाहर भाग गए। अब यहां पर एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. की चर्चा हो रही है। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2005 से ले करके वर्ष 2013 तक बहुत सारे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून बने जिसमें वर्ष 2005 में डिजास्टर मेनेजमैंट एक्ट बना। उस समय किसकी सरकार थी। यह किसकी सोच

थी? यह कांग्रेस की सोच थी। उस वक्त डॉ0 मनमोहन सिंह जी देश के प्रधान मंत्री थे। जो गठबंधन पार्टियां थी वे उन पार्टियों की अध्यक्ष थी। अगर यह Disaster Management Act उस समय नहीं बना होता जिसकी चर्चा आज यहां पर हो रही है, एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. का एक भी पैसा राज्य में नहीं आता। यह जो आप 5 हजार करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं, यह 5 हजार करोड़ रुपये नहीं है। जैसा मुख्य मंत्री जी ने बताया कि यह हमारा हक है, क्या हिमाचल प्रदेश कोई विदेशी प्रदेश है। हम सब ने यहां पर शपथ ली है। क्या आपने उसे पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमें धर्म निरपेक्ष बनना पड़ेगा और जहां पर धर्म निरपेक्षता की बात होती है वहां पर तो आपकी विचारधारा इतनी संकीर्ण है कि आप हिन्दू-मुसलमान करके लड़ा रहे हैं और देश को खंड-खंड करने के लिए लगे हुए हैं। यह सब आपकी संर्कीण सोच के कारण हो रहा है। ...(व्यवधान)... अब आपको क्यों पीड़ा होने लगी है?...(व्यवधान)...

Speaker : Please no interruption. Let the Hon'ble Minister speak.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो मुझे बहुत कुछ बोलना है। अभी तो शुरूआत ही है ये कहां चले गए? जब इनको अपना प्रस्ताव लाने का मौका मिला तो ये इधर-उधर की बातें करते रहे और असली बात तो कर ही नहीं पाए। यहां पर आपदा की बात हुई, अभी आपदा के जख्म भरे नही है। हम भी इस बात को मानते हैं, सड़कें अभी तक भी मोटरेबल हो गई हैं और कई जगह पर तो जिपेबल हो गई हैं फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं। ...(व्यवधान)... इनको बीच में बोलने की आदत है।

27.11.2025/1225/बी.एस./वाई. के.-2

श्री राकेश जम्वाल : ट्रेजरी क्यों बंद है?

अध्यक्ष : आदरणीय जम्वाल जी, कृपया बीच में न बोलें।

राजस्व मंत्री : मैं इसका भी जवाब दूंगा। रात आठ बजे कोई महापुरुष टैलीविजन पर आए और बोल दिया कि ट्रेजरी बंद, नोट बंद और कहा कि आतंकवाद भी नहीं आएगा। आज क्या हुआ उस आतंकवाद है? पांच साल इनकी डबल इंजन की सरकार थी उस वक्त ये

क्या करते रहे? उस समय जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश की दुर्दशा की और प्रदेश की आर्थिकी को पटरी से निकाल फैंका। सिर्फ मिशन रिपीट के सिवा कुछ नहीं किया। अगर उस समय आपने 75 हजार करोड़ रुपये का भारी भरकम कर्ज नहीं लिया होता और कर्ज ले करके घी नहीं पिया होता तो आज प्रदेश की यह दुर्दशा नहीं होती। यह इतिहास में लिखा जाएगा कि भाजपा को मौका मिला, डबल इंजन की सरकार बनी लेकिन किया कुछ भी नहीं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : कृपया शांत हो जाएं, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, मंत्री जी को उसका उत्तर देने पड़ रहा है। आप इन्हें डिस्टर्ब न करें यदि आप डिस्टर्ब करेंगे तो यही होगा। Don't disturb him. Let him speak. आप बैठ करके न बोलें। अगर किसी को कोई बात बोलनी होगी, किसी को क्लेरिफिकेशन चाहिए होगी तो खड़े होकर अनुमति मांगेंगे if I permit you thereafter you can speak and if he yields. ...(Interruption) Please, let him speak. ...(Interruption) Let him speak. No interruption please.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी बात कही है अब थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा। मैं पंचायती राज पर ही बोल रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमने कब कहा कि चुनाव नहीं होंगे?

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा द्वारा जारी.....

27.11.2025/1230/डीटी/एजी-1

राजस्व मंत्री... जारी

आप पहले यह बताइए कि हमने कब कहा कि चुनाव नहीं होंगे? ...(व्यवधान) सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है और ये ऐसे ही हला मचा रहे हैं। इसलिए यह जो प्रस्ताव लाया है उस पर ये बोले ही नहीं क्योंकि ऐसी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुई है। यह ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है और इसकी नोटिफिकेशन हुई है। हमने यह मांग की थी कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे। उसके लिए आप तैयार नहीं हुए। आपकी मनसा ठीक नहीं है। आप हिमाचल के हितैषी नहीं है। आपका लोगों को गुमराह करने के सिवा कुछ काम नहीं है।

अगर आपने साथ दिया होता तो हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा के तहत और ज्यादा सहयोग मिलता। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे मत बोलिए।

राजस्व मंत्री : हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर , एस0डी0एम0, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, पंचायती राज के सेक्रेटरीज, जे0ईज0 और एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी फील्ड में आपदा से रिलेटेड कार्यों में व्यस्त हैं। अगर नहीं हैं तो फिर आप बताइए कहां नहीं है? ...(व्यवधान) जो 1800 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं हमने उनका मूल्यांकन किया है। क्या वह मूल्यांकन वैसे ही हो गया है। हमने इसके लिए एक टीम बनाई है जिसमें एक सेक्रेटरी, जे0ई0 और पटवारी है जो मौके पर जाकर मूल्यांकन करेंगे कि क्या वहां वाकई ही नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। 800, मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 700 से ज्यादा सड़कें बाधित हुई हैं। हमने थुनाग में 60 से ज्यादा जे0सी0बी0 लगाई थी। इनके मंडी क्षेत्र में 160 से ज्यादा जे0सी0बी0 लगी हुई थी। ...(व्यवधान) मैं आपदा के ऊपर बात कर रहा हूं आपको यह पीड़ा क्यों हो रही है। ...(व्यवधान) इन्होंने ड्रामा किया और अपने ठेकेदारों की जे0सी0 बी0 खड़ी करवा दी और हमारे एक्सिअन को बोला कि आप तेल डालिए। इन्होंने आपदा में भी अवसर ढूंढा। इन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे किए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बांटा। मैं कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष एक श्वेत पत्र लाएं कि कहां से कितना पैसा आया और यह किसको बांटा गया। कहां कितनी

27.11.2025/1230/डीटी/एजी-2

सामग्री दी गई इसके लिए इनकी तरफ से श्वेत पत्र जारी होना चाहिए ताकि इसमें पारदर्शिता रहे। अभी स्कूलों व कॉलेजिज में एग्जाम्स होने हैं। हमारे अध्यापकों की जो विशेषकर पंचायती राज चुनावों में ड्यूटियां लगेगी वे सारे अध्यापक एग्जाम्स में बिजी होंगे। हमने कहीं नहीं कहा कि चुनाव नहीं होंगे। जब डिजास्टर एक्ट हटेगा तो उसके बाद चुनाव होंगे। इसमें कहां दो राय है। आप जश्न की बात कर रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल के पांच वर्षों में कुछ नहीं किया। आपने मिशन रिपिट के लिए 80-80 लाख रुपये के तम्बू

लगा दिए। यह सारा पैसा प्रदेश की जनता का था। वह तम्बू लगाने वाला भी इनका चंडीगढ़ का कार्यकर्ता था। अगर वह हिमाचल प्रदेश का होता तो अलग बात थी। इन्होंने 18 करोड़ रुपये की देनदारी HRTC की छोड़ दी। ये उस किस्म के लोग हैं। आपने इंवेस्टर मीट के नाम से इसी धर्मशाला में 18 करोड़ रुपये का तम्बू लगाया था लेकिन आप इन बातों को भूल गए हैं। उस इंवेस्टर मीट में 18 आदमी भी नहीं थे लेकिन आपने इसका खर्च 150 करोड़ रुपये दिखा दिया। श्री जय राम ठाकुर एक ऐसे मुख्य मंत्री के नाम से जाने जाएंगे जिसने हिमाचल प्रदेश को कबाड़ बना दिया, आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। ये हर रोज बातें करते हैं कि सरकार अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। ...(व्यवधान) आप बैठिए।...(व्यवधान)

Speaker : No interruption please. ...(व्यवधान) इसके बाद माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी बोलेंगे, he will replies to all queries.

श्री एन0 जी0 द्वारा...जारी

27.11.2025/1235/ए.जी.-एन.जी./1

अध्यक्ष की अंग्रेजी के पश्चात........जारी

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर विपक्ष के द्वारा कहा गया कि विपक्ष अपनी मर्जी से चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में न सत्तापक्ष और न विपक्ष की मर्जी चलेगी बल्कि दोनों पक्ष इस माननीय सदन द्वारा बनाए गए नियमों, जिनके संरक्षक माननीय अध्यक्ष हैं, उनके अनुसार चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई नियम नहीं हैं? नेता प्रतिपक्ष पर भी वही नियम लागू होते हैं जो मेरे व अन्य माननीय सदस्यों के लिए बने हैं। अध्यक्ष महोदय, ये (नेता प्रतिपक्ष) आपकी अनुमति के बिना खड़े नहीं हो सकते लेकिन इनकी आदत बन गई है कि हर मुद्दे पर खड़े होना है। ये देखते ही नहीं हैं कि इस मुद्दे पर बोलने की जरूरत है या नहीं और इनके पास कोई तर्क भी नहीं

होता है। ये हर मुद्दे पर उछलते रहते हैं। ये अपने माननीय सदस्यों के प्रश्नों पर किए जाने वाले अनुपूरक प्रश्नों को भी उड़ा देते हैं। ये इस प्रकार के व्यक्ति बन गए हैं कि किसी को बोलने ही नहीं देते हैं। ये किसी की बात भी नहीं सुनते हैं और कोई नियम भी नहीं मानते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) Please, please. ...(Interruption) No interruption please. Nothing is going on record except Jagat Singh Negi's statement.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर चर्चा हो रही है...(व्यवधान) कर लो, कर लो, आपको जो करना है।...(व्यवधान) Sir, this is not the way. He has not been allowed by you. Chair has not allowed him to speak. How can he speak? Chair has not permitted him to speak. How can he speak and intervene in-between? When he speaks, I never intervene. ...(Interruption)

27.11.2025/1235/ए.जी.-एन.जी./2

Speaker: He is not yielding. I will give you chance. ...(Interruption) I will give you chance. ...(Interruption)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

राजस्व मंत्री : तुम्हारी (विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहते हुए) तानाशाही भी नहीं चलेगी।...(व्यवधान)

Speaker: Please take your seats. ...(Interruption) I will give you a chance. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) मैं आपको चांस दूंगा ...(व्यवधान)

राजस्व मंत्री : लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी (विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहते हुए)।...(व्यवधान)

Speaker: Please take your seats. ...(Interruption) No interruption please. Nothing is going on record except Jagat Singh Negi's statement. Nothing is going on record. ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी। ...(व्यवधान) संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है ...(व्यवधान)

Speaker: Please, please. ...(Interruption) Please continue. Nothing is going on record except the statement of Hon'ble Minister Shri Jagat Singh Negi. ...(Interruption) Thakur Sahib, I will give you a chance. ...(Interruption) Let him complete. Thereafter, I will give you a chance. ...(Interruption)

27.11.2025/1235/ए.जी.-एन.जी./3

मैं आपको टाइम दूंगा। ...(व्यवधान) He is not yielding. ...(Interruption) नेगी जी, आप एक मिनट यील्ड कीजिए।...(व्यवधान) He has yielded now. ठाकुर साहब, आप बोलिए। ...(व्यवधान) He has yielded. ...(Interruption)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए।)

आप अपने स्थान पर जा कर बोलिए। ...(व्यवधान) Please, please. Order in the House please. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) No interruption will go on record. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) आप अपने-अपने स्थानों पर वापिस जाइए...(व्यवधान)

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

27.11.2025/1240/PB/AS

अध्यक्ष जारी.....

Please take your seats ...(Interruption) आप अपने-अपने स्थानों पर वापिस जाइए। Come to your seats please. ...(Interruption) आप अपनी-अपनी सीट पर आ जाइए क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं। ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption)Nothing will go on record. ...(Interruption) माननीय मुख्य मंत्री महोदय। ...(Interruption) Please take you seats. ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नारे तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी लगा सकते हैं।

Speaker : Nothing will go on record. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Nothing will go on record. I have not allowed anybody. I accept Hon'ble Revenue Minister's Statement. ...(Interruption) Nothing will go on record. ...(Interruption) No disruption please. Take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats.

The House adjourn for the lunch break and we will reassemble at 2 O'clock

27.11.2025/1400/D.C./A.P./01

सदन की कार्यवाही दोपहर के भोजनोपरांत 02.00 बजे अपराह्न पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी।

विपक्ष द्वारा नियम-67 के अंतर्गत माननीय राजस्व मंत्री के वक्तव्य का बहिष्कार करने के उद्देश्य से बहिर्गमन किया गया।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।)

श्री राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस लोकतंत्र पर हम सब गर्व करते है और जब भी हमारे प्रधान मंत्री विदेशों की यात्राएं करते है, वे देश के लोकतंत्र की बहुत प्रशंसा करते हैं। पिछले कल आपने संविधान के प्रस्तावना की शपथ भी माननीय सदन को दिलवाई थी। उसमें भी यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है और निष्पक्षता के साथ सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर हम अपनी बात स्वतंत्रता के साथ बोलना चाहें और विपक्ष हमारी बात को सुनना न चाहे और अगर सुने तो उसका भी विरोध करे तो यह किस तरह का लोकतंत्र है? लोकतंत्र के केवल गुण गाने से ही लोकतंत्र स्थापित नहीं होता-हमें लोकतंत्र को जीना भी पड़ेगा। संविधान की पुस्तक में केवल मात्र माथा टेकने से लोकतंत्र सशक्त नहीं होता। उस लोकतंत्र के अनुसार कार्य भी करने पड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष अभी इस सदन में लोकतंत्र की बात कर रहे थे और संविधान की बात कर रहे थे। वे यह भी कह रहे थे कि संविधान को कमजोर किया जा रहा है। क्या संविधान को सत्ता पक्ष कमजोर कर रहा है? संविधान को कमजोर करने वाली तो इन्ही की पार्टी है-भारतीय जनता पार्टी, जिसकी विचारधारा से विपक्ष के सदस्य आते हैं। ऐसी पार्टी जिसने कभी संविधान को माना ही नहीं। आज संविधान के कारण वह सत्ता में जरूर बैठे हैं परन्तु भारतीय जनता पार्टी की जो केन्द्र में सरकार है, उसकी वजह से संविधान कमजोर हुआ है और संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं। उसमें चाहे हम न्यायपालिका की बात करें या किसी और की। (***) इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि संविधान को कौन कमजोर कर रहा है? विपक्ष के

साथी उस विचाारधारा से आते हैं जो देश को आजाद करने के समय भी हमारे साथ नहीं थे और जब संविधान बनाया गया तब भी ये लोग साथ नहीं थे। आज हिन्दुस्तान को खतरा

27.11.2025/1400/D.C./A.P./02

है। अगर हिन्दुस्तान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रखना है तो जिस विचारधारा के साथ विपक्ष के साथी जी रहे हैं, उस विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा अन्यथा यह देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखण्ड भारत रह ही नहीं सकता। (***)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

27.11.2025/1405/AT/DC-01

राजस्व मंत्री जारी...

(***)...व्यवधान...

Speaker : Hon'ble Minister, kindly conclude.

राजस्व मंत्री : आज हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं (***)...व्यवधान...

Speaker : Hon'ble Minister, kindly conclude.

राजस्व मंत्रीः सर, इन्होंने यह सारी बात उठाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने उठाई है, माननीय विपक्ष के सदस्य ने भी उठाए है ...व्यवधान...

अध्यक्षः ऐसा कुछ रिकॉर्ड में नहीं आया हुआ है।

राजस्व मंत्री : सर, सारे आए हुए हैं। मैं पिछले कल की बात कर रहा हूँ। तो हमारा पक्ष भी विधानसभा में जाना चाहिए। सर, यह नहीं कि (***) संविधान को कमजोर करने वाले ये लोग हैं।

अध्यक्षः ऐसे सारे references जो discussion से pertain नहीं करेंगे, undesirable होंगे तो वह रिकॉर्ड से निकाल दिए जाएंगे।

राजस्व मंत्रीः सर, मैं थोड़ा-सा अगर आपकी गुस्ताख़ी करूँ, तो जो भी यहाँ बोला जाता है, उसको आना चाहिए। अगर हमारे यहां भी सेंसर लग जाएगा तो फिर लोकतंत्र का कोई मायना नहीं रहेगा। ...व्यवधान...

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

27.11.2025/1405/AT/DC-02

अध्यक्षः नेगी जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं।

राजस्व मंत्रीः अगर un-parliamentary शब्द हों, तो वह आपका prerogative है, आप उसे हटाइए।

अध्यक्षः नेगी जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं।

राजस्व मंत्री : सर, हमारे विचार un-parliamentary नहीं हो सकते। ...व्यवधान... वर्ष 1925 में यहां जो संविधान यहां पर महान नेता रहे विठ्ठल भाई पटेल।

अध्यक्षः विठ्ठल भाई पटेल। आज इश्यू बहुत लिमिटेड हैं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विचार तो आने चाहिए। इनका इश्यू तो नियम-67 था और उसमें जो इश्यूज थे वह तो इन्होंने उठाए ही नहीं।

Speaker : Hon'ble Minister, please conclude.

राजस्व मंत्री : इन्होंने उसमें संविधान को उठाया, लोकतंत्र को उठाया, मनरेगा को उठाया, आपदा को उठाया—कोई चीज़ तो इन्होंने छोड़ी नहीं है। तो मुझे भी इस पर कुछ बोलना पड़ेगा, हमारा पक्ष रखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अब बताइए कि यह पहली बार हिन्दुस्तान में हो रहा है? सर, हमारी सेना निष्पक्षता, साहस और कार्यकुशलता के लिए जानी जाती थी। आज सेना का क्या हो गया? (***)

Speaker : Please conclude now.

राजस्व मंत्रीः सर, सारा का सारा सिस्टम खत्म कर दिया। फिर ये लोग किस बात के लिए वॉक-आउट कर रहे हैं। ये संविधान का वॉक-आउट कर रहे हैं।

Speaker: I can't permit in this. ...(Interruption). The debate is not on this issue.

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय यह लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। यह अपनी बात कहकर चले जाएँगे और हम उसका जवाब भी न दें?

27.11.2025/1405/AT/DC-03

अध्यक्षः आप जवाब तो दो पर यह लोग अभी यहां नहीं है। यह record पर नहीं है।

राजस्व मंत्री : यह हर बात बोलकर चले गए। हर किस्म के मुद्दे इन्होंने उठाए। सर, अभी तो मेरे पास इनके जवाब देने के लिए पूरा चिट्ठा पड़ा हुआ है मैं एक-एक की धज्जियाँ उड़ाऊँ दूं? सर, इनकी विचारधारा कैसी है?

अध्यक्षः विचारधारा तो डिसकस ही नहीं हो रही है।

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय पिछले कल हमने नारे लगाये थे "भाजपा भगाओ, बेटी बचाओ"। (***)मैं जिस गाड़ी में बेटा था उस गाड़ी में तिरंगा लगा हुआ था। जो नेता प्रतिपक्ष है इन्हीं के विधान सभा क्षेत्र के लोगों ने तिरंगें का अपमान किया, जूते और चप्पल फैंके। इस सदन में माननीय सदस्य कह रह थे कि गोलियां भी चलनी थी। इनकी क्या मानसिकता हैं, यह आप बताइए। (***)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

एम0डी0 द्वारा जारी ......

27-11-2025/1410/HK/MD/1

राजस्व मंत्री----जारी

ये लोग सिर्फ सत्ता लेने के लिए संविधान का सहारा लेते है। जब महात्मा गांधी बाहर विदेशों में जाएंगे तो उनका गुण गाएंगे और जब देश के अंदर आएंगे तो (***)आज इतिहास बदला जा रहा है और यहां खतरा पैदा हो रहा है। स्कूल्ज़, कॉलेजिज़ और यूनिवर्सिटीज़ में इतिहास को झूठा दिखाया जा रहा है। (***)हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी परंतु कांग्रेस विचारधारा और झंडे के नीचे लाखों लोगों ने जो कुर्बानियां दीं, मुझे लगता है कि आज वे सारी कुर्बानियां बेकार में जाने वाली हैं अगर ऐसी विचारधारा इस देश के अंदर पनपेगी। इसलिए हमें सबसे बड़ा खतरा है। आज हमें जो बोलने की आजादी मिली है वह लाखों लोगों की कुर्बानी से मिली है न कि बी0जे0पी0 की विचारधारा से मिली है। (***)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

Speaker : Conclude please.

राजस्व मंत्री : बिल्कुल सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं आखिरी शब्दों में पहुंच रहा हूं। मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा परंतु इतना जरूर कहूंगा कि अगर लोकतंत्र, बेटी और यहां तक

कि बेटे को भी बचाना है तो बी0जे0पी0 को भगाना है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सती जी भाग लेंगे।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर आए।)

27-11-2025/1410/HK/MD/2

श्री सतपाल सिंह सती : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में नियम-67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस पर बोलने का अवसर आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का महत्व तभी सार्थक होता है और संविधान का मान-सम्मान भी तभी बना रहता है, जब हम समय पर चुनावों को लोकतंत्र के उत्सव की तरह मनाते हुए सम्पन्न करवाते हैं। यहां अनेक माननीय सदस्यों ने Three-Tier System के बारे में चर्चा कर चुके हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में इस Three-Tier System को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत पंचायतों, बी0डी0सी0, जिला परिषदों के साथ-साथ प्रदेश में नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं। इन चुनावों की बेला का लोग पांच वर्ष तक इंतजार करते हैं। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं जैसे कि हम और आप सब लोग चाहे वे विधायक न बने हों, जो टिकट की आस रखते हों या पिछली बार हार गए हों, वे सोचते हैं कि अगली बार चुनाव आएंगे तो वे फिर से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र से योगदान कर सकेंगे। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों लोग पंचायत के पंच से लेकर जिला परिषद सदस्य तक, और नगर परिषद व नगर पालिका के सदस्य बनने तक चुनाव का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन अंतिम समय में प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को आधार बनाकर एक ऐसा बहाना लिया। इसमें कोई दोहराई नहीं कि प्राकृतिक आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों पशु बह गए। आज भी अनेक परिवारों के प्रियजनों की लाशें नहीं मिली हैं।

घर, मकान, गौशालाएं बह गई, जमीन खिसक गई और लोग आज भी टेंटों में रहने को मजबूर हैं। इन परिस्थितियों में जहां उनके पड़ोसियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहयोग देकर उन्हें जीवन जीने का सहारा दिया, वहीं सरकार ने भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं की कि 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने की बात कही, सड़कों को जल्दी बहाल करने की बात कही, पानी की योजनाओं को जल्द ठीक करने की बात कही, बिजली की व्यवस्था सुधारने की बात कही। लेकिन हम बार-बार कहते रहे कि इन व्यवस्थाओं को समय पर ठीक नहीं किया जा रहा है और सरकार इन कामों में असफल रही है, सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

27.11.2025/1415/केएस/एचके/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी ---

सत्ता पक्ष के लोग बोलते थे कि सरकार बहुत सतर्क है, सरकार ने सारी सड़कें खोल दी हैं। आज उसी प्राकृतिक आपदा के बहाने से या जो डिजास्टर एक्ट लागू हुआ, उसके बहाने से इस प्रदेश के अंदर सभी चुनाव जो थ्री टायर सिस्टम के अंदर होने हैं, उनको टालने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है, यह लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मज़ाक है। शायद सत्ता पक्ष के लोगों के ध्यान में भी यह नहीं आ रहा है कि वे यहां पर अपनी ही नालायकी का व्याख्यान कर रहे हैं कि सड़कें नहीं खुली हैं। यह आप ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। जो रेवन्यू मिनिस्टर हैं, जिन्होंने सारे डिजास्टर को ठीक करना है, वे भी कहते हैं कि सड़कें बंद हैं, पानी की स्कीमें ठीक नहीं हैं। तो इसमें तो विक्रमादित्य सिंह जी की भी बेइज्जती है कि इनसे सड़कें ठीक से नहीं खोली गईं। ये एक नौजवान मंत्री है तो ये क्या कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर पानी की स्कीमें बहाल नहीं हुई हैं तो उप-मुख्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं क्योंकि यह उनका विभाग है? अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर आज तक पैकेज बंटा ही नहीं है तो मुख्य मंत्री जी की भी बेइज्जती है कि उन्होंने 4500 करोड़ रुपये की घोषणा की है । बताओ कि वह 4500 करोड़ रुपये कहां गए? अभी मात्र 280 करोड़ रुपये के लगभग आपका पैसा उसमें से खर्च हुआ है, बाकी रुपये

कहां हैं, इसका कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कें बंद हैं, मकान गिर गए हैं, जमीनें बह गई हैं, पानी की स्कीमें ठीक नहीं हो रही हैं तो इसका ठेका जनता का है या तुम्हारा है? ये स्कीमें आप लोगों ने ठीक करनी हैं। ये सड़के किसने ठीक करनी थीं? आप यहां पर किसकी बातों का व्याख्यान कर रहे हैं? क्या ये हमने ठीक करनी थीं? अगर सड़कें हमने ठीक करनी हैं तो आप घर चले जाओ, हम ठीक कर देते हैं। आप इन सारी चीजों को छोड़ दो। हाथ खड़े कर दो। उसमें क्या दिक्कत है? आप लोगों ने अगर सड़कें बहाल नहीं की हैं तो आने वाले समय में आप कैसे बहाल करोगे, कहां से व्यवस्था होगी? अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह मानना है की जब कभी इस प्रदेश के अंदर सड़कें ही नहीं होती थीं, नाबार्ड नहीं था, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना

27.11.2025/1415/केएस/एचके/2

नहीं थी, जिसमें आज करोड़ों नहीं, अरबों रुपये हिमाचल प्रदेश के अंदर लग चुके हैं, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्र से योजना शुरू की थी, उसका सबसे बड़ा लाभ हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेशों को हुआ। नाबार्ड के अंतर्गत हम लोग लोन लेते हैं। करोड़ों रुपये आए जिसके कारण सड़कें बन गईं। कुछ सड़कें बह गई होंगी लेकिन कोई सड़क बची ही नहीं है तो उस जमाने में भी लोग बैलेट पेपर ले कर, हमारे प्रदेश के परिश्रमी कर्मचारी डिब्बे ले करके दूर-दराज के क्षेत्रों में जा करके 5-5 फुट बर्फ में जाकर चुनाव करवाते थे। आज कुछ सड़कें टूट गई हैं तो उसका बहाना ले कर आप चुनाव को कैसे रोक सकते हैं? जब सड़कें ही नहीं थीं तब भी इस प्रदेश के अंदर चुनाव होता था। जब रास्ते नहीं थे, तब भी इस प्रदेश के अंदर चुनाव होता था। मेरा ऐसा मानना है कि यह सरकार चुनाव से डर रही है। चुनाव नहीं करवाना चाहती क्योंकि चुनाव के अंदर बताने के लिए इनके पास कोई बात ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर तो अजीब सिस्टम हुआ कि तीन नगर पालिकाएं हमीरपुर, ऊना और बद्दी-बरोटीवाला घोषित हुईं। उनके चुनाव 6 महीने के अंदर करवा देते, हमें क्या दिक्कत थी? 14 ग्राम पंचायतें उसके अंदर गईं। आप लोगों ने 14 ग्राम पंचायतें बंद कर दीं। उनको काम करने का अधिकार नहीं है। लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद आप लोगों की एक चिट्ठी चली गई कि ये पंचायतें जो ऑलरेडी आपके पास पैसा आया हुआ है, उसको सितम्बर, अक्तूबर तक

लगा दें, नवम्बर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद आप लोगों को कोई अधिकार नहीं रहेगा क्योंकि अगला चुनाव आ जाएगा। लेकिन 14 पंचायतों को भंग कर दिया गया, नगर परिषद को भंग कर दिया गया, नगर निगम डिक्लेयर हो गया, ए.डी.सी. को चार्ज दे दिया गया उसके अंतर्गत वह ए.डी.सी. का काम देखे या कमिश्नर का काम देखे, वह क्या करे? हमारे तो 14 गावों के अंदर अराजकता का माहौल है कि आखिर वहां पर फार्म अटैस्ट कौन करेगा? पार्षद करेगा या पुराने प्रधान करेंगे? नया चुनाव हुआ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस चुनाव के कारण अफरा-तफरी का माहौल है। रोस्टर का विषय यहां पर आया, माननीय न्यायालय ने कहा है कि रोस्टर 6 महीने पहले लागू होना चाहिए। अगर किसी को ऑब्जैक्शन है तो हम समय पर उसका ऑब्जैक्शन दे सके। अगर रोस्टर एक महीना पहले निकालेंगे और रोस्टर निकालकर फिर वही व्यवस्था होती है जो यहां पर बताई गई कि जहां ओ.बी.सी. नहीं है, वहां ओ.बी.सी. सीट हो रही है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.11.2025/1420/av/Yk/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती-------- **जारी**

ऐसा एक बार हमारे ऊना के मैहतपुर के अंदर हुआ था। वहां वार्ड नम्बर 9 एस0सी0 सीट के लिए रिज़र्व कर दी इसलिए वहां पर वार्ड नम्बर 5 के व्यक्ति ने जाकर चुनाव लड़ा क्योंकि वहां पर कोई एस0सी0 का व्यक्ति ही नहीं था। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों की प्रशासनिक व्यवस्था समय रहते होनी चाहिए। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि आज प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय विधायक और मंत्रीगण विधान सभा के अंदर वही बात मान रहे हैं जो हम पिछले 6 महीनों से बोल रहे हैं कि यह सरकार फेल हो गई है और आपसे काम नहीं हो रहा है। आपने आपदा के अंदर कोई काम नहीं किया। आपने कोई सड़कें नहीं खोली। आपके पुल-पुलिया गिर गईं, बसें नहीं जा रहीं और ये सारी बातें आप खुद बोल रहे हैं तथा इन बातों को मान भी रहे हैं। नियम-67 के अंतर्गत हो रही चर्चा में इससे बड़ी अचीवमैंट और क्या हो सकती है कि पूरी सरकार आज यह बोल रही है कि हमसे पिछले 6 महीनों के अंदर कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चुनाव को

टालने की कोशिश कर रहे हैं यानी जो आप टालना चाहते हैं। मेरा यह मानना है कि यह चुनाव होने चाहिए और समय के अंदर-अंदर होने चाहिए।

यहां पर कल शायद राम कुमार जी बोल रहे थे कि बैलेट पेपर तो अभी छपे ही नहीं है। यहां पर यह विषय माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल ने उठाया था कि बैलेट के लिए माननीय चुनाव आयोग ने दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को सभी डी0सीज0 को चिट्ठी डाल दी कि आप बैलेट पेपर्ज और चुनाव से संबंधित अपनी सारी सामग्री लेकर जाओ। परंतु आप लोग उस चिट्ठी को भी मानने को तैयार नहीं है। आपके डी0सीज0 परेशान हैं। उनको चुनाव आयोग की सुबह चिट्ठी आती है कि आप रोस्टर लागू कीजिए, वार्ड और वोट्स बनाने शुरू कीजिए। लेकिन आप लोग उस चिट्ठी को मानने को भी तैयार नहीं है। परंतु जब 12.00 बजे श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी की सरकार को पता चलता है तो एक और चिट्ठी आ जाती है कि आपने कुछ नहीं करना है। अब डी0सीज0 बोलते हैं कि हम चुनाव आयुक्त के अण्डर है इसलिए वह कहीं हमें सस्पेंड

27.11.2025/1420/av/Yk/2

ही न कर दें। अब चुनाव आयुक्त कुछ बोल रहे हैं तथा हमारी सरकार कुछ और ही बोल रही है। आपका कम-से-कम आपस में तो तालमेल होना चाहिए, आप लोग एक-दूसरे से बात तो कीजिए। आपके अहम् के टकराव के कारण हिमाचल प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। उसके नाते हमारा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव समय पर होने चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश में विकास की गति आगे बढ़ सके। आप जानते हैं कि अगर जड़ से विकास की बात की जाए तो वह पंचायत और नगर पंचायत के माध्यम से शुरू होता है। हमारे जो फण्ड जाते हैं उसमें चाहे वी0के0वी0एम0वाई0 है या एम0पी0लैड, एस0डी0पी0 या फिर डिजास्टर मेनेजमैंट में आप लोगों ने कोई फण्ड दिया होगा। वैसे दिया नहीं है परंतु अगर आप देंगे तो वह आगे किसने लगाना? उसको लगाने क्या वहां पर लोक निर्माण मंत्री जाएंगे? वहां पर रास्ते बनाने के लिए कौन जाएगा? लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के कार्य तो पहले ही रुक गए क्योंकि ठेकेदारों की 500-1000 करोड़ रुपये की पेमैंट तो पहले ही नहीं हुई है। ठेकेदारों के काम तो पहले ही बंद है

क्योंकि ट्रेजरी से 10,000 रुपये से ज्यादा पैसा नहीं निकल रहा है। आपने पंचायतों के काम भी बंद कर दिए तो हम सब लोग यहां क्या झुनझुना बजाने के लिए आए हैं? हम यहां पर किस लिए आए हैं, यह किस प्रकार की व्यवस्था और लोकतंत्र है?

अध्यक्ष महोदय, आप भी एक कानूनविद् है। यहां सदन के अंदर बैठे हुए एक-दो व्यक्तियों को छोड़कर मुझे लगता है कि आप सबसे वरिष्ठ हैं। आप शायद वर्ष 1985 में पहली बार विधायक बनकर आए थे। उस समय मैं और श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। अध्यक्ष महोदय, आप इन सब लोगों की क्लास लीजिए। आप कमरे के अंदर बैठकर इन सब लोगों को बताइए कि ऐसे नहीं चलता जैसे आप लोग चला रहे हैं। इस प्रकार से न तो कानूनी व्यवस्था के अंदर चलेगा और न ही जनता के बीच में ऐसा चलेगा। मुझे लगता है कि माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू आपकी बात को मान ही जाएंगे। ये मंत्री के लिए तो नहीं मान रहे पर मुझे लगता है कि इस बात के लिए तो मान ही जाएंगे। इन्होंने आपको मंत्री नहीं बनाना है तो न बनाएं परंतु आपको अध्यक्ष होने के नाते इनको एक सलाह तो देनी चाहिए। आप सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान) हां, आप इनको बना दीजिए।

27.11.2025/1420/av/Yk/3

अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि प्रदेश में एक अफरा-तफरी का माहौल चला हुआ है। यहां पर कई विषय आए हैं और अब माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी चले गए हैं। वे हमारे से काफी वरिष्ठ हैं। परंतु वरिष्ठ होने का मतलब यह नहीं है कि वे जो मर्जी बोलते रहें। उनको पता नहीं क्या प्रोब्लम है कि वे एकदम धर्म के ऊपर चले जाते हैं। देखिए, धर्म का विषय हर व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय होता है। वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई; कोई भी हो। आप लोग सेकुलर है और यह अच्छी बात है। लेकिन इस विश्व के अंदर सेकुलर कोई भी नहीं है और यह बहुत लम्बी चर्चा है कि सेकुलर कौन है। सेकुलर कोई भी नहीं है, इसके कारण एक व्यक्ति धर्मसपेक्ष हो सकता है, धर्मनिर्पेक्ष नहीं हो सकता। इसकी बहुत लम्बी परिभाषा है। यह सारी कॉमरेड्ज की व्यवस्था है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर 'बंबड़घुसा' डाला हुआ है।

टी सी द्वारा जारी

27.11.2025/1425/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1
श्री सतपाल सिंह सत्ती .... जारी

लोग सापेक्ष है, निरपेक्ष कोई भी नहीं है। उसके नाते जब वे बार-बार बोलते हैं, हालांकि हमारा किसी से बैर नहीं है और हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति अराजकता फैलाता है चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके नाते हम बोलते हैं। हम किसी धर्म विशेष के विरोध में नहीं बोलते। हमारा मानना है कि राष्ट्र हम सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है और न ही किसी एक नेता का है। लेकिन कई बार राम मंदिर के ऊपर भी कमेंट कर देते हैं जबकि हमें इसका गौरव प्राप्त है। राम मन्दिर हमने अकेले नहीं बनाया बल्कि 590 साल तक इस संघर्ष को देश ने झेला और साढ़े 3 लाख लोग इसके लिए शहीद हुए और इसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। उस फैसले को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दम रखते हुए इंप्लीमेंट किया और ये हमारी उपलब्धि है। शायद वह फैसला पहले भी आ सकता था लेकिन पुरानी गवर्नमैंट कहती थी कि फैसला आएगा तो दंगे हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता था कि फैसला किसकी फेवर में आएगा। यह फैसला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर आया है। पूर्व केन्द्र सरकार यह बोलती थी कि अगर फैसला देंगे तो दंगे हो जाएंगे लेकिन जब देश के सर्वोच्च पद पर मजबूत व्यक्ति बैठा होता है तो किसी में दंगा कराने का दम नहीं होता। जब यह फैसला आया तो इस देश के अंदर एक सुई नहीं हिली क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मजबूत बैठा हुआ था। इसलिए मेरा नेगी जी से आग्रह है कि इन भावनाओं के विषयों को न उठाएं। हमारे लिए राम मंदिर, धारा 370 और 35ए कॉमन सिविल कोड और सी0ए0ए0 राजनीति के विषय नहीं है बल्कि देश के विषय हैं और इन पर कभी लंबी बहस की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जब कभी श्री जय राम ठाकुर जी के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं जबकि सुक्खू जी ने उनको कहा कि जय राम ठाकुर जी के पास बैठो और शांत रहना सीखो तथा इनसे कुछ बातें सीखो। वे कभी गुस्सा नहीं करते लेकिन व्यक्तिगत बातें बार-बार बोली जाएं तो कोई भी नाराज़ हो सकता है। श्री जयराम ठाकुर जी अपने सराज के बारे में नहीं बोलेंगे तो कहां के बारे में बोलेंगे क्योंकि सराज ने उन्हें छह बार लगातार विधायक बनाया है और सराज ने भारतीय जनता पार्टी का

27.11.2025/1425/टी0सी0वी0/वाई0के0/-2

हिमाचल प्रदेश को चीफ मिनिस्टर दिया है। इसके लिए हम वहां की जनता का धन्यवाद करते हैं। इसलिए मेरा नेगी साहब से आग्रह रहेगा कि हम जैसे नौजवान लोग थोड़ा बोल जाएं तो चल जाता है लेकिन नेगी जी तो ठंडे दिमाग के आदमी हैं। इनके अलाके में इतनी बर्फ पड़ती है लेकिन पता नहीं उनमें इतनी गर्मी कहां से आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वे ऊना में और हम किन्नौर में रहते हैं। उनके इलाके में इतनी बर्फ पड़ती है उनको उससे सीखना चाहिए कि कैसे शांत रहना है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसी बातें न हों क्योंकि कई आम परिवारों के अंदर और लीडर्स के परिवारों के अंदर ऐसी बातें होती रहती हैं (***)मैंने पत्रकारों से कहा कि घरों के मामलों को आप भी फ्रंट पेज पर क्यों लगाते हो। मान लोग मेरे किसी रिश्तेदार ने कुछ कर दिया तो उसका नाम कम आएगा और यह लिखा जाएगा कि सतपाल सिंह सत्ती के मामा के बेटे ने ये कर दिया। लेकिन जैसे आम आदमी की न्यूज़ लगती है वैसे मेरी भी लगनी चाहिए। क्या मामा का बेटा मेरे से इस बारे में सर्टिफिकेट लेकर गया था कि मैंने वहां जाकर ऐसा करना है। अब सुक्खू जी का कोई रिश्तेदार गड़बड़ कर दे तो क्या इन्होंने और भाभी जी ने उसको लिखकर दे रखा कि वह वहां जाकर हत्या कर लें। इसमें सुक्खू जी का क्या दोष? यह इस देश का दुर्भाग्य है कि

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

27-11-2025/1430/NS-AG /1

श्री सतपाल सिंह सत्ती -----जारी

(***)अब इस तरह की घटनाओं के बारे में माननीय चन्द्र कुमार जी बता सकते हैं कि क्या हो सकता है क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग हैं? परिवारों की बातें क्या ऐसे बाहर आनी चाहिए? क्या हमने इन्हीं बातों की चर्चा करते रहना है? दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों ने हमें आदर्श मान लिया है। मैं बताना चाहता हूं कि हम भी इन लोगों की तरह ही हैं। हमारे परिवार का भी कोई आदमी गलती कर सकता है। हमारा कोई मित्र भी गलती कर सकता है। कोई भी आदमी गलती कर सकता है। हम अगर उस चीज़ को उछालेंगे या शोर मचाएंगे तो ठीक बात नहीं है। (***)नहीं तो कोई और खरीद लेता। न्यूज बन गई कि (***)भैया, ये नहीं खरीदता तो कोई और खरीदता और कल के लिए हम भी सोचेंगे कि अपना आदमी है खरीद लिया तो खरीद लिया। उसमें क्या दिक्कत है? क्या इनको खरीदने का अधिकार नहीं है? क्या इन्होंने बिजनैस किया हुआ है? (***)...(व्यवधान) इसलिए मेरा कहना है कि पंचायतों के चुनावों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि पंचायतों के चुनाव होने हैं या नहीं होने हैं। हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हम लोग ऐसे ही तितलियों की तरह यहां लड़ रहे हैं। इसी कारण से लोग राजनीति को नफरत से देखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विधान सभा के अंदर बैठे 68 विधायकों में जितने प्रतिशत यहां ईमानदार होंगे उतने ईमानदार लोग समाज के अंदर नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद 10-12 लोग गड़बड़ होंगे। जितने सिद्धांतो से हम और आप लोग जीते हैं और लोगों के लिए जितने सिद्धांतो से सुबह से शाम तक मरते हैं तो लोग रविवार के दिन फोन नहीं सुनते हैं जिनको 2 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है। लोग रात को फोन बंद कर लेते हैं और हम लोग रात को भी 12.00 बजे लोगों के फोन का जवाब देते हैं। जैसे अभी ऊना में रायजादा होटल के अंदर मर्डर केस हुआ तो उस दिन मैंने रात को 12.15 बजे फोन सुना। मैंने सोचा कि शायद घर से फोन आ गया और मैं एकदम डर गया कि पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद एक आदमी का रात को 02.30 बजे फोन आया

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

27-11-2025/1430/NS-AG /2

तो मैंने कहा कि पता लग गया है। फिर किसी आदमी का फोन 04.15 बजे प्रातः फोन आया। तब मैंने कहा कि अब सोने नहीं देंगे तब मैंने फोन बंद किया। क्या इस प्रदेश का बड़े से बड़ा अधिकारी राते को फोन सुनता है या बात करता है? ये हम लोग ही हैं जो इन सब बातों के लिए लोगों की परेशानी से जुड़े हुए हैं। हम लोग ही लोगों के लिए भागदौड़ करते हैं। हमारी और आपकी आधे से ज्यादा तनख्वाह शगुन देने में चली जाती है। जब हमारी तनख्वाह बढ़ती है तो न्यूज बनती है कि माननीय के बढ़े पैसे। पैसे बढ़े नहीं और सुक्खू जी ने हमें सात महीनों तक लोगों से गालियां पड़वाईं। बिल मार्च महीने में पास हो गया और सितम्बर महीने तक तनख्वाह नहीं आई और अभी भी नहीं आई है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपकी भी तनख्वाह खाते में नहीं पड़ी है। तनख्वाह तो क्या पड़नी थी, यहां तो विधायक ऐच्छिक निधि भी नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान) आप कल्पना कीजिए। उसके नाते डिजास्टर में मुख्य मंत्री जी ने काम करना है। सरकार ने काम करना है। अगर आप लोग वास्तव में डिजास्टर को मानते हैं तो मण्डी में जश्न मनाने क्यों जा रहे हैं?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज कन्कलूड करें।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : सत्ता पक्ष के सभी विधायक विधान सभा क्षेत्रों के अंदर घूमें और जे0सी0बी0, पोकलेन्ज आदि लेकर जे0ईज0 की गांव के अंदर छाबनियां बना दें और उनको कहें कि 2 महीने के अंदर काम करें तथा सब सड़कें ठीक करें। आप लोगों ने क्या जश्न मनाना? जश्न मनाने से कुछ नहीं मिलेगा। जश्न से टश्न ही होता है और कुछ नहीं होता। यह सूखा टश्न ही है जैसे बसस्टैंड पर कई लोग टश्न मारते हैं। इससे कुछ नहीं मिलता है। ऐसा ही इस जश्न से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ग्राउंड में काम कीजिए और

मेहनत कीजिए ताकि अगली बार हमारे सामने भी यहां कुछ न कुछ सदस्य बोलने वाले हों। कहीं ऐसा न हो कि हम लोग मायूस होकर अकेले ही बोलते

27-11-2025/1430/NS-AG /3

रहें। कहीं ऐसा न हो कि हम लोग अगली बार इस सदन में अकेले ही रह जाएं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि मुख्य मंत्री जी आप पंचायतों के चुनाव करवाएं। कोई भी जीत कर आ जाए, यह कोई पार्टी सिम्बल के ऊपर चुनाव नहीं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कोई भी भाई-बहन जीत कर आएगा तो वह हमारा होगा या तुम्हारा होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी विफलताओं के माथे इस चुनाव की बलि न दें। ऐसा निवेदन करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

27-11-2025/1430/NS-AG /4

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सत्ती जी वरिष्ठ विधायक हैं और बातों-बातों में सब कुछ कह गए। इन्होंने जो कुछ कहा है वह सत्य नहीं है। किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना या किसी के परिवार के प्रति टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। आज तक इस सदन में किसी भी विधायक ने किसी के परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

27.11.2025/1435/RKS/एजी-1

मुख्य मंत्री... जारी

मैं चाहूंगा कि इन्होंने जो 2-3 व्यक्तियों के नाम लेकर टिप्पणी की है उसे एक्सपंज किया जाए। यह बात बिल्कुल उचित नहीं है। एक तरफ तो यह आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ समझा भी रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इन चीजों को रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया जाए।

अध्यक्ष : वे सारी टिप्पणियां जो वांछित नहीं हैं उनका अवलोकन कर रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाएगा। ...(व्यवधान) श्री आर0एस0 बाली जी कृपया बैठ जाइए। मेरे पास दोनों दलों से अभी 7 माननीय सदस्यों के नाम हैं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेना है। श्री सतपाल सिंह सत्ती के बाद श्री आशीष बुटेल, श्री सुख राम चौधरी, श्री हरदीप सिंह बावा, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, श्री विवेक शर्मा (विक्कू) और श्री केवल सिंह पठानिया जी इस चर्चा में भाग लेंगे लेकिन इस विषय पर पहले ही बहुत डिस्कशन हो गई है। इसलिए हम श्री सतपाल सिंह सत्ती के वक्तव्य को अंतिम मानकर इसमें जवाब ले लेते हैं क्योंकि अब यह इशू भी अपने विषय से बाहर जा रहा है। आज इस सदन में और भी कई महत्वपूर्ण विषय लगे हुए हैं जिन पर आगे चर्चा होगी। अगर आप वाजिब समझें तो हम इस चर्चा का उत्तर ले लेते हैं। मुझे लगता है कि आप सब इससे सहमत होंगे। श्री आर0 एस0 बाली जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

श्री आर0 एस0 बाली : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। श्री सतपाल सिंह सत्ती हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने अपने पहले भाग में जो मेरा जिक्र किया है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने सही कहा कि किसी ओर ने कोई चीज लेनी थी और जब कोई आदमी बैंक/चैक के माध्यम से किसी चीज को लेता है तो वह ठीक है। दूसरे भाग में इन्होंने कहा कि 24 करोड़ रुपये माफ हुए थे यह अलग विषय है लेकिन इस विषय को क्लीयर करना जरूरी है। जो भी वन टाइम सैटलमेंट (ओ0टी0एस0) होती है और जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने भी कहा कि इसे कोई सरकार नहीं करवाती है। ओ0टी0एस0 आर0बी0आई0 की गाइडलाइंस के अनुसार होती है। जिस पर्टिकुलर होटल को हमारे परिवार ने लिया है उसकी ओ0टी0एस0 हमारी सरकार बनने से पहले हुई है। जिस आदमी ने लोन लिया था उसकी ओ0टी0एस0 इन्हीं के समय हुई और

27.11.2025/1435/RKS/एजी-2

इसका पैसा भी इन्हीं के कार्यकाल में जमा करवाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह इनकी सरकार ने किया है लेकिन उस समय जो बी0ओ0डी0 ने ओ0टी0एस0 की उस समय हम एम0एल0ए0 भी नहीं बने थे। जो इसका मालिक था उसने अपने पैसे की पहली

किस्त भी इनकी सरकार के समय में ही जमा करवाई है। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने जो दूसरी बात कही है मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने सही कहा कि जब कोई चीज ठीक होती है तो उसको ठीक बोलना चाहिए और जो गलत होती है उसे गलत बोलना जरूरी है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी।

श्री बी0एस0द्वारा...जारी

27.11.2025/1440/बी.एस./ए.एस.-1

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बहिर्गमन कर गए)

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलना का समय दिया आपका धन्यवाद। अभी माननीय सदस्य सतपाल सिंह सत्ती जी ने बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ एक बात का विरोध किया और वे उसी के बारे में बोल गए। एक शब्द है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इनके अंदर एकाग्रता तो है नहीं। अब जिस बात का ये विरोध कर रहे थे उसी का बहाना करके सब के कपड़े उतारने की कोशिश की गई। जहां तक मेरी बात हुई है, यह ठीक है डोमेस्टिक, उसमें मेरी बेटी, बेटे का उधर कुछ झगड़ा है और तलाक का मामला चला हुआ है उसमें इन्हें क्या तकलीफ है? अगर कोई domestic violence है तो ये आएं और गवाही दें। उसमें हरेक केस का अंतर होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह चालाकी और होशियारी नहीं चलेगी। इस किस्म के तरीके से ये सभी के कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे तरीके है और हम भी इसी तरह का जवाब देंगे।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में वापिस आए)

अध्यक्ष : इससे पहले कि मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी उत्तर देंगे and will be supplemented by the Hon'ble Chief Minster. मंत्री जी जवाब दे रहे हैं उसके तुरंत बाद मुख्य मंत्री जी विस्तार से चर्चा का उत्तर देंगे। ...(व्यवधान)...आदणीय रणधीर शर्मा जी कृपया बैठ जाइए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के तहत जो चर्चा हुई है वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा शहरी विकास मंत्री से संबंधित है। इससे अच्छा है कि सीधे इस पर मुख्य मंत्री जी जवाब दें अन्यथा दोनों मंत्री इस पर बोलने शुरू हो जाएंगे।

अध्यक्ष : शहरी विकास मंत्री जी पहले चर्चा का उत्तर दे देंगे।

27.11.2025/1440/बी.एस./ए.एस.-2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने नियम-67 के तहत सदन में चर्चा लाई है और चर्चा यह लाई गई है कि पंचायती राज चुनावों को पोस्टपोन किया जा रहा है। मैं विपक्ष के लोगों की बात सुन करके परेशान हूं कि ये चाहते क्या हैं और सोचते क्या हैं? नियम-67 के तहत पिछले कल पूरा दिन सुबह से ले करके इन्होंने सदन का कार्य नहीं करने दिया और आज बोल रहे हैं के प्रश्न काल पहले लगा दीजिए विपक्ष किस ओर जा रहा है? अगर पंचायत चुनाव की बात है तो उस पर बात करनी चाहिए। ये कभी मनरेगा के ऊपर चले जाएंगे, कभी 15वें वित्तायोग पर चले जाएंगे और कभी डिजास्टर के ऊपर चले जाएंगे। इन बातों की शुरूआत विपक्ष के ओर से ही हुई थी। ...(व्यवधान)

Speaker: Please, now listen to the Hon'ble Rural Development and Panchayati Raj Minister.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : सबसे पहले मैं यह बोलना चाहता हूं कि जब भी चुनाव होता है, विपक्ष के मेरे से वरिष्ठ नेता यहां पर बैठे हुए हैं। पंचायती राज चुनावों में तकरीबन 21,147 के करीब बूथ होते हैं, इसमें सभी श्रेणी के तकरीबन 45 हजार सरकारी कर्मचारी/अधिकारी होते हैं और इसमें एस.डी.एम. से ले करके रेवेन्यू के कर्मचारी तक काम करते हैं। इसके अलावा 10 हजार के करीब पुलिस और होमगार्ड के जवान इसमें लगते हैं। यदि पैसे की बात की जाए तो तकरीब 100 करोड़ रुपये खर्चा पंचायती राज चुनाव में होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज तक कोई भी स्टेटमैंट ऐसी नहीं आई है कि चुनाव पोस्टपोन हो रहे हैं या तो आप लिखित रूप में बता दें। आप अखबारों की

खबर पर मत जाइए। अभी पंचायत चुनाव के लिए 30 जनवरी तक का समय है। मुख्य मंत्री जी ने भी ऐसा नहीं बोला है। जहां तक डिजास्टर मेनेजमैंट एक्ट की बात है जो हमारे प्रदेश में लगा हुआ है। उसमें मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब डिजस्टर मेनेजमैंट एक्ट लगता है तो सभी विभागों की सारी प्रक्रियाएं थम जाती है और डिजास्टर पर सारा काम होता है। यदि मैं आप से पंचायती राज की बात करूं तो तकरीब 631 बिल्डिंग्ज हमारी ऐसी हैं जिनकी हालत खराब है और वहां पर हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। इनमें पंचायत

27.11.2025/1440/बी.एस./ए.एस.-3

भवन और कम्युनिटी सैंटर हैं और इनका केवल मात्र टोटल लोस 196.30 करोड़ रुपये का पंचायती राज विभाग को हुआ है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा द्वारा जारी.....

27.11.2025.1445.डी0टी0-ए0एस0.-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी...

वह 196.30 करोड़ रुपये का हुआ है। रही बात इस नुकसान की भरपाई की तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब पूर्व सरकार वर्ष 2022 में चुनाव हार गई थी और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी उस समय प्रदेश पर 85000 करोड़ रुपये का कर्ज पूर्व भाजपा की सरकार छोड़ कर गई थी। प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की मदद अभी तक नहीं आई है। किसी भी प्रकार की ग्रांट केंद्र सरकार से हमे रिसीव नहीं हो रही है। जो भी गांटस रिसीव हो रही है वे या तो डिजास्टर के हैड में या अन्य मदों में रिसीव हो भी रही हैं। इस प्रकार की ग्रांटस हर स्टेट को मिलती हैं और ये ग्रांटस ऑथाराइज्ड ग्रांटस में आती हैं और किसी प्रदेश को मिलती है।

माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह गांधी जी ने मनरेगा की बात कही। इन्होंने कहा कि मनरेगा के पैसे से डंगे लगाये जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में डंगे लगाना चाहते हैं या नहीं? वर्ष 2023 में जब प्रदेश में वर्षा के कारण भारी नुकसान हुआ था उस समय प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री व पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वरा केंद्र सरकार से आपदा के मुद्दे पर बात की जिसके कारण एक लाख रुपये जॉब कार्ड अलाउ में हुआ और इसी के कारण 1200 करोड़ रुपये के डंगे पूरे

प्रदेश में लगाये गये। वर्ष् 2025 में प्रदेश में आई आपदा के कारण प्रदेश को लगभग 8000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्री पाटिल साहब से खुद बात की जिसके कारण 2 लाख रुपये के पक्के ढंगे, जो पहले अलाउ नहीं थे, को अलाउ करवाया गया। मुख्य मंत्री जी ने निजी स्तर पर केंद्रीय मंत्री से बात करके 50 मेनडेज भी प्रतिवर्ष के लिए सुनिश्चित करवाए। जिससे करीबन 2000 से 2200 करोड़ के डंगे पूरे प्रदेश में लगाये गये और आमजन को इसका लाभ हुआ है। जो नुकसान आपदा के कारण हुआ है किसी गरीब का हुआ है उसका आकलन भावनात्मक रूप में हम नहीं कर सकते। किसी भी गरीब व्यक्ति को 2 लाख रुपये जोड़ने के लिए पूरे साल सेविंग करनी पड़ती है तभी वह 2 लाखा रुपये जुटा सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने 2 लाख रुपये ऐसे प्रभावित परिवारों को देने का प्रावधान किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी कि मनरेगा के अंतर्गत लगाये जा रहे डंगों के संबंध में अगर कोई शिकायत है तो वे हमें बताएं । हम तो यह बोल रहे हैं कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र की किसी पंचायत में 150 जॉबकार्ड हैं तो 150 के 150 का नाम डाल दो अगर पहले

27.11.2025.1445.डी0टी0-ए0एस0-2

नहीं भी डला है तो बाद में डाल दीजिए, विभाग उसमें एक्स पोस्ट फैक्टों सैंक्शन दे देगा। विपक्ष द्वारा एक और बात इस सदन में कही गई कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री की स्टेटमेंट डिफर है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं बोला है कि पंचायती राज संस्थाआं के चुनाव को हम टाल रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने हमेशा यही बोला है कि पंचायत के चुनाव उचित समय पर करवाये जाएंगे।

यहां पर पंचायतों के आरक्षण के संबंध में विपक्ष के साथियों द्वारा चर्चा के दौरान कुछ बातें कहीं गई। मैं यही कहना चाहूंगा कि यह एजंडे से बाहर की बातें हैं। लेकिन मैं इस बात का जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह मेरे विभाग से संबंधित बात है। श्री बलवीर सिंह माननीय सदस्य ने न्यू रोस्टर की बात कही। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सेंसस तो 2011 का है और हमें भी उसकी के अनुसार काम करना पड़ेगा। यह सेंसस तो

भारत सरकार के द्वारा करवाया जाता है। आरक्षण रोस्टर 2011 के सेंसस के आधार पर होगा। जहां तक रोटेशन की बात है 2010 में जिस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उस समय नया रोस्टर तो तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा लागू किया गया था। जब 2010 में रोस्टर के अनुसार पहली बार प्रदेश में चुनाव हुए तो उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। आज 15 साल बाद हमारी केबिनेट में रोस्टर का मामला आया और सरकार उसको रिव्यू कर रही है कि इस रोस्टर को लागू किया जाए या न किया जाए। ओ0बी0सी0 की जो जनगणना है या उससे संबंधित जो डेटा है वह वर्ष 1995 का है । उसके बार ओ0बी0सी0 की जनगणना करना भी हमारी सरकार का पेरोगेटिव है। अभी तक हमने वह जनगणना नहीं की है। उसके ऊपर भी सरकार विचार कर रही है कि वह किया जाए या न किया जाए? प्रदेश में कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें भी हैं जहां पर ओ0बी0सी0 की जनसंख्या नहीं है फिर भी रोस्टर के अनुसार ओ0बी0सी0 को वह जाती है। विशेषकर अगर में शिमला जिले की बात करूं तो। हिमाचल प्रदेश के निचले जिले जैसे कांगड़ा या अन्य जिले हैं उसमें फिर भी ओ0बी0सी0 की जनसंख्या है लेकिन जिला शिमला मे ओ0बी0सी0 की जनसंख्या कम है। इसके ऊपर भी सरकार गहनता से विचार कर रही है।

जहां तक चुनावों को आगे ले जाने की बात विपक्ष बार-बार कर रहा है, तो मैं इस सदन में यह कहना चाहूंगा कि यह भी सरकार की विल है। विपक्ष को यह

27.11.2025.1445.डी0टी0-ए0एस0-3

बात भी इस सदन में कहनी चाहिए कि गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और असम में पंचायती राज के चुनाव क्यों नहीं हुए, इस पर भी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए। प्रदेश में अगर डिजास्टर एक्ट लगा है तो वह कुछ सोच समझ कर ही लगाया गया है क्योंकि प्रदेश हजारो करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। जिन लोगों के घर आपदा में बिल्कुल टूट गये हैं या बह गये हैं उनके लिए अभी तक घरो की व्यवस्था नहीं हो पाई और इसका एक ही कारण है कि प्रदेश में अधिकत्तर भूमि फारेस्ट के अंडर आती है इसलिए उनको घर बनाने के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है। मैं यही बोलना चाहूंगा बाकी विस्तृत जवाब माननीय मुख्य मंत्री महोदय देगें इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री एन0जी0 द्वारा जारी..

27.11.2025/1450/डी.सी.-एन.जी./1

अध्यक्ष के पश्चात..........जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा ने नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया है और सरकार ने उस पर चर्चा करने हेतु इसे स्वीकार भी किया है। इस विषय पर कुछ और माननीय विधायक भी बोलना चाहते थे लेकिन आपने माननीय सदन की सहमति से कहा कि अब सारी बात आ चुकी है और आपने मुझे उत्तर देने के लिए तैयार रहने को कहा इसलिए मैं इस चर्चा का उत्तर देने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय की चर्चा में कुल 18 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। कांग्रेस पार्टी के ज्यादा माननीय विधायकों ने इस विषय पर अपने-अपने विचार रखे हैं और जो इस विषय को चर्चा हेतु लाए हैं उन्होंने चर्चा में कम भाग लिया है।

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था यह होती है कि हर चीज समय की परिधि के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। हमारी सरकार ने चुनाव से संबंधित प्रक्रियाएं जून-2025 से आरम्भ कर दी थीं और राज्य चुनाव आयोग ने भी अपना कार्य आरम्भ कर दिया था। हमारी सरकार ने जून माह से पंचायतों के पुनर्गठन व वार्डबंदी का कार्य, नई पंचायतों को बनाने का कार्य व अन्य संबंधित कार्यों पर काम करना शुरू कर दिया था। हमने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 से भी बड़ी आपदा आ जाएगी। हमने प्रदेश के किसी भी उपायुक्त को राज्य चुनाव अयोग के कार्यों में हस्तक्षेप करने के निर्देश नहीं दिए हैं। जिस प्रकार से 6 माह पहले चुनाव से संबंधित अधिसूचनाएं जारी होनी चाहिए

थीं, वे सभी अधिसूचनाएं उसी प्रकार से जारी होती रहीं। प्रदेश में धीरे-धीरे परिस्थितियां गम्भीर होती रहीं और प्रदेश के हालात वर्ष 2023 में आई आपदा से भी ज्यादा खराब व गम्भीर हो गए।

27.11.2025/1450/डी.सी.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष की आपदा में विपक्ष के नेता के विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस दौरान मैं विपक्ष के नेता के सम्पर्क में रहा और मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ है, उसके लिए तुरंत राहत कार्य आरम्भ किए जाएं। उस दौरान इनके क्षेत्र के अलावा मण्डी जिला के अन्य क्षेत्रों में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से मण्डी जिला में हुए नुकसान की भरपाई करने की बात कही। उसके लगभग 20 दिन बाद चम्बा जिला में मणिमहेश यात्रा आरम्भ हुई और वहां पर आपदा आने के कारण लगभग 10 हज़ार श्रद्धालुगण फंस गए। हमारी सरकार के माननीय राजस्व मंत्री 9 दिनों तक भरमौर में बैठे रहे और तब तक वहीं पर रहे जब तक वहां फंसे हुए अंतिम श्रद्धालु को निकाल नहीं दिया गया। इस प्रकार से हमारी सरकार की संवेदनशीलता दिखाई देती है।

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मण्डी जिला ही प्रभावित था लेकिन उसके बाद कुल्लू जिला में भी आपदा आ गई। उसके बाद धीरे-धीरे पूरा प्रदेश आपदा से प्रभावित होता चला गया। पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के इन्दौरा व नूरपुर के क्षेत्रों में भयंकर आपदा आ गई। हमने जब प्रदेश में डिज़ास्टर एक्ट लागू किया तो उस समय प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य चला हुआ था। हमारी सरकार डिज़ास्टर एक्ट के अनुसार समय-समय पर जिलाधीषों को विभिन्न आदेश जारी करती रही। शिमला शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपदा के कारण काफी नुकसान हुआ। यहां पर हर जगह सेब का सीजन चला हुआ था और हमारी सड़कें पूर्ण रूप से अवरुद्ध थीं। पंचायत की सड़कें व बगीचों की छोटी-छोटी सड़कें भी अवरुद्ध थीं और उन्हीं के माध्यम से सेब को मण्डियों तक पहुंचाना था। उस समय सरकार को एच0पी0एम0सी0 के माध्यम से सेब खरीदना पड़ा और प्रदेश में पहली बार एम0आई0एस0 के द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये के सेब की खरीद की

गई।ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे अपने जिलाधीषों को निर्देश दे सकता था कि आप ये सब कार्य छोड़ कर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारी कीजिए? फिर भी हमने उन्हें इस संदर्भ में कोई भी निर्देश नहीं दिए और वे पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का कार्य भी करते रहे। प्रदेश में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हमारी सरकार को डिज़ास्टर एक्ट लागू करना पड़ा। डिज़ास्टर एक्ट का यह मतलब होता है कि

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

27.11.2025/1455/पी0बी0/डी0सी0-1

मुख्य मंत्री .....जारी

सभी प्रकार के कार्य चाहे वह चुनाव से संबंधित कार्य हैं या कोई अन्य कार्य हैं, हमारी पहली प्राथमिकता आपदा से लड़ने, बागवानों के सेब को मंडियों तक पहुंचाने और पंचायतों की सड़कों को खुलवाने की होगी। यदि हम डिजास्टर एक्ट लगने के बाद संवैधानिक संस्थाओं की बात करें तो पंचायती राज संस्थान के चुनाव भी एक संवैधानिक संस्था है और डिजास्टर एक्ट के प्रावधान भी एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग अपना कार्य कर रहा है लेकिन हमने डिजास्टर एक्ट के बाद अपने अधिकारियों से एक चिट्ठी लिखवाई कि अब डिजास्टर एक्ट लगने के बाद अधिकारीगण आपदा से निपटने के कार्यों में पूर्णतः लग जाएं और चुनाव के कार्यों को कुछ समय के लिए रोक दें। हमने चुनाव स्थगित नहीं किए हैं केवल कुछ समय के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया है। प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगने के बाद निश्चित तौर पर चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता चाहे वह कितनी भी चिट्ठियां लिखें या उनका कुछ भी लीगल ओपिनियन हो। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि उन्हें कोई बिना कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति लीगल सलाह दे रहा है। कानून के आधार पर जब डिजास्टर एक्ट लग जाता है तो चुनाव आयोग की शक्तियां भी उसके सामने कम हो जाती है। अब प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है लेकिन चुनाव आयोग चिट्ठि लिख रहा है। मैंने उसके बाद ही आदेश दिए कि चुनाव आयोग को यह दिशा-निर्देश दिए जाएं कि जब तक प्रदेश की सड़कें नहीं खुलेंगी तब तक हम चुनाव को कुछ समय के लिए रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसमें कुछ गलत नहीं किया है, मैं यह निश्चिततौर पर कह सकता हूं और डिजास्टर एक्ट की धारा का हवाला देकर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा था कि पंचायती राज चुनाव के संदर्भ में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं आपकी सरकार के समय में हुए इस तरह के प्रसंग को याद दिलवाना चाहता हूं। मैंने कल भी आपको कहा था कि आप इस बारे में अगले दिन अपना वक्तव्य देना लेकिन आपने कहा कि मैं इस विषय पर आज ही अपनी बात रखूंगा। मैं शहरी निकाय के चुनाव की बात करना चाहता हूं। आपकी सरकार (नेता प्रतिपक्ष की ओर देखते हुए) के समय में शिमला नगर निगम के चुनाव 17 जून, 2017 से पहले होने चाहिए थे। फिर 17 जून, 2017 को शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए और जून, 2022 से पहले कॉरपोरेशन बन जानी चाहिए थी। परंतु आपने वाड्र्स को इंक्रीज कर दिया जिसकी प्रक्रिया चुनाव से पहले होनी चाहिए थी। हमारी

27.11.2025/1455/पी0बी0/डी0सी0-2

सरकार में नियमानुसार बने वार्ड ही चल रहे हैं लेकिन आपकी सरकार ने वार्ड इंक्रीज कर दिए। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाली श्रीमती सिम्मी नंदा जी ने रिट किया था लेकिन उसमें कोर्ट ने स्टे नहीं दिया फिर भी आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं की। आप कभी चुनाव की डेट देते रहे, कभी वार्ड की डिलिमिटेशन करते रहे और कभी कुछ करते रहे। इस तरह से आपने 9 माह तक वह चुनाव नहीं होने दिया। उस समय कोई आपदा नहीं आई थी लेकिन आपने 9 माह तक इसलिए चुनाव नहीं होने दिए कि अगर जून, 2022 से पहले चुनाव हो जाते तो उसका इम्पैक्ट विधान सभा चुनाव पर पड़ना था इसलिए आपने चुनाव नहीं होने दिया। शिमला में नगर निगम के चुनाव एक दिशा तय करते थे लेकिन आपने नहीं होने दिए। हमने यह चुनाव करवाए और दो तिहाई बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। कल आप कह रहे थे कि वर्ष 2027 में हम पहली कैबिनेट में आपके कार्यों का रिव्यू करवाएंगे। वर्ष 2027 में तो यहां चुनाव नहीं होने हैं। आपने कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। इसी सदन में विपक्ष के नेता ने कहा था कि इस सरकार का भगवान भी नहीं बचा सकता। यहीं से ये लोग सवेरे 6 बजे गवर्नर साहब के पास भी गए थे। हमें प्रदेश की जनता ने और भगवान के आशीर्वाद ने दोबारा से सत्ता में बैठाया है। अभी दो साल दूर है। ...(व्यवधान) आप बैठ जाइए अभी मैंने और बोलना है। ...(व्यवधान) मैं नहीं ऊठा था।...(व्यवधान) आप बाद में बोलना

श्री ए0पी0 द्वारा जारी.....

27.11.2025/1500/H.K./A.P./01

मुख्य मंत्री जारी .....

अभी मैंने इस चर्चा पर और भी कुछ बोलना है। ...(व्यवधान) अभी मैंने कुछ और भी बोलना है। ...(व्यवधान) मैं नहीं उठा ...(व्यवधान) आप बाद में बोलना। मैं तो ...(व्यवधान) फिर भी मैं विपक्ष के नेता का आदर करते हुए बैठता हूं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार-बार असत्य बोला जा रहा है और यह इनकी आदत का हिस्सा बन गया है। मैं असत्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। पहली बात, शिमला कॉर्पोरेशन का चुनाव जून माह में होना था। यह भी सच्चाई है कि इनकी ही एक काउंसलर हाई कोर्ट में गई थी। हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जब तक फैसला नहीं आता तब तक डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती और हम चुनाव आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके बावजूद हमने कोशिश की। यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करने के लिए हमने आदमी भेजे कि आप डिलिमिटेशन के लिए हाई कोर्ट गई हैं, उसे आप विदड्रॉ करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम समय पर चुनाव करवाना चाहते थे। तारीख आगे बढ़ती गई और इसमें अन्य लोग भी शामिल थे। दूसरी बात, जब डिलिमिटेशन में वार्ड बंदी हो रही थी तो सरकार द्वारा वार्डों की संख्या बढ़ाई गई थी। उसमें विवाद था और जब तक वह विवाद सुलझा नहीं तब तक हमें चुनाव की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। अंत में मामला इतना लंबा होते-होते हिमाचल प्रदेश में शिमला कॉर्पोरेशन का कार्यकाल पूरा हो गया। कार्यकाल पूरा होने के बाद हमने चुनावों को स्थगित नहीं किया, बल्कि तुरंत वहां प्रशासन नियुक्त कर दिया और इसी के साथ हिमाचल विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। चुनाव आयोग से राय लेने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि दोनों चुनाव एक साथ संभव नहीं हैं। कॉर्पोरेशन और विधान सभा चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते। देखते ही देखते विधान सभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू हो गई। जब ऐसा हुआ तो उस समय कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। कॉर्पोरेशन के चुनाव विधान सभा चुनावों के बाद ही कराने होते हैं। यह सच्चाई है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बताया गया, वह तथ्य नहीं थे।

अध्यक्ष : रिकॉर्ड स्ट्रेट हो गया।

27.11.2025/1500/H.K./A.P./02

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इस तरह से घुमा-घुमा कर सारी बातें पेश की जा रही है। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि हम सुबह 6 बजे राज्यपाल महोदय के पास गए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह कोई तथ्य नहीं है। तीसरी बात, हम मानते हैं कि हमने कहा था कि आपकी सरकार नहीं बचेगी। आपकी सरकार अब तक बची हुई है इसी में आपको खुशी होनी चाहिए। आपको इसमें ही आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जब तक आपकी सरकार है, तब तक आपको आनंदित रहना चाहिए। मैं विपक्ष का नेता हूं और सरकार के लिए दुआएं नहीं दे सकता। मैं बद्दुआ भी नहीं दे रहा, लेकिन दुआ भी नहीं दे सकता। आपकी सरकार की लंबी उम्र की कामना नहीं कर सकता, लेकिन हां आपकी व्यक्तिगत उम्र के लिए दुआ कर सकता हूं। विपक्ष का नेता होने के नाते यही मेरा धर्म है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे कह सकता हूं कि दो साल बाद फिर से आपकी सरकार आएगी। सरकार तभी आएगी जब आपने कोई गुंजाइश छोड़ी होगी। यह सब आपके ही कर्म हैं जिनके कारण आपकी सरकार नहीं आएगी। हमने क्या गलत कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, उस समय हम रिव्यू करेंगे।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

27.11.2025/1505/AT/HK-01

श्री जय राम ठाकुर जारी...

उस समय हम रिव्यू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां आज रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप शरारत करना छोड़ दें। इससे कुछ फायदा नहीं होता है। मैंने तथ्यों पर बात कही है। बात कहां से शुरू हुई थी? बात हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज्यादा संस्थान खुले हुए,चल रहे संस्थान जो वीरभद्र सिंह जी ने खोले थे, धूमल जी ने खोले थे, जय राम ठाकुर ने खोले थे, बतौर मुख्यमंत्री हमने खोले थे, वह संस्थान आपने बंद किए। हमने कहा कि हम फिर रिव्यू करेंगे। हमने क्या गलत बोला? आपने अपनी टीम को,

---

सोशल मीडिया की टीम को, सारी बात बोलकर के एक कर्मचारी है वह नेता बनना चाहता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद कहा गया कि यह तो ओ0पी0एस0 के लिए बोला गया। हमने न तो ओ0पी0एस0 शब्द का इस्तेमाल किया, न किसी और के संदर्भ में हमने कहा, न हमने रद्द करने की कोई बात कही, हमने सिर्फ कहा हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब है कि बंद करेंगे यह उसका मतलब नहीं होता। रिव्यू का मतलब है कि जो अच्छे फैसले लिए होंगे तो उन्हें जनहित में करेंगे, जो अच्छे फैसले नहीं लिए होंगे, उन पर रिव्यू करेंगे। इसमें हमने क्या गलत बोला? लेकिन आपने पूरी टीम को लगा दिया, पूरी चीज़ को लेकर ऐसा बोला, और काट-काट करके यह बार-बार एक जनसंपर्क विभाग की एजेंसी हायर करके रखी है। 4-5 पेज उनको दे रखे हैं। कोई "युवा जोश" करके एक पेज है जो सुबह से शाम तक हमारे खिलाफ 10-10 पोस्टें डालता है, गाली-गलोच देते हैं। जनसंपर्क विभाग इस काम के लिए है क्या? मुख्यमंत्री जी, यह विभाग आपकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए है, आपकी सरकार के अच्छे कामों का प्रचार करने के लिए है। जनसंपर्क विभाग हमारे लिए गाली देने के लिए नहीं है। जिस आदमी ने FIR दर्ज की उस अधिकारी को दूसरे दिन वहां से बदल दिया गया। यह सरकार का आदेश है? क्या आदेश है कि आपको किसने कहा FIR दर्ज करने के लिए? IT Act के तहत वह FIR दर्ज हुई। मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से भी कहा था कि इस निम्न स्तर तक मत जाइए। इससे आपका फायदा नहीं, नुकसान होगा। क्योंकि जो गाली, जो भाषा वहां इस्तेमाल की जाती है वह देव-भूमि नहीं स्वीकार करती है हिमाचल के लोग मुझे कहते हैं, लिखते हैं कि दिमाग खराब हो गया है किसका हुआ है यह मुझे नहीं मालूम लेकिन लोग लिखते हैं। ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। ...(व्यवधान) आप अपना

27.11.2025/1505/AT/HK-02

प्रचार कीजिए, योजना के लिए जो मर्जी कीजिए लेकिन गाली देने के लिए उस एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। (***)...(व्यवधान) आपका पेज भी वही चलाता है... (व्यवधान) अगर बात जाएगी, तो यहां तक जाएगी। यदि इन्होंने बात कही होती... (व्यवधान) हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के संदर्भ में तो बात समझ में आती लेकिन इन्होंने छेड़ दिया तो अब छेड़ा है तो छीड़खानी हुई है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जमीनी स्तर पर कोई भी डिजास्टर के तहत

कोई काम नहीं हो रहा। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पानी की स्कीम टूटी हैं तो टूटी हैं। लेकिन पंचायत के चुनाव स्थगित करने के लिए, आगे करने के लिए डिजास्टर एक्ट का हवाला देना, मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है।

अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कितने दयालु है आपने 10 मिनट दे दिए। हमने भी स्वीकार कर लिया। दर्द में विपक्ष के नेता को थोड़ी सी पीड़ा हो रही होगी। मैं तो सत्य बता रहा हूं 6 बजे नहीं गए तो 7:30 बजे गए होंगे... (व्यवधान) साथ-साथ तो गए और मैं यह बात किस संदर्भ में कह रहा हूं? कल यहां आकर पूर्व मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे ऐसा होगा, पहले ही सारे निर्णय बदले जाएंगे

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

म0डी0 द्वारा जारी ......

7-11-2025/1510/YK/MD/1

मुख्य मंत्री---जारी

कल यहां पर पूर्व मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, पहले ही सारे निर्णय बदल दिए जाएंगे। यह तो अभी से सोच रहे हैं, जैसे कोई भविष्यवक्ता बन गया हो और जब कोई भविष्यवक्ता होता है वह गलतफहमी में चला जाता है। ...(व्यवधान) रिव्यू तो तब ही करेंगे जब जनता वापिस इनको सत्ता में लाएगी। यही सोचकर मैंने कल भी कहा था कि आजाद उम्मीदवारों को कभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। वे किसी भी पार्टी की हार-जीत को प्रभावित कर सकते थे और इन्होंने उनको भी ये सोचकर मरवाया कि जनता इनको सत्ता में लेकर आ रही है। चारों लोकसभा सीटें जीतकर सोचा गया था कि हमारी सरकार आएगी, आप देखते जाओ आगे-आगे क्या होता है। एक चीज मैं स्पष्ट कह दूं कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। मैंने पहले दिन से ही कहा है कि मैं कल के लिए नहीं

सोचता, मैं आज के लिए सोचकर चलता हूं और जब मैं आज के लिए सोचता हूं तो अपने जीवनकाल में जिस भी पद पर रहा हूं काफी लंबे समय तक उस पद पर रहा हूं। मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष के नेता निश्चित रूप से तनाव में हैं, खज्जल तो आप हैं मैं नहीं हूं। आप कहां की बात को कहां ले जा रहे हैं। संविधान के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव छह महीने के भीतर करवाना अनिवार्य है। यदि कोई आपदा न हो। नगर निगम शिमला के चुनाव 17 जून 2022 से पहले होने चाहिए थे और नहीं हुए। फिर उदाहरण दे रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा कहा या वैसा कहा। लेकिन सच्चाई यह है कि तब आपकी मंशा चुनाव करवाने की नहीं थी, इसलिए चुनाव समय पर नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह सच्चाई है यह कोई झूठ नहीं, बल्कि यह रिकॉर्ड कागजों पर है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने आपदा की बात की, व्यकितगत तरीके पर बात की। हमारा आप पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी का इरादा नहीं है। हम विपक्ष के नेता का सम्मान करते हैं, इसलिए मैंने बैठकर आपको बोलने का मौका दिया। यह नहीं कहना कि झूठ है। कुछ नहीं हो रहा ये इन्होंने अभी कह दिया। चैलचौक से छतरी तक का सड़क मार्ग सी0आर0एफ0 में हमारी सरकार ने स्वीकृत किया, और यह नहीं देखा गया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी की विधान सभा क्षेत्र में आता है। हमने सड़कों को सी0आर0एफ0 में डाला उसमें से एक ही सड़क स्वीकृत हुई दो सड़के अभी तक स्वीकृत

27-11-2025/1510/YK/MD/2

नहीं हुए क्योंकि उसको अभी-अभी स्वीकृति मिली है। इसी विधान सभा के पटल पर हमने कहा था कि सिराज क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, और सिराज के आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए जब मंडी में कार्यक्रम रखा गया, तो सबको निमंत्रण दिया गया। राजनीति विपक्ष करता है। ...(व्यवधान)

Speaker : No interruption please. I am not permitting anybody now. The Hon'ble Chief Minister will conclude his statement thereafter I will permit.

मुख्य मंत्री : अगर मैं विपक्ष के नेताओं को बोलने देता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई बोले।

Speaker : I am not allowing anybody now.

मुख्य मंत्री : चलिए हम यह भी मान लेते हैं कि डी0सी0 साहब ने सबको बोला और सबको बोलने का दायित्व भी डी0सी0 का ही बनता है। अगर नहीं भी बोला तो मंडी के परिवार के लोगों पर आपदा आई थी। जंजैहली और सिराज के लोगों पर भी आपदा आई थी उनके घर टूट गए बेचारा रात को जिस घर में सोया था सुबह वह घर बह गया। इसमें आपका कोई दायित्व नहीं बनता था? एक विधायक श्री अनिल शर्मा जी थे उनसे हमने प्रार्थना की कि आप आइए। उनके मण्डी में भी आपदा आई थी उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे क्षेत्र के लोगों को पैसे दे रहे है मैं तो ही आऊंगा,नहीं तो मैं भी नहीं आऊंगा। मैंने उनसे कहा कि हम सभी आपदा प्रभावित परिवारों को चार लाख रुपये की पहली किस्त देने जा रहे हैं आप आइए, मंच पर आपको बोलने का अवसर मिलेगा। हमने अनिल शर्मा जी को बोलने दिया, हमने सोचा विपक्ष के विधायक हैं नहीं बोलेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बोलना चाहता हूं और हमने उनको भी मौका दिया। क्योंकि यही लोकतंत्र है जो आज लोकतंत्र की दुहाई की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हर आपदा प्रभावित परिवार के खाते में चार लाख रुपये डाले। जिनके घर आंशिक रूप से टूटे, उन परिवारों से जब हम मिले और उनकी भावनाओं को हमने पढ़ लिया। उनके लिए उसी दिन घोषणा की कि पहले 70,000 रुपये दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर बिस्तर, पलंग, बर्तन आदि के लिए 1,00,000 रुपये किया जाएगा, और 11 दिसंबर को यह 1,00,000 रुपये सबके खातों में डाल दिए जाएंगे। सरकार संवेदनशीलता से काम करती है। **श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

27.11.2025/1515/केएस/वाईके/1

मुख्य मंत्री जारी ----

अध्यक्ष महोदय, सरकार संवेदनशीलता से काम करती है। सरकार की भावनाएं होती हैं, सरकार का सेवा भाव होता है। सरकार एक व्यक्ति की नहीं होती। मुख्य मंत्री या मंत्रिमण्डल की सरकार नहीं है, सरकार जनता की भावनाओं से चुनकर जब सत्ता में आती

है तो उनके दर्द को समझती है। यही हमारी सरकार की कर्तव्यनिष्ठा है जहां हमारे मंत्री 9-9 दिनों तक मणिमहेश में लोगों की सहायता के लिए बैठे रहे। मणिमहेश में जो एयरफोर्स के या दूसरे हैलीकॉप्टर आते हैं, उसका 5 करोड़ रुपये का बिल अभी हमने स्वीकृत किया है। परिवार के एक-एक सदस्य को एच.आर.टी.सी. की बस में बिठाकर घर तक पहुंचाया है। हमारे राजस्व मंत्री माननीय जगत सिंह नेगी जी, जिनके बारे में ये कह रहे हैं, मैं आपको उनकी भावना बताता हूं। परिवार में आपसी कलह हो जाती है। पति-पत्नी में भी आपसी कलह चलती रहती है लेकिन बाद में सुलह भी हो जाती है। आज की जनरेशन में गुस्सा है। यह परिवारों की बात नहीं है। इनकी भावना बताता हूं कि चम्बा से ...(व्यवधान) इन्होंने आपके परिवार पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। चम्बा से ये मशीने ले कर पैदल चले और भरमौर पहुंचे जहां ये 9 दिन तक रहे। राजस्व मंत्री जी सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं। चंद्रताल में 295 लोग फंस गए थे। एयरफोर्स ने कहा कि वहां हैलीकॉप्टर की लैंडिंग की सुविधा नहीं है और दुर्घटना हो सकती है। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। आपमें सुनने की क्षमता नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो बता देना। एयरफोर्स वालों से मैंने खुद बात की लेकिन उन्होंने कहा कि लैंडिंग की सुविधा नहीं है और कोई दुर्घटना होगी तो क्या आप जिम्मेवारी लोगे? फिर राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी और माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी वहां माइनस डिग्री टैम्प्रेचर में गए और 295 पर्यटकों को वहां से सुरक्षित निकाला, यह इस सरकार की गम्भीरता और संवेदनशीलता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे ही हम डिजास्टर एक्ट हटाएंगे, हम पंचायत के चुनाव करवाएंगे। ...(व्यवधान) इनके समय के बारे में भी बताना चाहूंगा। आपकी जहां-जहां सरकारें हैं, आप हमें तो कहते हैं कि मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, करते नहीं हैं। हम मानते भी हैं, सुनते भी हैं और करते भी हैं। हरियाणा के चुनाव वर्ष 2019 में होने थे लेकिन वर्ष 2025 में हुए। यू.पी., असम, महाराष्ट्र और

27.11.2025/1515/केएस/वाईके/2

राजस्थान के चुनाव 3 से 5 साल डिले हुए परंतु हमारा विचार ऐसा नहीं है। हम पंचायत इलैक्शन करवाएंगे लेकिन अभी नई पंचायतों का पुनर्गठन चल रहा है। हमने कुछ नई

पंचायतें बना दी हैं, कुछ नई पंचायतें बननी हैं। उसका अभी नोटिस निकलेगा और नई पंचायतों के बाद हम चुनाव करवाएंगे। कुछेक पंचायतें 9-9 हजार की हैं। नालागढ़ के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां 9 हजार आबादी की तीन-चार पंचायतें हैं और 5-5 हजार की भी तीन-चार पंचायतें हैं। अगर आपकी भी कोई पंचायत ऐसी होगी तो आप बता देना। ...(व्यवधान) आपके समय में भी होंगी, आपने भी नई पंचायतें बनाईं परंतु नालागढ़ में अभी भी कुछ पंचायतें 9-9 हजार की आबादी की हैं। ...(व्यवधान) तो आपने 412 बनाई हैं, अच्छा किया कि बनाई हैं लेकिन जब हम बनाने लगे तो आप क्यों यह प्रस्ताव ले कर आ गए? ...(व्यवधान) पहले हम डिजास्टर से निपट रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि संविधान के निर्माता से ले कर संविधान की रक्षक तक कांग्रेस पार्टी है। इसी संविधान के कारण आज आप लोग विधायक बनते हैं और इसी संविधान के कारण मुख्य मंत्री और मंत्री बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं डिजास्टर एक्ट के प्रावधान भी बताना चाहता हूं। आप लोग भी खुश होंगे क्योंकि क्या आप कुपवी या लाहौल-स्पिति में माइनस 40 डिग्री में चुनाव करवाना चाहते हो? वोटिंग परसेंटेज भी तो 80 परसेंट होनी चाहिए। लोकतंत्र सही मायने में वह होता है। ...(व्यवधान) मैं आपको जवाब ही तो दे रहा हूं। आप तो समझदार हैं। हमने कहा कि पंचायतों का पुनर्गठन होगा, पंचायतों की सीमाएं होंगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.11.2025/1520/av/AG/1

मुख्य मंत्री-------- **जारी**

अध्यक्ष महोदय, डिजास्टर एक्ट 2005 राज्य सरकार को व्यापक और अनिवार्य अधिकार प्रदान करता है। जिसके तहत राज्य सरकार आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक सभी कार्य कर सकती है। जिसमें राज्य के सभी डिपार्टमैंट्स, ऑथोरिटीज, बोडीज, लोकल बोडीज इत्यादि को बाध्यकारी निर्देश तथा आदेश जारी करना शामिल है। सेक्शन-21 के तहत

राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य कार्यकारी समिति को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाए। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से बाध्यकारी निर्देश जारी करने और उनके क्रियान्वयन की मांग करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सेक्शन-22 और 24 के अंतर्गत राज्य कार्यकारी समिति को किसी भी विभाग या ऑथोरिटी को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है जो थ्रैटिंग डिजास्टर सिचुएशन या डिजास्टर की अवस्था में किए जाने वाले कार्यों से संबंधित है। जिनमें तैयारी, डिजास्टर कम करने के उपाय, प्रतिक्रिया, बचाव और हाथ से जुड़ी कार्रवाई शामिल है। यह अधिकार राज्य सरकार के ओवरऑल कंट्रोल के अधीन प्रयोग किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 72 के अनुसार डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट 2005 के ओवरराइडिंग प्रावधान है जिसके अनुसार यह प्रावधान अन्य सभी कानूनों से ऊपर है। यानी स्टेट इलैक्शन से संबंधित जो भी नियम बनते हैं तो डिजास्टर के कानून के प्रावधान उससे भी ऊपर है। अतः राज्य सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट के अंतर्गत जारी कोई भी निर्देश या आदेश किसी भी कानून, नियम, विनियम, रेगुलेशन अथवा प्रशासनिक आदेश के विपरीत होने पर भी प्रभावी होगा। यानी अभी तक जो कुछ राज्य चुनाव आयोग ने कहा हम उनकी बातों को मानते रहें। लेकिन आज के बाद से डिजास्टर एक्ट का यह प्रावधान राज्य चुनाव आयोग से ऊपर माना जाएगा। उपरोक्त के मद्देनज़र यह स्पष्ट है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 राज्य सरकार को यह पूर्ण अधिकार प्रदान करता है कि वह प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु किसी भी प्रकार के निर्देश जारी कर सकें या आदेश पारित कर सकें। ऐसे निर्देश राज्य के सभी विभागों, ऑथोरिटीज, लोकल बोडीज तथा राज्य में कार्यरत अन्य सभी एजैंसीज पर बाध्यकारी होते हैं। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट का प्रावधान लागू है। अतः स्टेट

27.11.2025/1520/av/AG/2

इलैक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट या चुनाव से संबंधित कोई भी निर्देश जारी नहीं कर सकता। चुनाव आयोग के निर्देश डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह चीज इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि हमने स्टेट इलैक्शन कमीशन का आदर किया। वोटर लिस्ट्स से लेकर बैलेट पेपर्ज तक, हमने सबका आदर किया। लेकिन आज के बाद से हम राज्य में इस डिजास्टर एक्ट को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। यहां से जैसे ही डिजास्टर एक्ट हटेगा, उसके बाद हम प्रदेश में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव करवाएंगे। ...(व्यवधान) प्रदेश में जैसे ही डिजास्टर से प्रभावित परिवारों को बसा दिया जाएगा और जैसे ही किसी की पशुशाला ...(व्यवधान)

Speaker: No interruption please. Don't pay attention to their queries?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वह मोदी जी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ...(व्यवधान) अगर डिजास्टर नहीं आता तो हम इस समय चुनाव की तैयारी कर रहे होते। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : विधान सभा के चुनाव मुख्य मंत्री जी ने थोड़ी न करवाने, वह तो भारत सरकार के चुनाव आयोग ने करवाने हैं। ...(व्यवधान) i.e. Election Commission of India's domain. अभी पंचायतीराज चुनाव की बात हो रही है।

मुख्य मंत्री : टी **सी द्वारा जारी**

27.11.2025/1525/टी0सी0वी0/ए0जी0/-1

...(व्यवधान) माननीय हर्षवर्धन जी प्लीज बैठ जाइये, मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर हम दिसंबर में इलैक्शन करवाते हैं तो अभी सरकारी स्कूलों में वैसे ही पिछली सरकार ने बेड़ागर्क करके रखा हुआ था और यदि हमने इलैक्शन करवा दिए तो और बेड़ागर्क हो जाएगा।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की परिस्थितियां इंडिकेट कर दी है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। श्री जय राम ठाकुर जी कह रहे थे कि हम पहली बैठक में सारे मामले रिव्यू करेंगे लेकिन जनता ने रिव्यू कर दिया है।

जब हमने स्कूलों को मर्ज किया और रिव्यू किया उसके बाद विधान सभा का चुनाव हुआ और जनता ने कहा कि जहां बच्चे नहीं हैं और तीन बच्चों पर पांच टीचर हैं उन स्कूलों को मर्ज करके अच्छा किया। दूसरी बात आप सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में कह रहे हैं तो मैं आज आपको कह सकता हूं कि राजस्थान में श्री अशोक गहलोत जी ने ओल्ड पेंशन दी थी और वह भी अब इनकी सरकार द्वारा बंद की जा रही है और कर्मचारियों को मिल नहीं रही है। यह वैसा ही हाल है जैसा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का है। आपने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खोल दी लेकिन न कर्मचारी और न ही टीचर भरे तथा छोटे-से कैंपस में यूनिवर्सिटी खोल दी। मैं आज भी कह रहा हूं कि आप इस पर विचार करें कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को एच0पी0 यूनिवर्सिटी के साथ रीजनल सेंटर के रूप में मर्ज कर दीजिए, अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे ही डिजास्टर एक्ट हटेगा हम चुनाव करवा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी एक मिनट बैठ जाइए। नियम-67 में क्लैरिफिकेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं। अगर संतुष्ट हैं तो स्थगन प्रस्ताव वापस होगा और अगर संतुष्ट नहीं हैं तो मैं इसे वोट के लिए डालूंगा। ...(Interruption) There is no need of any clarification. इसमें क्लैरिफिकेशन की कोई

27.11.2025/1525/टी0सी0वी0/ए0जी0/-2

आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट विड्रॉ नहीं होगा तब तक पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे। डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट स्टेट इलैक्शन कमीशन पर भी लागू होता है और आज इनके वक्तव्य के बाद उसके प्रोविजन्ज स्टेट इलैक्शन कमीशन पर भी स्ट्रिक्टली एनफोर्स होंगे। This is what the Hon'ble Chief Minister has said in the House. अब इसके बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं बनता है तो क्या माननीय सदस्य अपना स्थगन प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हैं?

माननीय सदस्य : नहीं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बर्हिगमन कर गए)

अध्यक्ष : तो अब प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव टालने और इस संबंध में चुनाव आयोग से टकराव से संबंधित प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाए।

प्रस्ताव अस्वीकार

(सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव टालने और इस संबंध में चुनाव आयोग से टकराव से संबंधित प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानकर्षण प्रस्ताव

अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। माननीय श्री विपिन सिंह परमार अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय लोक निर्माण मंत्री उसकी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री विपिन सिंह परमार एन0एस0 द्वारा शुरू ...

27-11-2025/1530/NS-AS/1

अध्यक्ष ------जारी

श्री विपिन सिंह परमार जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और लोक निर्माण मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

(श्री विपिन सिंह परमार जी सदन में वापिस आए)

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-62 के अंतर्गत "होली-उतराला सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने बारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

अध्यक्ष महोदय, होली-उतराला सड़क दो जिलों को जोड़ती है। यह सड़क महत्वाकांक्षी जिला चम्बा और जिला कांगड़ा को जोड़ती है। अध्यक्ष महोदय, माइक की डिस्टर्बेंस हो रही है।

Speaker : I regret that mike system is not working properly yesterday I had also noticed it.

श्री विपिन सिंह परमार : यह सड़क भरमौर की तरफ से होली से उतराला की तरफ बैजनाथ से जुड़ेगी और मैं इस विषय में अपनी बात यहां पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि जब हम भरमौर की तरफ से या कुगती की तरफ से चलते हैं तो चम्बा, डलहौजी से आपके विधान सभा क्षेत्र भटियात से होते हुए बैजनाथ, उतराला, छोटा भंगाल की तरफ आते हैं तो ये दूरी लगभग 350 किलोमीटर बनती है। मैं इस विषय को लेकर यहां पर अपना वक्तव्य दे रहा हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस रोड को निकालने के लिए एम0डी0आर0 (Majot District Road) में इसको प्रस्तावित करती है और भारत सरकार के पास इस रोड को जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजती है तथा अगले वर्ष जब वर्ष 2026 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो उस बजट में अगर इसका उल्लेख किया जाता है तो सी0आर0आई0एफ0 से इस रोड के लिए प्रस्तावित कार्य योजना या एस्टिमेट बन सकता है जिसके कारण इसकी कनैक्टिविटी आसानी से हो सकती है। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है चाहे उसमें भरमौर, होली, बड़ग्रां या नयाग्रां शामिल है। इस तरफ के तमाम लोगों का दूसरा घर प्रदेश के अन्य जिलों की किसी न किसी तहसील में है। ये लोग सर्दियों के दिनों में पलायन करते

27-11-2025/1530/NS-AS/2

हैं। ये नूरपुर के किसी इलाके में बस जाते हैं या इन्होंने वहां पर अपने घर बनाए हुए हैं। ये लोग धर्मशाला में काफी तादाद में हैं। ऐसे पलायन करने वाले लोगों की पालमपुर तहसील

या नई बनी हुई तहसील में संख्या अत्याधिक है। यहां तक कि चौंतड़ा, जिला मण्डी, जिला हमीरपुर में भी ऐसे लोगों ने घर बनाए हुए हैं। ऐसे परिवारों की चल व अचल सम्पत्तियां जिला कांगड़ा में भी बहुत हैं। इन लोगों के वहां पर खेत-खलियान व बाग-बगीचे हैं और रोजमर्रा के कामों के लिए ऐसे लोगों को प्रतिदिन आना-जाना पड़ता है। जब दूरी 350 किलोमीटर से कम हो करके केवल 73 किलोमीटर रह जाएगी तो इन लोगों को आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। दूसरा पक्ष यह है कि

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

27.11.2025/1535/RKS/AS-1

श्री विपिन सिंह परमार... जारी

यह रोड धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरता हुआ उतराला से होली तक पहुंचेगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी भरमौर के लोगों को जिला कांगड़ा में आने के लिए सुविधा होगी और जो यह 73 किलोमीटर का ट्रैक है इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जब हम धौलाधार पर्वत के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे तो इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उतराला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अंतराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग की साल भर अनेकों प्रतियोगिताएं होती हैं। रिलिजियस सर्किट से जोड़ने के लिए यहां पर बाबा बैजनाथ, मां चामुण्डा, मां ब्रजेश्वरी, काठगढ़ मंदिर, मां चिंतपुरनी और मां ज्वाला जी के मंदिर स्थापित हैं। यानी इस तरीके से भी पर्यटन का बढ़ावा मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे डलहौजी, चाहे खजियार, चाहे चम्बा, होली या फिर मणिमहेश की यात्रा जिसमें हर वर्ष लाखों लोग शामिल होते हैं, इस रोड के बनने से पर्यटन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जब भेड़ पालक कुगती, पांगी से होकर लाहौल स्पिति तक जाते हैं तो वे इसी जालसू पास से गुजर कर उतराला पहुंचते हैं। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे किए जाते हैं परंतु इस 20 किलोमीटर के ट्रैक का सर्वे अभी तक लोक निर्माण विभाग ने नहीं किया है। यह अत्यधिक कठिन टैरेन है और इसका सैटलाइट सर्वे किया जा सकता है या जो सर्वे करने की अन्य

टेकनिक है उसके माध्यम से भी हो सकता है। हम इस पर लंबी बात तभी कर सकते हैं जब माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर इनिशिएट लें। आप इसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में डालने के बाद अप्रूवल के लिए केंद्र सरकार को भेजें। मेरी आपसे विशेष रूप से गुजारिश है कि आप CRF के तहत इसके लिए पैसे का प्रबंध करवाएं। भेड़ पालक कहते हैं कि वहां काफी ग्रीन पैच है, काफी खुले मैदान हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वहां पर पैराग्लाइडिंग, साइकलिंग और आइस स्केटिंग के काफी स्कोप हैं। मुझे लगता है कि ट्रैकर और ट्रैकिंग के माध्यम से भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह रोड जनहित में दोनों जिलों को जोड़ता है जिससे हमारे राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ पर्यटन को भी चार चांद लगेंगे। मणिमहेश यात्रा हर वर्ष होती है और उसमें लाखों की तादाद

27.11.2025/1535/RKS/AS-2

में लोग वहां पहुंचते हैं। अगर यह रोड बनता है तो मणिमहेश तक पहुंचने के लिए जो 350 किलोमीटर की दूरी है वह कम होकर 73 किलोमीटर तक रह जाएगी।

श्री बी0एस0द्वारा...जारी

27.11.2025/1540/बी.एस./डी.सी.-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी ...

यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी ट्रैक में कुछ किलोमीटर की दूरी पर बड़ा भंगाल है और बड़ा भंगाल की जो छोटी पंचायत है वहां बीड़ से पैदल पहुंचने के लिए चार दिन लगते हैं परंतु जो लोग वहां पर रहते हैं अगर उनके लिए वहां पर खाद्य सामग्री पहुंचाई जानी हो तो प्रदेश सरकार की ओर से वहां पर हेलीकॉप्टर भेजा जाता है। परंतु जब यह रोड बन जाएगा तो बड़ा भंगाल जो देश से कटा रहता है इस रोड के बनने से कनेक्टिविटी और सरल हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह बात भी मैं मुख्य मंत्री और लोक निर्माण मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और यहां पर रखना चाहता हूं कि इस रोड के बनने से यहां की दूरी कम होगी और समय की बचत होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोक निर्माण विभाग ने यहां पर काम किया है और मुझे याद है कि जब मैं वर्ष 1998 में पहली बार इस माननीय सदन में आया था उस समय सर्वे हुआ था और होली की तरफ से जो सड़क का निर्माण है वह लोक निर्माण, डिवीजन भरमौर को दिया गया था और उतराला से ले करके जालसू पास तक का निर्माण का काम बैजनाथ डिवीजन को दिया गया था। नाबार्ड में इस पैसे का प्रबंध किया गया था परंतु वहां स्थानीय लोगों का क्या कहना है कि रोड तो बन गए हैं परंतु पिछले सालों में जो आपदाएं आई हैं उससे रोड अवरुद्ध हो गया है, डंगे गिर गए हैं यानी वहां पर आवागमन पूरी तरह से रुक गया है, यह भी मैं कहना चाहता हूं। उतरला की तरफ से 13 किलोमीटर ढूंढी नाला तक यह रोड बना है और होली से ले करके इलाके की माता तक लगभग 19 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। यानी यह 32 किलोमीटर सड़क बनी है। जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार 73 - 32= 41 किलोमीटर का यह स्टैज है जिसमें लगभग 25 किलोमीटर पर सर्वे होना है जो भी सरकार के माध्यम से सर्वे की तकनीक सेटेलाइट के माध्यम से या कोई अन्य माध्यम से हो सकती है तो इसको अवश्य किया जाए। इस विषय को माननीय सदन में मैं उस जनजातीय क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो चम्बा एस्पिरेशनल जिला है और अध्यक्ष महोदय, उस चम्बा जिला से आपका भी सरोकार है और यहां जिला कांगड़ा में उस

27.11.2025/1540/बी.एस./डी.सी.-2

जिला के अधिकतर परिवारों के लोगों ने यहां कांगड़ा के अलग-अलग इलाकों में घर बनाए हैं और बसाए हैं वे लोग वहां पर रहते हैं। इसमें चुनौतियां बहुत हैं यह काम आसान नहीं है। उन चुनौतियों में यह 20 किलोमीटर का पहाड़ी और चट्टानों भरा रास्ता है और दूसरा बीच में नाले हैं। यह उन लोगों की जानकारी है जो वहां पर भेंट पालक हैं वे जलसू से हो करके वह होली, भरमौर, पांगी तक पहुंचाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो दृश्य इस ट्रैक में है ऐसा कहीं नहीं होगा है। मैं आपके ध्यान में सारी-की-सारी चुनौतियां भी ले करके आया हूं।

मैं इस माननीय सदन के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आज जो टू लेन हैं उन्हें फोर लेन में बदलने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है, सामरिक दृष्टि से इस महत्वपूर्ण रोड को बनाने के लिए अगर एम0डी0आर0 में प्रस्तावित करने के बाद केंद्र सरकार से राष्ट्रीय उच्च मार्ग में तब्दील कर अगर इस पर काम शुरू होता है तो निसंदेह यह एक नया प्रयास होगा और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को इससे अवश्य लाभ मिलेगा और एस्पिरेशनल जिला में जो कठिनाइयां है

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा द्वारा जारी.....

27.11.2025.1545.डी0टी0-डी0सी0-1
श्री विपिन सिंह परमार जारी...

उन कठिनाइयों के लिए भारत सरकार गंभीर है और अगर सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अगले वित्तीय वर्ष में अगर उतराला-होली सड़का का उल्लेख हो जाए तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह एक नए काम की नई शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत वर्तमान सरकार करेगी। यह रोड आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

अंत मे मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं आपने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए मुझे समय दिया। यह लोक निर्माण विभाग के बस की बात नहीं है। मैं विभाग की कार्यप्रणाली पर उंगली नहीं उठा रहा माननीय लोक निर्माण मंत्री काम करते हैं और काम कर भी रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग ने एक एस्टिमेट बनाया जो 1863 करोड़ रुपये का था। यह एस्टिमेट आज से कई साल पहले बनाया गया था। उसके बाद तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो काफी बढ़ गई है। उस समय विभाग को कहा गया होगा और विभाग की ओर से इस रोड का एस्टिमेट तैयार कर दिया गया। इस सारे काम को करने के लिए सरकार सिर्फ एक काम करे की वह भारत सरकार के साथ इस विषय को उठाएं। इस रोड के लिए नाबार्ड से कभी 10 करोड़ रुपये आए कभी 4 करोड़ रुपये आए और कभी 20 करोड़ रुपये आए लेकिन आज भी वह सड़क चलने योग्य नहीं है। यह रोड जीपेबल भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला कांगड़ा के धार्मिक स्थलों की बात कही लेकिन जो जिला में स्थापित स्वास्थ्य संस्थान हैं चाहे उसमें टांडा मेडिकल कॉलेज है या एम्स बिलासपुर है या पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ है, अगर यह रोड बन जाती है तो दूरदराज के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में और आसानी हो जाएगी और इसके साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी से निवदेन करना चाहता हूं कि मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है इसमें कुछ शब्द और जोड़ना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि इससे पहले इसको इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड में शामिल किया जाए और सी0आर0आई0एफ0 के तहत इसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाए क्योंकि उसमें टनल का प्रावधान है, उसमें हार्ड रॉक को तोड़ने के लिए जो एस्टिमेट बनेगा अगर उस तरीके से आप इस रोड को जोड़ेंगे तो यह उचित होगा। कांगड़ा बहुत बड़ा जिला

27.11.2025.1545/डी0टी0-डी0सी0-2

है। जो हमारा आकांक्षी जिला चम्बा है वहां भरमौर, होली, बड़ग्रां इत्यादि जो जनजातीय क्षेत्र है, उनको इससे लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने यशपाल जी का नाम लिया। श्री यशपाल जी हमारे प्रेस सेक्रेटरी है और वह इस प्रकार की वारदातों में शामिल नहीं होते जो इन्होंने व्यक्तिगत टिपणी उनके बारे में की थी। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। हमने अपने प्रेस सेक्रेटरी रखे हैं।

Speaker : All those undesirable commens will not be a part of the reocrd, and I will peruse it. अब माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय ध्यानाकर्षण का उत्तर देंगे।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के तहत जो श्री विपिन सिंह परमार होली-उतराला सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए हैं इसमें इन्होंने अपने महत्वपूर्ण और सकारात्मक विचार रखे हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है। जैसे

यह कह रहे थे कि कई दशकों से इस विषय के ऊपर इस सदन के माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मैं समझता हूं कि यह गंभीर चर्चा है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

27.11.2025/1550/एच.के.-एन.जी./1

लोक निर्माण मंत्री........जारी

जनजातीय क्षेत्र को जिला कांगड़ा से जोड़ने के लिए इसका महत्वूपर्ण इतिहास रहा है। उस क्षेत्र के लोगों से संबंधित और विशेषकर गद्दी (अनुसुचित जनजाति) समुदाय से संबंधित लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सड़क है। वहां के pasture, livelihood, cottage industry, shepherd etc. के लिए यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि इस सड़क को जिस परिपेक्ष या रूप में आज यहां पर उठाने की बात की जा रही है, उस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें हर कदम को सोच समझ कर उठाना है। आज तक इसमें जो भी कार्य हुए हैं, उन सभी को माननीय सदन के समक्ष रखना अतिआवश्यक है। माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और मैं उन सभी पर थोड़ी देर में चर्चा करुंगा लेकिन अब तक इसमें जो भी कार्य हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूंः-

अध्यक्ष महोदय, होली-उतराला एक ग्रामीण सड़क है जिसकी लम्बाई कुल 71 कि०मी० है। यह सड़क चम्बा जिला के होली, गरोला न्याग्रां से होकर कांगड़ा जिला के उतराला तक प्रस्तावित है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग-154A (चक्की भरमौर) चम्बा जिला के कटोरी बगला-बनीखेत-चम्बा-खड़ामुख जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरता है। लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा ग्रामीण सड़क खड़ामुख-होली-उत्तराला को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 05.10.2023 को सड़क परिवहन एवं

राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है जिसकी स्वीकृति अभी भारत सरकार से अपेक्षित है।

27.11.2025/1550/एच.के.-एन.जी./2

इसी संदर्भ में इसके दो एक्सेस प्वाइंट्स हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि होली उतराला सड़क की कुल लंबाई 71.00 कि0मी0 है। इस सड़क का 39.00 कि0मी0 भाग (होली से सुराही पास) भरमौर मण्डल व 32.00 कि0मी0 भाग (उत्तराला से सुराही पास) बैजनाथ मण्डल के अधीन पड़ता है। होली उत्तराला सड़क (वाया सुराही पास) होली से सुराही पास तक जिसकी कुल लंबाई 39.00 कि०मी० है, लोक निर्माण विभाग मण्डल भरमौर के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। सड़क के भाग होली से इलाका माता मन्दिर, जिसकी लम्बाई 17.00 कि०मी० है, का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और वाहन योग्य है। इलाका माता मन्दिर से सुराही पास (कि०मी० 17/00 से 39/00) तक सड़क 22.000 कि०मी० है तथा इसमें से 17/00 से 19/100 में फोरमेशन कटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है व कि०मी० 19/00 से कि०मी० 22/00 तक, तीन कि०मी० तक का निर्माण कार्य (Formation cutting) व सुराही नाला पर एक 40.00 मी० स्पैन स्टील ट्रस पुल का निर्माण कार्य भी शामिल है, का कार्य अधिशाषी अभियन्ता भरमौर मण्डल के कार्यालय के पत्र संख्या 18857-59 दिनांक 19.01.2023 द्वारा मु० 6.22 करोड़ रुपये में ठेकेदार को आंबटित कर दिया गया है व इस पर मु० 1.38 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है जिसमें सुराही स्टील ट्रस पुल के सुपर स्ट्रक्चर की फेब्रिकेशन पूर्ण कर ली गई है तथा सब स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा दूसरी साइड जोकि बैजनाथ से होकर गुजरती है और जहां से इसे जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है, वह बैजनाथ मण्डल के अंर्तगत आता है। उतराला से सुराही पास तक सड़क की कुल लम्बाई 32 कि०मी० है । इस कार्य को तीन चरणों में पूरा किया जा रहा है। **प्रथम चरण का कार्य उत्तराला से बकलूड कि०मी० 0/0 से 13/00 तक की स्वीकृति NABARD (RIDXXVII) के तहत मु0 14.22 करोड़ रुपये की**

प्राप्त हुई है। अभी तक इस सड़क के निर्माण पर मु0 8.24 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर है तथा दिनांक 30.11.2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य विभाग द्वारा तय किया गया है।

27.11.2025/1550/एच.के.-एन.जी./3

दूसरे चरण का कार्य कि०मी० 13/00 से 19/00 तक पुल सहित होना प्रस्तावित है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मु० 9.21 करोड़ रुपये की तैयार करके

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

27.11.2025/1555/पी0बी0/एच0के0-1

लोक निर्माण मंत्री .....जारी

योजना विभाग द्वारा नाबार्ड को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु भेज दी गई है। यह जानकारी इस सड़क के संदर्भ में प्रदेश द्वारा किए गए कार्यों की है। मगर in totality, मैं माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं क्योंकि इन्होंने न केवल अपनी भावनाएं बल्कि उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को भी व्यक्त किया है जिसे उस क्षेत्र से संबंध रखने वाले हमारे साथी भी लगातार उठाते रहे हैं। मैं भरमौर विधान सभा क्षेत्र के विधायक का भी डी0ओ0 नोट पढ़ रहा था जिसे बेस बनाकर हमारे विभाग ने मोर्थ (Ministry of Road Transport and Highways) के साथ पत्राचार किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यानार्थ यह भी लाना चाहूंगा कि एम0डी0आर0 को नेशनल हाइवे घोषित करने की बात बार-बार उठती है। मैं पुराने ज़ख़मों को कुरेदना नहीं चाहता हूं लेकिन हर विधान सभा में यह बात उठती है कि वर्ष 2017 में पूर्व की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एक साथ 79 नेशनल हाइवे घोषित करवाए थे लेकिन उसके बाद वे नेशनल हाइवे कम होकर पहले 25 हुए, फिर 9 हुए और अब प्रदेश में केवल 5 नेशनल हाइवे ही रह गए हैं। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी यह जानकारी दी थी कि हिमाचल के भीतर जितनी भी स्ट्रैटेज़िक लोकेशन्ज हैं जिसमें हम डिफेंस, हिमाचल में इंडस्ट्रियल

प्वाइंट ऑफ व्यू से उभर रहे इलाके और दो नेशनल हाइवेज़ को जोड़ने वाले इलाकों को कंसीडर करेंगे। हमने इस विषय में जब मोर्थ के साथ लगातार पत्राचार किया तथा हमारे विभाग की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के साथ लगातार बैठकें हुई तो उन्होंने हमें स्वयं अपनी ओर से यह सुझाव दिया कि instead of declaring them as national highways आप इन्हें एक नए प्रपोजल "पी0एम0 गतिशक्ति योजना" के अंतर्गत भिजवाएं और हमने इसके तहत पांच नेशनल हाइवे, जिनकी सूची अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम किसी अन्य विषय पर चर्चा कर रहे हैं but from the Public Works Department and from the Government side we have prioritise five roads of different districts of Himachal Pradesh which are strategically important and industrially important and which connects two or three different zones in Himachal Pradesh हमने स्ट्रैटेज़िक लोकेशन्ज से संबंधित सड़कों को "पी0एम0 गतिशक्ति योजना" के तहत केंद्र को भेजा है लेकिन हमें अभी तक केंद्र सरकार से उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने होली-
27.11.2025/1555/पी0बी0/एच0के0-2

उतराला सड़क को खड़ामुख से उतराला तक जोड़ने की बात कही है जो नेशनल हाइवे-154ए के अंतर्गत आता है और मैंने इस विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान की है। In the meantime, हालांकि जैसा मैंने आपको कहा है कि under NABARD some of the works are already proposed, some of the works are already underway. जैसे माननीय सदस्य ने अपना एक सकारात्मक सुझाव सदन में रखा है कि इसे पहले एम0डी0आर0 घोषित किया जाए तो हम इस बारे में भी विचार करेंगे। हम इसे in the times to come, वैसे तो CRF will be a stop gap arrangement मगर फिर भी I will discuss the matter with the Hon'ble Chief Minister और हम इसे सी0आर0एफ0 में भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। मगर longer run मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि होली-उतराला सड़क को नेशनल हाइवे या जैसा कि मैंने कहा है कि इसे पी0एम0 गतिशक्ति योजना के तहत जोड़ा जाए ताकि यह सड़क खड़ामुख से उतराला के ज़रिए आगे मण्डी-पठानकोट हाइवे से जुड़ जाएगा और हम इसे जोड़ने का पूर्ण प्रयास करेंगे, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि

हम हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की कनैक्टिविटी को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां उपस्थित सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप यह बात आप ध्यान से सुनें कि हमने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत जितनी भी डी0पी0आर्ज0 बनवाई थीं उनमें से अधिकांश डी0पी0आर्ज0 जनजातीय क्षेत्रों की थीं फिर चाहे वह लाहौल-स्पिति के क्षेत्र हो, चाहे भरमौर के हो या फिर किन्नौर के क्षेत्र हो। लोक निर्माण विभाग को इस बार अधिकतर सड़कों की स्वीकृति कांगड़ा जोन के भरमौर विधान सभा क्षेत्र को मिली है। मैं समझता हूं कि कई लोग इसमें राजनीतिक रंग लाने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए कहां से पैसा आया, किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया

अं. श्री वाई0 के0 , हिंदी श्री ए0पी0 द्वारा जारी

27.11.2025/1600/Y.K/A.P/01

लोक निर्माण मंत्री जारी.....

बहुत से लोग इसमें राजनीतिक रंग लाने की कोशिश करते हैं कि पैसा कहां से आया और किसने दिया। The fact of the matter is that these DPRs have been prepared by the Public Works Department. वहां के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अधिकांश डी0पी0आर0 हमने भेजी हैं। स्वीकृति तभी मिलेगी जब डी0पी0आर0 यहां से भेजी जाएगी। इस समय हमें 1500 किलोमीटर की स्वीकृति पी0एम0जे0एस0वाई-4 में 2300 करोड़ रुपए की मिली है। इसमें जितना योगदान केंद्र सरकार का है, उतना ही योगदान प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग का भी है, क्योंकि हम सभी ने इस पर मेहनत की है। गिफ्ट डीडज लाने का पूरा प्रयास किया गया। आप जानते हैं कि बिना गिफ्ट डीडज के हम सड़कें नहीं बना सकते। मगर पूरी कोशिश की गई और गिफ्ट डीडज के माध्यम से हमें सड़कों के लिए बजट का प्रावधान मिला। जहां पर एफ0आर0ए0 (FRA) की दिक्कत थी, उसे भी क्लियर किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी यह कहना चाहूंगा कि मेहनत और संघर्ष सबको करना

पड़ेगा। यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि यह किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, सबका इसमें योगदान होगा। तभी आगे चलकर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कठिन रास्तों को सड़क मार्ग से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है और इसमें हम सफल होंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : नियम-62 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी से एक अन्य विषय प्राप्त हुआ है, वे अपना विषय रख सकते हैं।

श्री राम कुमार : अनुपस्थित।

27.11.2025/1600/Y.K/A.P/02

नियम-130 के अंतर्गत चर्चा

अध्यक्ष : नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसी विषय पर सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वह भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रहीं मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किये गये कार्यों पर सदन विचार करे।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किये गये कार्यों पर सदन विचार करे।" इस पर कोई निर्धारित समय नहीं है और न ही इस पर मतदान होगा। माननीय राजस्व मंत्री के उत्तर से यह चर्चा समाप्त हो जाएगी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री केवल सिंह पठानिया इस प्रस्ताव पर अपना वक्तवय रखना चाहते हैं तो वह रख सकते हैं।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे नियम-130 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

वर्ष 2023-24 और 2025 में जिस तरह से आपदा सबसे पहले जिला मंडी के थुनाग, जंजैहली और सिराज विधान सभा क्षेत्र में आई। उसके बाद धीरे-धीरे आपदा ने कुल्लू, चंबा और कांगड़ा जिलों की और भी अपना रूप किया। लेकिन अंतिम चरण में पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ। इस आपदा में पहली बार सिराज और थुनाग क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब आपदा आई, वे उस समय अपने विधान सभा क्षेत्र नदौन के दौरे पर थे। जैसे ही उन्हें इस आपदा के बारे में पता चला, उन्होंने नदौन के सेरा पी0डब्ल्यू0डी0 विश्राम गृह में सभी जिलाधीशों के साथ लगभग डेढ़ घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

27.11.2025/1605/AT/yk-01

श्री केवल सिंह पठानिया जारी...

उन्होंने सभी उपायुक्तों के साथ लगभग डेढ़ घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, विशेषकर मंडी जिले के सिराज इलाके की पूरी जानकारी एकत्रित की। दोपहर बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि वे कहते हैं ठीक 4:00 बजे, उसी दिन सिराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गए। वहां उन्होंने हवाई सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया। उसी प्रकार मंडी कुल्लू, चंबा और जिला कांगड़ा के विभिन्न इलाकों में जब-जब यह आपदा आई माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मौके का निरीक्षण किया।

मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पीडब्ल्यूडी विभाग, बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग तथा हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय व राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी का जिन्होंने आपदा की चुनौती का डटकर मुकाबला किया। इस आपदा में लगभग 1817 घर पूर्णतः नष्ट हो गए, 8023 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, 7858 गौशालाएं, 518 दुकानें, 107 घराट, 3789 पशुधन और 25755 मुर्गियों एवं अन्य पक्षियों का नुकसान हुआ। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जैसा कि पहले ही हमने आपदा का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज रखा था, केंद्र सरकार से हमने विनम्र प्रार्थना की कि एक हाई-लेवल की टीम केंद्र सरकार की ओर से इस नुकसान का

आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश भेजी जाए। प्रदेश के अधिकारियों ने भी पूरे नुकसान का आकलन किया, जिसके अनुसार वर्ष- 2025 की इस आपदा में कुल 5909 करोड़ 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सबसे अधिक नुकसान सड़कों, पुलों, पानी की स्कीम्ज और बिजली की स्कीम्ज का हुआ है। कृषि और बागवानी क्षेत्र को भी भारी क्षति पहुंची। जब यह आपदा आई तो टीवी पर बड़े-बड़े समाचार चैन्नलों में दिखाया गया कि हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों से लगभग कट चुका है इस कारण पर्यटन की दृष्टि से भी हिमाचल को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। आपदा को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जहां-जहां आपदा आई, उन सभी स्थानों का दौरा किया चाहे धुनाग, सिराज, कुल्लू, मंडी, मनाली, चंबा हो । चाहे वह चंबा जिले का भरमौर का क्षेत्र हो या कांगड़ा विधान सभा का क्षेत्र, चाहे फतेहपुर का क्षेत्र हो या फिर इंदौरा का क्षेत्र हो । मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2023-24 का जो पैकेज था उस पैकेज पर पहले नुकसान

27.11.2025/1605/AT/yk-02

का पुनर्मूल्यांकन किया गया और राजस्व मंत्री तथा कैबिनेट ने फैसला लिया कि जो पैकेज हमने वर्ष 2023-24 में दिया था वही पैकेज पहले मंडी जिले के लिए नोटिफाई किया जाए। बाद में जैसे-जैसे आपदा कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और प्रदेश के अन्य जिलों में हुई तो इस पैकेज को पूरे प्रदेश भर में, जिस तरीके से इसका कंपेनसेशन पिछले पैकेज में दिया गया था, वैसे ही इस पैकेज में दिया गया और वर्ष 2025 में जो नुकसान हुआ उसके लिए इस सदन द्वारा केंद्र सरकार से बार-बार विशेष पैकेज की मांग करता रहा पर आज तक वह विशेष पैकेज हमें प्राप्त नहीं हुआ। मैं तुलना करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई और तीन महीने तक चली...

एम0डी0 द्वारा जारी ......

27-11-2025/1610/AG/MD/1

श्री केवल सिंह पठानिया---जारी

मैं तुलना करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई और पूरे तीन महीने यह आपदा चली। साथ लगते प्रदेश में भी यह आपदा हुई। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के

साथ ऐसा भेदभाव क्यों? जिस तारीख को आपदा हुई उस तारीख के 48 घंटे के अंदर देश के माननीय गृह मंत्री उत्तराखंड के अंदर दौरा करते हैं और उत्तराखंड के अंदर जो नुकसान हुआ उसके लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में विशेष बैठक की गई। उस बैठक के साथ-साथ देश के गृह मंत्री जी ने कुछ पैकेजिज की घोषणा की थी। वह जैसे ही घोषित हुए उसी समय उत्तराखंड की सरकार को दे दिया गया। लेकिन मैं कहता हूं कि इस देश में विश्व की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई। सीमित साधनों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आर0डी0जी0, जी0एस0टी0 का कलैक्शन आज 3 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया है। कहां 2200 से 2300 करोड़ रुपये पर जी0एस0टी0 चली थी और आज 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। उसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने साहस दिखाया और इस पैकेज को रिव्यू किया। यह देश के अंदर कहीं भी नहीं है कि जो डिजास्टर के ऊपर इतना पैसा दे, कोई भी सरकार इतना पैसा नहीं देती है। पहले बकरी, भेड़ और मेमना की मृत्यु पर 4000 रुपये दिए जाते थे। मैं वर्तमान मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने 9000 रुपये का पैकेज दिया। वस्त्र, बर्तन और घरेलू उपयोग के लिए पहले 2500 रुपये दिए जाते थे और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको बढ़ाकर 70 हजार रुपये किया जोकि पहले दी जाने वाली राशि से 2800 प्रतिशत अधिक है। इसी तरीके से जो किरायेदार के लिए वस्त्र, बर्तन और घरेलू उपयोग हेतु पहले 2500 रुपये की राशि दी जाती थी उसको वर्ष 2025 के पैकेज के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपये किया गया। फसल के नुकसान के लिए 680 रुपये प्रति बीघा कम्पनसेशन दिया जाता था। उसको भी प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 4000 रुपये प्रति बीघा किया है। इसी तरीके से कृषि और उद्यान की भूमि से संबंधित काम निकालने के लिए पहले जो 1440 रुपये की राशि दी जाती थी उसको वर्तमान सरकार ने 6000 रुपये किया है। वह पहले दी जाने वाली राशि से 416 प्रतिशत अधिक है। यह जो पैकेज दिया गया है, देश में ऐसी किसी भी राज्य की सरकार

27-11-2025/1610/AG/MD/2

नहीं है जिसने पैकेज में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की हो। इसी तरह से वर्तमान सरकार ने पोलीहाउसिज पर लम्पसम 25000 रुपये देने की घोषणा की है। चालू वर्ष के दौरान राहत

पैकेज के अंतर्गत अलग-अलग जिलों में जो कुल मकानों का नुकसान हुआ उसमें बिलासपुर के अंदर 101, कुल्लू में 642 और मण्डी में 716 मकानों को नुकसान पहुंचा है। जिसके अंतर्गत बिलासपुर के लिए लगभग 2.78 करोड़ रुपये, कुल्लू के लिए 15 करोड़ रुपये तथा इसी तरह से अलग-अलग जिलों के लिए पैकेज दिए गए और उस पैकेज के अंदर मण्डी, चम्बा के अतिरिक्त जहां-जहां पर नुकसान हुआ था वहां-वहां पर वर्तमान सरकार द्वारा पहली किस्त जारी कर दी गई है। कई बार सदन के अंदर बात आती है कि पिछली बार नुकसान ज्यादा हुआ था। परंतु जो नुकसान हुआ था उसकी पहली किस्त के बाद राजस्व विभाग ने जो पेपर मांगे थे और जिन्होंने पेपर नहीं दिए उनको दूसरी किस्त नहीं मिली। जिनकी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी थी उनको 7-7 लाख रुपये की राशि मिली। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उत्तरकाशी, मां गंगे, ऋषिहकेश के बारे में बड़ी-बड़ी बातें तो सुनी हैं लेकिन देश के अंदर हम हिन्दू राष्ट्र की भी बात करते हैं।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

27.11.2025/1615/केएस/एजी/1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी ---

लेकिन देश के अंदर हम हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा जो मैं प्रस्ताव लाया हूं, मणिमहेश की बात करना चाहता हूं और आप भी उसी जिला से आते हैं, हजारों साल पुरानी यात्रा जहां लोग न केवल हिमाचल प्रदेश से बल्कि पूरे देश से जाते हैं, विशेषकर हिमाचल और जम्मू से बहुत पुराने समय से वहां यात्री जाते हैं। सदन चला था और चम्बा जिला के भरमौर के अंदर जो त्रासदी हुई, जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी डैमेज हुई, मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि मैं तो पहली बार सदन में आया हूं लेकिन शायद ही सरकार का कोई मंत्री डिजास्टर के दौरान इतना पैदल चल पाया हो। चम्बा से सारी मशीनरी व टीम को साथ ले कर ये वहां पैदल पहुंचे जहां 10 हजार यात्री फंसे थे। मैं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि वे और मंत्री महोदय लगातार 9 दिन लोगों की सहायता के लिए वहां डटे रहे। ये पैदल चले और वहां रास्ते में ठहरने का भी इंतज़ाम नहीं था। ये वहां पूरी टीम के साथ

रुकते थे और अगले दिन फिर चलते थे। लूणा पुल से ले कर खड़ामुख तक और खड़ा मुख से ले कर भरमौर तक जितने भी यात्री और खासकर जो डैड बॉडीज़ थीं, उनको उनके घरों तक पहुंचाया। यही सरकार की वचनबद्धता है और इस आपदा में भी मुख्य मंत्री महोदय और प्रदेश सरकार लोगों के साथ खड़ी रही। लगभग 10 हजार यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला तथा उसी के बाद राजस्व मंत्री वहां से वापिस आए। मुख्य मंत्री, लोक निर्माण मंत्री तथा जिन-जिन विभागों का नुकसान हुआ था, उनसे सम्बन्धित मंत्रियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मैं सदन के नेता, राजस्व मंत्री और प्रदेश के कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भरमौर का रोड तो अब सालों-साल नहीं खुल पाएगा परंतु इस दिशा में काम किया गया और वहां लम्बे समय के बाद सम्माननीय देश के नेता दौरे पर आए। हवाई सर्वेक्षण हुआ और हवाई सर्वेक्षण के बाद गग्गल एयरपोर्ट जो मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुर और आधा कांगडा में पड़ता है, जो प्रदेश में नुकसान हुआ था, मुख्य सचिव व माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वहां उसकी पूरी प्रेज़ेंटेशन दी और अध्यक्ष जी, आप भी वहां शामिल थे। क्योंकि पूरे हिमाचलियों का नुकसान हुआ था तो उन्होंने जहां मुख्य मंत्री जी को बुलाया, नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया। हमारे सभी मंत्रियों को और सांसदों को भी बुलाया। मुझे भी वहां स्थानीय

27.11.2025/1615/केएस/एजी/2

विधायक होने के नाते बैठने का मौका मिला। चम्बा जिला के प्रभावित जिनका नुकसान हुआ था, उनको भी वहां पर बुलाया गया था। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 1500 करोड़ रुपये की घोषणा हुई लेकिन आज दिन तक एक भी रुपया हिमाचल प्रदेश को उस विशेष पैकेज का नहीं मिला है जो कि दुख की बात है। जिस पैकेज की सम्माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री हिमाचल की जनता के लिए घोषणा करके गए थे वह पैसा विशेष पैकेज का था। हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता उसका इंतज़ार कर रही है तथा लम्बे समय से सदन के अंदर और बाहर ये बातें हो रही हैं। उन लोगों के टैलीफोन हमें आ रहे हैं जिनका नुकसान हुआ था। वह तो छोड़ों, मैं कहता हूं कि कई बार हम भी गलत करवा देते हैं, 1500 करोड़ रुपये की बात तो दूर, उनके नाम-पते भी मेरे पास हैं जो अंदर प्रधान मंत्री जी से मिलवाए गए थे। चाहे वे केंडिडेट थे या सीटिंग एम.एल.ए. थे, अभी भी वे इंतज़ार कर रहे

हैं क्योंकि चाहे सदन का नेता हो या देश का नेता हो, जब उनके साथ, ...(व्यवधान) जहां प्रेजेंटेशन हुई वहां पर आप और हम सभी लोग थे। जो अंदर एक केबिन बनाया गया था,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.11.2025/1620/av/AS/1

श्री केवल सिंह पठानिया-------- जारी

प्रदेश की जनता लम्बे समय से इंतजार कर रही है कि हम सम्माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस की एक गरिमा होती है परंतु उन 20-25 लोगों को भी अभी तक राहत पैकेज नहीं पहुंचा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 1500 करोड़ रुपये की राशि जोकि केंद्र सरकार ने अनाउंस की है, वह अभी तक नहीं मिली है। जहां प्रदेश सरकार ने सीमित साधनों के बावजूद इतने कामकाज किए हैं। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पैसा आता है तो वह पैकेज के साथ नहीं होता। हमारी भारत सरकार के साथ जो 90:10 के हिसाब से स्कीम चलती हैं, उसमें पैसा आता है। मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूं कि यह पैसा आ गया। प्रेजेंटेशन के दौरान यह भी कहा गया था कि आपके ऑनगोईंग प्रोजैक्ट या एक्सटर्नल एडिड प्राजैक्ट के अंतर्गत जो पैसा आएगा वह हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया जाएगा। वहां पर नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे। जब हम एयरपोर्ट पर थे तो ब्रीफिंग की बात आई। अब जहां पर नेता जाते हैं तो ब्रीफिंग भी होती है। उस प्रेस ब्रीफिंग में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि हम सम्माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं और यह जो पैसा अनाउंस किया गया है यह बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। वहां पर हमारी सम्माननीय मण्डी की सांसद ने पी0आई0बी0 के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की थी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सांसद ने भी धन्यवाद किया कि यह 1500 करोड़ रुपये हिमाचल की जनता को बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन चिंता का विषय यह है कि मैं जो नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव लेकर आया हूं। जहां माननीय मुख्य मंत्री और प्रदेश के मंत्रिमण्डल ने सीमित साधनों से हिमाचल प्रदेश की जनता को दोबारा अपने पांव पर खड़े करने का काम किया है और इस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता ने इतनी बड़ी त्रासदी को सहा है। अब इस प्रस्ताव पर चर्चा चलेगी। जब

भुज के अंदर भूकम्प आया था तो सम्माननीय स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। वे अपने कार्यकाल के दौरान एक जगह नहीं बल्कि देश में अनेकों जगह गए। मैं यहां पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने देश के अंदर जब-जब और जहां-जहां पर पैकेज दिए हैं, वहां-वहां पर वह पैसा पैकेज के रूप में पहुंचा है। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता उस पैसे का इंतजार कर

27.11.2025/1620/av/AS/2

रही है कि जो नुकसान हुआ है, वह पैसा कब आएगा। अगर वह पैसा आ गया होता तो यह जो काम रोको प्रस्ताव आया है, हो सकता है कि यह काम रोको प्रस्ताव आता ही नहीं। अगर 1500 करोड़ रुपये की राशि 15 दिन के अंदर आ जाती तो आज डिजास्टर के कारण काम रोको प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही नहीं, प्रदेश में भारत सरकार की टीम भी आई। वह एक जगह नहीं आई, वह चम्बा, कुल्लू इत्यादि सब जगह आई। परंतु टीम के आने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की जनता अभी भी इंतजार कर रही है कि 1500 करोड़ रुपये की राशि हिमाचल की जनता को कब मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-130 के अंतर्गत मुझे इस प्रस्ताव को रखने व बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.11.2025/1620/av/AS/3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल अपनी बात रखेंगे।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-130 के अंतर्गत 'प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर यह सदन विचार करे', प्रस्ताव लेकर आया हूं।

टी सी द्वारा जारीय

27.11.2025/1625/टी0सी0वी0/ए0एस0/-1

श्री राकेश जम्वाल... जारी

वर्ष 2023 में हमारे प्रदेश में आपदा आई और उसमें भी बहुत से लोगों की जान चली गई। कई लोगों के घर और पशुधन चला गया यानी इस आपदा से प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे साथी श्री केवल सिंह पठानिया जी ने भी इसी विषय पर अपना प्रस्ताव रखा है और मैं भी इसी विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपदा को लेकर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपदा किसी की जाति, धर्म या पार्टी पूछकर नहीं आई लेकिन जैसे ही हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, राजनीति का दौर शुरू हो गया।

(श्री आशीष बुटेल, माननीय सभापति पदासीन हुए)

राजनीति करने के लिए हमारे पास अनेक मौके आएंगे, अनेक मंच और अनेक चुनाव आएंगे जिनके माध्यम से हम राजनीति कर सकेंगे और वहां पर अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन आज विषय आपदा का है और जब वर्ष 2023 में आपदा आई तब हिमाचल सरकार ने साढ़े चार हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की ।

सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस 4500 करोड़ रुपये का हिसाब आज हिमाचल प्रदेश की जनता मांग रही है कि उस 4500 करोड़ में से कितना पैसा प्रभावितों तक पहुंचा। हमने विधान सभा के अंदर जब प्रश्न किया था तब जवाब आया कि मात्र 307 करोड़ रुपये की राशि ही प्रभावितों तक पहुंची। यह सरकार का दायित्व है और सरकार अपने दायित्व से भाग नहीं सकती। वर्ष 2023 में जो आपदा आई थी, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं और उसके बाद वर्ष 2023 का दौर निकल गया। इस आपदा से जो लोग प्रभावित हुए थे उनमें से बहुत से लोगों तक अभी भी वह राशि नहीं पहुंची है और न ही उन्हें मदद मिली है। सरकार को गंभीर होना चाहिए कि वर्ष 2023 में जिन लोगों के परिवार उजड़ गए, पशुधन चला गया उन्हें किस प्रकार से मदद पहुंचाई जाए।

इसके पश्चात् वर्ष 2025 में दोबारा आपदा आई और यह आपदा सबसे पहले मंडी जिला के सिराज, नाचन और करसोग विधान सभा क्षेत्र में आई। इस आपदा में बहुत से

27.11.2025/1625/टी0सी0वी0/ए0एस0/-2

लोगों की जान चली गई। सभापति महोदय, मंडी जिला का जो आंकड़ा मेरे पास है उसके अनुसार सिराज विधान सभा क्षेत्र में 33 लोगों की जान चली गई और अभी तक 22 लोगों के शव नहीं मिले हैं। नाचन विधान सभा क्षेत्र में 19 लोगों की मृत्यु हुई जिनमें से 10 लोगों के शव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। करसोग विधान सभा क्षेत्र में 3 लोगों की जान गई और अभी तक एक व्यक्ति का शव भी नहीं मिला है। इसी प्रकार धर्मपुर में 2 लोगों की मृत्यु हुई और उनमें से एक मेरे विधान सभा क्षेत्र सुंदरनगर का व्यक्ति था और उसका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इसके साथ मंडी में 3 लोगों की जान चली गई और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 लोग निहरी तहसील के अंतर्गत हाड़ाबोई पंचायत में और एक व्यक्ति की सुंदरनगर में मृत्यु हुई है। इस प्रकार लगभग 35 लोग मंडी जिला के आज भी ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है कि वे लोग कहां हैं और उनके परिवार असमंजस की स्थिति में हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम बहुत संवेदनशील हैं।

सभापति महोदय, विधान सभा का सत्र समाप्त हुआ और मैं शिमला से लौट रहा था तो पता चला कि सुंदरनगर में स्लाइड हो गया है और

एन0एस0 द्वारा जारी ...

27-11-2025/1630/NS-DC/1

श्री राकेश जम्वाल------जारी

कुछ लोग नीचे दब गए हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने वहीं से उपायुक्त महोदय को फोन किया कि तुरंत एन0डी0आर0एफ0 को मौके पर भेजें। मैंने इसके लिए संबंधित एस0डी0एम0 से बात की और आधे घंटे के भीतर मैं स्वयं घटना स्थल पर पहुंच गया। नाचन विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री विनोद कुमार जी जो कहीं बाहर थे तो वे भी देर

रात घटना स्थल पर पहुंचे। हम दोनों रात तक वहां बैठे रहे। निश्चित तौर पर प्रशासन ने काम किया, वहां पर स्थानीय लोगों ने भी मदद की तथा हम लोग भी वहां साथ थे। वहां सभी 7 शव सुबह तक निकाले गए। लेकिन उन परिवारों से न मुख्य मंत्री मिलने आए और न ही सरकार का कोई मंत्री मिलने आया। एक परिवार के कुल 5 सदस्य थे और 4 सदस्य उस परिवार के मलबे में दब गए तथा उनकी मृत्यु हो गई। उस परिवार का केवल 24 वर्षीय युवक बच गया। आप सोचिए कि उसकी क्या स्थिति होगी? मैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जय राम ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे अगले ही दिन तुरंत आए और उन प्रभावित परिवारों के एक-एक व्यक्ति से मिल कर सांत्वना दी तथा कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपकी हर संभव मदद करेगी। इस आपदा में जिस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे पहले सहायता करने के लिए अग्रणी नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरत की सामग्री या राहत सामग्री तुरंत पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कपड़े, टैंट व खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम जिला मण्डी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में किया है।

सभापति महोदय, मण्डी में 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। उस मण्डी में आज भी 35 लोग मिसिंग हैं। सरकार कह रही है कि हम संवेदशील हैं। प्रदेश सरकार अपने तीन वर्षों का जश्न किसी और कौने में नहीं बल्कि मण्डी जिला में मनाने जा रही है जहां पर 50 से ज्यादा लोगों की इस आपदा में मृत्यु हुई। सरकार कह रही है कि हम संवेदनशील है। इससे बड़ी संवेदनहीनता क्या हो सकती है? सरकार कह रही है कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा है और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हो पाएंगे। सारे काम रोक दिए गए हैं। मुख्य मंत्री जी ने हमें डिजास्टर एक्ट की पूरी भूमिका विस्तृत रूप से बताई है। लेकिन सरकार का तीन वर्षों का जश्न नहीं रुक सकता और

27-11-2025/1630/NS-DC/2

इसके लिए सरकार ने तय किया है कि हम उस जश्न को मनाएंगे। मैंने जिला मण्डी के 7 विधान सभा क्षेत्रों का जिक्र किया है जहां पर आपदा से अनेकों लोगों की जानें चली गईं, अनेकों लोगों के घर टूट गए और अनेकों लोगों का पशुधन तबाह हो गया। सभापति

महोदय, दुःख की बात है कि राजस्व मंत्री जी ने अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि जय राम ठाकुर जी को आपदा के दौरान जो पैसा आया उसका हिसाब दें। सिराज में सबसे पहले आपदा आई और हम भी वहां गए तथा हमारी पार्टी के कार्यकर्ता व दानी सज्जन सब वहां गए। उन्होंने वहां पर जाकर कपड़े, कम्बल और जो भी राहत सामग्री दे सकते थे, वह दी। मुझे भी लगा कि सिराज में बहुत बड़ी आपदा आई है और वहां पर कई लोगों की मृत्यु हो गई है। मैंने जय राम ठाकुर जी को अपनी सैलरी का 55,000 रुपये का चैक दिया और जय राम ठाकुर जी ने एक परिवार के व्यक्ति को वहां पर बुलाया जिसके परिवार के सभी सदस्य मर गए थे, उसका पशुधन भी नहीं रहा था तथा उसका घर भी तबाह हो गया था तो इन्होंने मेरे सामने उस व्यक्ति का नाम भर कर चैक दिया। मुझे बहुत तसल्ली हुई। वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने लगातार 20 दिनों तक जिस प्रकार से काम किया और अपने विधान सभा क्षेत्र के कौने-कौने में जाकर लोगों का दुःख दर्द बांटा है तो इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि जय राम ठाकुर जी सिराज का जिक्र करते हैं। जिस विधान सभा क्षेत्र ने इनको 6 बार जीता कर हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पहुंचाया है तो क्या ये अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो फिर किसकी चिंता करेंगे? सभापति महोदय, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हिमाचल प्रदेश में काम किया

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

27.11.2025/1635/RKS/DC-1

श्री राकेश जम्वाल... जारी

चाहे वह मंडी जिला की बात हो, चाहे कुल्लू, चाहे चम्बा या किन्नौर जिला की बात हो, जहां पर भी आपदा आई वहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती के साथ खड़ा हुआ। जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वे चाहे साथ लगते प्रदेश हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर असम राज्य की बात हो भाजपा शासित हर प्रदेश ने

हिमाचल प्रदेश की मदद करने का प्रयास किया है जो इस बात को दर्शाता है कि आपदा के दौर में भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है। यहां पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं हुईं। हमारे भाई श्री केवल सिंह पठानिया जी ने भी कहा कि प्रधान मंत्री जी ने पैकेज देने की घोषणा की। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। उत्तराखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपये, पंजाब में जहां आप पार्टी की सरकार है वहां 1600 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। यहां पर कहा जा रहा है कि वह पैसा कब आएगा। आज पंचायती राज मंत्री कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। स्वाभाविक तौर पर आप इसलिए इन चुनावों को आगे करवाना चाहते हैं ताकि आपदा का पैसा दिल्ली से आ जाए और उसके 5-6 महीनों बाद हम इन चुनावों को करवाएं। आप जो जश्न मना रहे हैं वह छोटा है क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है। अगर भारत सरकार का पैसा आ जाए तो उससे आप इस जश्न को भी बड़ा मनाएंगे। यहां पर बात की गई कि श्री जय राम ठाकुर के समय जो कार्यक्रम होते थे उनमें काफी मंहगे तम्बू लगाए जाते थे। लेकिन जब मुख्य मंत्री जी ने मण्डी में आकर कहा कि हम आपदा प्रभावित लोगों को राशि बांटेंगे तो क्या उस दिन मण्डी में तम्बू नहीं लगे? क्या उस दिन सारी व्यवस्था नहीं की थी? क्या उस दिन वहां पर जर्मन हैंगर नहीं लगाए थे? अगर वहां पर विपक्ष के विधायक मौजूद होते तो अच्छा होता लेकिन आपने वहां किसी विधायक को नहीं बुलाया। श्री अनिल शर्मा जी को एस0डी0एम0 का फोन आया और वे उस कार्यक्रम में गए लेकिन मंडी जिला के अन्य 8 विधायकों को उस कार्यक्रम की सूचना नहीं दी गई। अगर मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुनने की क्षमता रखते तो आप हमें

27.11.2025/1635/RKS/DC-2

बुलाते और कहते कि आप भी अपनी बात रखें। अध्यक्ष महोदय, आपदा में भी भेदभाव किया जा रहा है। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्लाइड

के कारण 7 लोगों की जान चली गई। वहां पर सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। मंत्री गाहे-वगाहे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आए परंतु उन परिवारों से कोई नहीं मिला। मेरे विधान सभा क्षेत्र की हाड़ाबोई पंचायत के बरागता में भी स्लाइड हुआ जिसमें तीन लोगों की जान चली गई परंतु उन परिवारों से मिलने भी कोई नहीं आया। उस दिन सारे रास्ते बंद थे। मैं उन प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए शिमला- धामी से होते हुए ततापानी पहुंचा। जो लोग घायल थे उनका उपचार करवाया गया और जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उनका दाह संस्कार करने के बाद देर रात वापिस आया। सरकार की ओर से जो डायरेक्शन दी गई है उस कारण प्रभावितों के साथ यह भेदभाव हो रहा है। माननीय राजस्व मंत्री जी जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें आपने रिकॉर्ड में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दर्शाया है। मेरे पास इसका उदाहरण है और मैं इसकी फोटो अपने साथ लाया हूं। मेरे पास मेरे विधान सभा क्षेत्र के हिरदू राम, गांव बटवाड़ा के घर का फोटो है। इससे ज्यादा फुली डैमेज घर और कौन हो सकता है? इस व्यक्ति का पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। हमने उस परिवार को तम्बू और अन्य सामान दिया है। वे पति-पत्नी उस तम्बू के नीचे अपना सामान लेकर रह रहे हैं। सरकार की तरफ से जो पहली रिपोर्ट दी गई थी उसमें कहा गया था कि उनका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है लेकिन बाद में उस रिपोर्ट को बदल कर यह कहा गया कि यह मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

श्री बी0एस0द्वारा...जारी

27.11.2025/1640/बी.एस./एच.के.-1

श्री राकेश जम्वाल जारी...

इस प्रकार से वहां पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं अपनी विधान सभा की चमुखा पंचायत की बात करूं तो वहां पर लोगों के घर ढह गए थे, मैं वहां भी गया गांव गदैड़ा में डिंपल नाम की महिला है उसका घर पूरी तरह से टूट गया है उसने नया घर बनाया था उसकी सारी दीवारें फट गई हैं। एक मात्र चीज है कि उसका लेंटर नहीं गिरा है। शायद सरकार उसका इंतजार कर रही थी कि उसका लैंटर कब गिरे और

उसका परिवार कब दब कर मर जाए शायद तब ये कहते कि यह घर फुली डैमेज है। उसको भी आंशिक रूप से कहा गया कि वहा आर्शिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को जो मदद आई है उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सरकार इस बात को मानती नहीं है। भारत सरकार जो मदद कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि एन.डी.आर.एफ और एस.डी.एम.एफ. का कितना-कितना पैसा आया उसकी सूची हमारे पास भी है और सरकार के पास भी है। यहां पर इसे बताने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार इस आपदा के दौरान सरकार कह रही है कि आपदा आ गई सड़कें बंद हैं और हम पंचायत के चुनाव नहीं करवा सकते पहले सड़कें खोलेंग परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास क्या जादू की छड़ी है जिस छड़ी के साथ मुख्य मंत्री जी सारी सड़कों को खोल देंगे? आज ठेकेदार घूम रहे हैं उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही है। आज ट्रजरी बंद पड़ी है। कोई काम पूरे प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, सभी ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया है। हमारे उस तरफ बैठे हुए साथी भी परेशन है लेकिन सरकार उनके दल की है इसलिए कुछ नहीं कह पा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर यह मान रहे हैं परंतु सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। उन्हें पता है कि मुख्य मंत्री जी और सरकार के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन वे सड़के किससे खुलवाई जा रही हैं? हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना का प्रावधान बजट में किया गया है। पिछले तीन महीने से ज्यादा का समय हो गया हमने जो सैंक्शन दी हुई है, उपायुक्त ने चिट्ठी आगे बी0डी0ओ0 को भेज दी वह चिट्ठी आ गई परंतु पैसा नहीं आया। जब पता किया तो कहते हैं कि ट्रेजरी बंद है। छोटे-छोटे गांव के रोड पंचायत और विधायक के द्वारा बनाई गई सड़कें जो लोक निर्माण विभाग

27.11.2025/1640/बी.एस./एच.के.-2

ने नहीं बनाई हैं उन्हें खुलवाने के लिए हमने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना का पैसे दिया है परंतु वह सड़के आज भी नहीं खुल पा रही हैं। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना को बंद करने का काम यदि किसी ने किया है तो इसे वर्तमान में आदरणीय सुक्खू जी की सरकार ने किया है। हम सरकार से स्पष्टिकरण चाहते हैं कि हमें बताएं कि हमारी विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना की राशि, चाहे इस तरफ के विधायक हो या उस

तरफ के विधायक हो सबकी विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना को आपने रोक दिया है। जो काम सरकार नहीं कर सकती थी उसे विधायक कर रहे थे। उन सड़कों को खोलने के लिए थोड़ा-थोड़ा पैसा दिया जा रहे थे परंतु उस पैसे को भी रोक दिया गया। वह पैसा ट्रेजरी में है। अब पूरे प्रदेश में चर्चा होने लगी है कि ट्रेजरी से जिसे अपना पैसा निकालना होगा उसका प्रतिशत फिक्स हो रहा है। उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ट्रेजरी में पैसा दो और वहां से अपना पैसा रिलीज करवा लो। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। आज सारे ठेकेदार जो धरने पर बैठे हैं वे कह रहे हैं कि हम आमरण अंशन करेंगे। उसके साथ विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना बंद है। सरकार के पास कौन सी छड़ी है जिससे आप उन सड़कों को खोल कर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाएंगे। सरकार डिजास्टर एक्ट का हवाला देते हुए बाकी सारे काम रोकने की बात कर रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पंचायत के चुनाव भी स्थगित हो सकते हैं चुनाव आयोग की शक्तियां भी छिनी जा सकती है। लेकिन सरकार अपने तीन साल के जश्न से पीछे नहीं हट सकती। यहां पर कहा जा रहा था कि हम जश्न नहीं मना रहे हैं, आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी ने यहां पर उसकी विस्तृत जानकारी आपके समक्ष रखी कि क्या-क्या प्रबंध किया जा रहा है। उस तीन साल के जश्न के पूरे मिनट्स हमारे पास हैं। अब कहा जा रहा है कि हम जश्न नहीं मना रहे हैं हम अपना विजन बताएंगे। सरकार को तीन साल का समय हो गया है हमें आपके विजन को देखते और सुनते हुए। परंतु आपने आपदा के दौरान भी राजनीति करने का काम किया है। ...(घंटी)... सभापति महोदय, जो प्रभावित लोग हैं जिनके घर चले गए, जिनका पशुधन चला गया है उनके साथ राजनीति की जा रही है। जैसा मैंने कहा कि जो आंकड़ा 35 लोगों के गुम होने का है अभी उन्हें मृत भी घोषित नहीं किया गया है उसका

27.11.2025/1640/बी.एस./एच.के.-3

प्रोसेस अभी जारी है। जिन परिवारों को जो चार लाख रुपये की राहत राशि मिलनी है वह भी नहीं मिली है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा द्वारा जारी.....

27.11.2025.1645.डी0टी0-एच0के0-1

श्री राकेश जम्वाल जारी...

और जो रिलीफ मैनुअल के अनुसार जो 4 लाख रुपये की राहत उस परिवार को मिलनी चाहिए थी, वह भी उन्हें नही मिली है। लेकिन ऐसे प्रभावित लोगों की चिंता करने की बजाय अगर सरकार को चिंता है तो मण्डी में तीन साल का जश्न मनाने की है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि मंडी में जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। ...(व्यवधान) मेरे पास अधिसूचना की प्रति है अगर माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी आपको यह चाहिए मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। सेलिब्रेशन का क्या अर्थ होता है? ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी के कहने से नहीं होगा जो हमारी पास रिकार्ड है हम तो उसके अनुसार ही अपनी बात रखेंगे। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि सरकार के तीन साल के कार्यकाल के संदर्भ में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा उसमें जो-जो भी अरेंजमेंट किए जाने है उनका उल्लेख पूर्व में माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी द्वारा कर दिया गया है मैं पुनः उसे नहीं दोहराना चाहता। इसमें नाटी का जिक्र अलग से किया गया है। जो लोग सभा स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए मंडी शहर की हर गली में बड़ी-बड़ी एल0इ0डी0 लगाकर यह सेलिब्रेशन दिखाया जाएगा। यह स्थिति आज वर्तमान सरकार की है।

सभापति : माननीय सदस्य कृप्या वाइंड-अप कीजिए, आप पहले ही 21 मीनट तक बोल चुके हैं। कृप्या करके अपनी बात को जल्दि समाप्त कर दीजिए।

श्री राकेश जम्वाल : सभापति महोदय यह बहुत ही गंभीर विषय है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए।

सभापति महोदय, पार्टीयों की सरकार बनती है लेकिन सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। सरकार सभी की होती है। मुख्य मंत्री और मंत्री सभी के लिए होते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार कि कार्यप्रणाली जिस प्रकार की है उसे हम इस आपदा के दौर में देख रहे हैं- जिस प्रकार से तेरा-मेरा हो रहा है वह ठीक नहीं है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में आपदा से जो-जो भी प्रभावित परिवार थे जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मुझे पता चला कि सरकार किस प्रकार से भेदभाव कर रही है। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण इस सदन में देना चाहता हूं और यह सबसे बड़ा उदाहरण है। उससे बड़ा कोई अन्य उदाहरण नहीं है। मेरे पास वैसे अन्य बहुत से उदाहरण हैं। जिस व्यक्ति का पूरा घर आपदा में चला गया उस

व्यक्ति को कहा जा रहा कि आपका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। वह व्यक्ति अभी टेंट में रह रहा है। यह सरकार के ही निर्देश हैं कि जहां-जहां भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या उनके समर्थक हैं

27.11.2025.1645.डी0टी0-एच0के0-2

उनके मकान फुली डेमेज में न डाले जाएं। इस प्रकार से लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आज कई गांवों में ऐसा देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्ग जो अपने पुराने घर में ही रह रहे हैं लेकिन उनका बेटा नया घर बनाकर उस घर में चला जाता है। वह बुजुर्ग कभी भोजन करने के लिए बेटे के घर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे मकानों को सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि यह मकान गैर-रिहायशी मकान हैं। वह पुराना मकान आपदा में टूट गया उसमें रहने वाले बुजुर्ग टेंट में रहने को मजबूर है, लेकिन सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह गैर रिहायशी मकान है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार मंडी जिले में बड़े-बड़े शामयाने लगाकर आपदा में प्रभावित लोगों को सेलिब्रेशन के लिए बुला रही है और उनको कह रहे हैं कि इसी सेलिब्रेशन में हम उनको आपदा से हुए नुकसान की किस्त देंगे, इसके लिए छांट-छांट कर लोगों को इस सेलिब्रेशन में मत बुलाओ क्येांकि प्रदेश में जो आपदा आई वह किसी की पार्टी पूछ कर या किसी का धर्म पूछ कर नहीं आई है। यहां पर कहा गया कि प्रधान मंत्री जी आए और 1500 करोड़ रुपये की घोषणा कर के चले गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी को हिमाचल प्रदेश की चिंता है। ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया। आप चिंता मत करो पैसा भी आ जाएगा। पहले भी जो 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि केंद्र से एस0डी0आर0एफ0 व एन0डी0आर0एफ0 एवं अन्य मदों में आई है सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। इस राशि का भी इंतजार किया जा रहा है कि 15 सौ करोड़ रुपये अगर 11 दिसंबर से पहले आ जाता तो सेलिब्रेशन और बड़ी होती। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि 1500 करोड़ आएगा। जैसा मैंने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 1500 करोड़ रुपये, जहां आप पार्टी की सरकार वहां पर 1600 करोड़ रुपये और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है वहां 1200 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री जी ने

दिए हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस आपदा में जिनकी मृत्यु हो गई है उनको 2 लाख रुपये दिया जाएगा और जो गंभरी रूप से घायल हुए हैं उनको 50 हजार रुपये दिये जाएंगे। जिनके घर इस आपदा में गए हैं उन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। जिस 7 लाख रुपये की बात मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी की सरकार का भी योगदान है।

27.11.2025.1645.डी0टी0-एच0के0-3

हमें उनका भी थोड़ा धन्यवाद कर देना चाहिए था लेकिन उसका धन्यवाद नहीं किया जा रहा है। केंद्र से जो मदद आ रही है उसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। मुख्यमंत्री जी और मंत्री अपने दायित्व से भाग रहे हैं। जो जिम्मेदारी आपके पास है, आप सरकार में है, सत्ता में है आपका दायित्व है कि प्रदेश में

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

27.11.2025/1650/वाई.के.-एन.जी./1

श्री राकेश जम्वाल........जारी

आप सरकार में हैं और आपका दायित्व है कि प्रदेश में यदि आपदा या अन्य किसी प्रकार की दिक्कत आए तो उसका समाधान करना है लेकिन आप तो हर बात को भारतीय जनता पार्टी, श्री जय राम ठाकुर जी और श्री नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर थोप रहे हैं। राहत प्रदान करना आपकी भी जिम्मेवारी है क्योंकि आप सरकार में हैं। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के दौरान जिन भी लोगों के घर टूटे हैं, जिन लोगों का पशुधन गया है और जिनके परिवारजन गए हैं, हम सभी उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। इस माननीय सदन के माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि आपदा ग्रस्त परिवारों के साथ राजनीति मत कीजिए। आपदा में जिन लोगों का घर चला गया और जिनके परिवारजन चले गए हैं, आप (सरकार) उनमें से चुन-चुन कर या मेरा-तेरा करके राहत प्रदान मत कीजिए। मेरा सरकार से आग्रह है कि आपदा में जो भी प्रभावित व्यक्ति है, उसको मदद मिलनी चाहिए

और नियम-130 के तहत इस चर्चा को लाने का हमारा यही ध्येय है। हम चाहते हैं कि आपदा प्रभावित किसी भी जाति, धर्म, पार्टी या समुदाय का हो, हर व्यक्ति को मदद मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, इस विषय पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.11.2025/1650/वाई.के.-एन.जी./2

सभापति : माननीय राजस्व मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

(माननीय राजस्व मंत्री के वक्तव्य का बहिष्कार करने के उद्देश्य से विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य ने यहां पर जो पेपर्स दिखाए हैं, उन सभी को नियमानुसार सदन के पटल पर ले करना अनिवार्य है ताकि हम उसका सही से रिप्लाई दे पाएं।

सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य जश्न के विषय पर बहुत हो-हल्ला कर रहे हैं। मैं इनसे जश्न का मतलब जानना चाहता हूं। मेरे हिसाब से जश्न के कई मतलब होते हैं। उत्सव भी होता है, समारोह भी होता है, धूमधाम भी होता है और त्यौहार भी होता है। तीन साल के कार्यकाल में इतनी ज्यादा आपदाएं आने के बाद भी अगर हमारी सरकार लोगों के बीच में काम कर पाई है और उसको बताने के लिए यदि हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें विपक्ष के माननीय सदस्यों को क्या दिक्कत हो रही है? इन्हें हमारे कार्यक्रम में खलल डालने की क्या जरूरत है? इन्होंने तो झूठ ही बोलना है। इन्होंने मेरी बात को सुनना तो है नहीं लेकिन मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं। विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार मैंने उपायुक्त, मण्डी को निर्देश दिए

थे कि मण्डी में आपदा प्रभावितों के लिए जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें मण्डी जिला के सभी माननीय सदस्यों को बुलाया जाए। उसके बाद मण्डी जिला के हर माननीय विधायक को कार्यक्रम की सूचना दी गई है। उपायुक्त, मण्डी ने स्वयं सभी माननीय विधायकों से बात की है और यहां पर विपक्ष के माननीय विधायक झूठ बोल रहे हैं कि हमें कार्यक्रम की सूचना नहीं दी गई है। ये लोग किसी एक-दो पीड़ित व्यक्ति के घर पर चले गए और फोटो खिंचवा ली।

27.11.2025/1650/वाई.के.-एन.जी./3

मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग 1800 लोगों के मकान चले गए और लगभग 8000 लोगों के मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हो गए तो क्या ये उन सभी लोगों से मिले हैं? इस आपदा में लगभग 500 लोगों की जानें चली गई और ये लोग किसी एक-दो परिवारों से मिलकर यहां पर हल्ला कर रहे हैं। हमारे एस0डी0एम0, डी0सी0 और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी सभी प्रभावितों के पास पहुंचे हैं तथा सभी को फौरी राहत प्रदान की गई है। विपक्ष के लोगों ने राहत सामग्री बांटने में राजनीति की है। यदि विपक्ष के लोगों ने सही काम किया है तो श्री जय राम ठाकुर जी को मैं बार-बार कह रहा हूं कि आप श्वेत पत्र जारी कीजिए कि जनता ने आपको कितना पैसा दिया है और उसमें से आपने किस-किस को कितना पैसा बांटा है। उससे स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और दूध-का-दूध व पानी-का-पानी हो जाएगा। धन्यवाद।

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए।**)

सभापति : माननीय सदस्य, श्री मलेन्द्र राजन जी, इस चर्चा में अब आपने भाग लेना है और सदन का समय पांच बजे तक है। पांच बजने में केवल पांच मिनट ही बचे हैं तो क्या आप पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं?

श्री मलेन्द्र राजन : सभापति महोदय, पांच मिनट में तो मैं अपना वक्तव्य नहीं दे पाऊंगा।

सभापति : ठीक है, फिर आप अपना वक्तव्य कल देना। माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी आपने जो पेपर्स सदन में दर्शाए हैं, कृपया उन्हें सदन के पटल पर ले कर दीजिए।

श्री राकेश जम्वाल : सभापति महोदय, मैंने उन पेपर्स को सदन के पटल पर ले कर दिया है।

27.11.2025/1650/वाई.के.-एन.जी./3

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 28 नवम्बर, 2025 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला (तपोवन) -176215 **यशपाल शर्मा**
दिनांक 27-11-2025 **सचिव,**